खण्ड-107, अंक-5
शुक्रवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(29 अगस्त, 1952 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 107 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## शुक्रवार, २९ अगस्त, १९५२

**विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मारामगोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।**

---

### उपस्थित सदस्यों की सूची (३५९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह, यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर, सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री

हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हर ख़याल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

विधान भवन

# प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष---आज प्रश्न संख्या काफी अधिक है। तो मैं माननीय सदस्यों से यह आशा करूंगा कि इसलिये कि सबसे प्रश्न पूछे जा सकें, सुविधा इसी में हो सकती है कि दोबारा प्रश्न न पूछे जायं। इस तरह से पूरक प्रश्न किये जायं।

दूसरे कुछ मजाक वगैरह के प्रश्न न हों, तो मैं समझता हूं कि यह कार्य समाप्त हो सकता है।

## [२२-८-५२ के गृह मंत्री द्वारा स्थगित किये गये प्रश्न]

## तारांकित प्रश्न

### लार्ड कृष्ण शुगर मिल जिला सहारनपुर के मालिक द्वारा सरकारी आज्ञाओं का उल्लंघन

*१---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)---क्या लार्ड कृष्ण शुगर मिल के मालिक ने सन् १९५०-५१ में सरकार की कुछ आज्ञाओं का उल्लंघन किया था ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां।

*२---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार ने मिल मालिक के ऊपर केस दायर करने का आर्डर जिलाधीश को दिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार ने श्रमायुक्त को सुझाव दिया था कि मिल मालिकों पर केस चलाया जा सकता है। श्रमायुक्त ने इस सुझाव के आधार पर स्वयं जिलाधीश, सहारनपुर को मिल मालिकों के विरुद्ध सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करने के अभियोग में केस चलाने की आज्ञा दे दी।

*३---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस केस में क्या हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---न्यायालय ने अभियुक्त को मुक्त कर दिया।

### रामपुर जिला जेल में हवालाती क़ैदी

*४---श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० जून, सन् १९५२ ई० को कितने हवालाती क़ैदी रामपुर जिला जेल में थे और कितने समय वे हवालात में बन्द रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---३० जून, १९५२ को रामपुर जिला जेल में ५६ हवालाती क़ैदी थे।

उक्त तिथि को विभिन्न कैदियों की हवालात में रहने की अवधि इस प्रकार थी :

२१---हवालाती कैदी---१ महीना से कम।

२० हवालाती कैदी---१ महीना से अधिक किन्तु ३ महीने से कम।

११ हवालाती कैदी---३ महीने से अधिक किन्तु ६ महीने से कम।

४ हवालाती कैदी---६ महीने से अधिक।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या माननीय मंत्री जी ६ महीने से हवालातियों के रहने का कारण बता सकेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनके मुक़दमे चल रहे थे। उनमें से अक्सर मुकदमों की दस से लेकर चौदह तक पेशियां होती हैं। इतना विश्वास किया जाता है कि इस महीने में सबके सब मुक़दमे खत्म हो जायंगे।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या यह सही है कि जिन पेशियों की तारीखें पड़ीं, उनमें हवालाती पेश भी न हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुमकिन है। मैं नहीं कह सकता।

## बनारस जिले में बन्दूक और पिस्तौल के लाइसेंस

*५---श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ ई० के सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, और सन् १९५२ ई० के जनवरी, फरवरी, मास में कितने बन्दूक व पिस्तौल के लाइसेंस बनारस जिले में दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला बनारस में सितम्बर १९५१ से फरवरी १९५२ तक दिये गये बन्दूक तथा पिस्तौल के लाइसेंसों का विवरण इस प्रकार है :---

| मास | बन्दूक | पिस्तौल |
|---|---|---|
| सितम्बर, १९५१ | २० | ८ |
| अक्तूबर, १९५१ | १४ | ३ |
| नवम्बर, १९५१ | १४ | ३ |
| दिसम्बर, १९५१ | १३ | २ |
| जनवरी, १९५२ | २० | १ |
| फरवरी, १९५२ | ८ | २ |
| | कुल ८९ | १९ |

*६---श्री राजनारायण---क्या सरकार उन व्यक्तियों का नाम बताने की कृपा करेगी जिनको उपर्युक्त अवधि के भीतर लाइसेंस दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सदस्य महोदय कृपया संलग्न सूची क और ख देखें।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२९ पर)

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नाम यहां पर सूची में दिये गये हैं उनका पता क्या है ?

अध्यक्ष---किनका पता ? किस प्रश्न से संबंधित है ?

श्री राजनारायण---एक सूची हमको दो गयी है, प्रश्न ६ से संबंधित, जिसमें कुछ नाम दिये गये हैं। तो एक ही नाम के बहुत से व्यक्ति हैं...

अध्यक्ष---आप माननीय मंत्री जी से पते मांग लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इतने आदमियों के नाम बतलाने में सदन का बहुत समय खर्च होगा।

**काशी विद्यापीठ में श्रमिक अधिकारी की शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को नौकरी**

*७---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल ( बाराबंकी )---क्या सरकर यह बतालाने की कृपा करेगी कि काशी विद्यापीठ से कितने विद्यार्थियों ने श्रमिक अधिकारी की शिक्षा प्राप्त की है और उनमें से कितनों को सरकारी, अर्धसरकारी अथवा कारखानों में नौकरी प्राप्त हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री काशी विद्यापीठ, बनारस के लेबर ट्रेनिंग कोर्स से १६६ व्यक्तियों ने शिक्षा पाई है। अब तक २० व्यक्तियों को प्रदेश के श्रम विभाग में नौकरी मिली है। इसके अतिरिक्त ५ को केन्द्रीय श्रम विभाग में भी जगहें मिल चुकी ह। ४१ दूसरे व्यक्तियों को इस प्रदेश की मिल में लेबर अफ़सर के पदों पर रक्खा गया है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल( बाराबंकी )---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त कितने व्यक्ति हैं जो बेकार पड़े हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैंने जोड़ा है, जिनको नौकरी मिल चुकी है उनकी संख्या ६६ है। १६६ ने शिक्षा पाई। घटाने से १०० आते हैं। १०० काम नहीं पा सके हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल( बाराबंकी )---क्या सरकार इन लोगों के लिये कारखानों में नौकरी दिलाने के लिये कोई समुचित प्रबन्ध करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जैसा कि प्रश्न संख्या ३ में बताया गया, कारखानों को मजबूर किया जा रहा है कि शिक्षित लोगों को अपने यहां नौकर रखें।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि काशी विद्यापीठ में लेबर ट्रेनिंग कोर्स बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई दूसरी व्यवस्था करने जा रही है और कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, कोर्स बन्द हो गया है। जब तक सौ आदमी शिक्षा पाये बैठे हैं उनको काम न मिले तब तक और लोगों को ट्रेनिंग देना बेकार समझा गया।

*८---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल( बाराबंकी )---किन-किन कारखानों ने शिक्षित श्रमिक अधिकारी अभी तक नहीं रखे हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस राज्य में ९८ कारखाने हैं जिनमें लेबर वेलफेयर अफ़सर रखने हैं। उनमें ९५ प्राइवेट कारखाने तथा ३ सरकारी कारखाने हैं। अब केवल २८ प्राइवेट तथा २ सरकारी कारखानों में वेलफेयर अफसर रखने को हैं जिनका विवरण नत्थी (क) में दिया हुआ है। ३ सरकारी कारखानों में वेलफेयर

अफ़सर की तैनाती के सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अधिक आवश्यकता के कारण केवल कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, कानपुर में एक वेलफेयर अफ़सर अस्थायी तौर से कमीशन की सिफारिश प्राप्त न होने के समय तक के लिये रख लिया है। ऊपर लिखे हुये कारखानों के अलावा २६ केन्द्रीय कारखाने इस राज्य में हैं जिनमें वेलफेयर अफ़सर रखने हैं। इनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार कर रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३३ पर)

*९—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या सरकार ने इन कारखानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन कारखानों को यू० पी० फैक्ट्रीज वेलफेयर अफ़सरों के नियम १९४९ ई० के अन्तर्गत वेलफेयर अफ़सर रखने के लिये वाध्य किया जायगा।

* * * *

## जौनपुर के व्यापारी श्री जयराम सिंह की लाश का खुखेड़ी ताल सिदउत, जिला गाजीपुर में मिलना

*१४—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि खुखेड़ी ताल सिदउत थाना क़ासिमबाद, जिला गाजीपुर में जौनपुर के व्यापारी श्री जयराम सिंह की पायी गयी लाश के बारे में क्या कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री जयराम सिंह कासिमाबाद क्षेत्र में बेंचे हुये बैलों के बाकी रुपयों को वसूल करने गये थे। उनके १५ दिन तक वापस न आने पर उनके भाई बलराम सिंह ने खोज की और सिदउत ताल के पास उनके कुछ कपड़े पाये गये। उसी सूखे ताल में एक मांस रहित खोपड़ी तथा कुछ हड्डियां भी मिलीं। पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया है, और उसकी जांच हो रही है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस मुकदमे के सिलसिले में कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बात साफ है कि उनका नाम गोबरी मियां है। उनकी कुछ दुश्मनी थी उन सज्जन से जिनका देहान्त हुआ था। उनका नाम बतलाया गया है, लेकिन उनपर मुकदमा खास तौर से चलाने की बात चल रही है।

## गाजीपुर में पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे

*१५—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या पुलिस मंत्रीय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर में पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों पर कितने मुकदमे चल रहेहैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गाजीपुर जिले में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध इस समय दो मुकदमे चल रहे हैं पहला मुकदमा हेड कान्सटेबुल अब्दुल रहमान अन्सारी, कान्सटेबुल वाजिद और अब्दुल खलीक के विरुद्ध धारा ३७६/३६६/३६८ भा द० वि० के अन्तर्गत और दूसरा सूरज सिंह कान्सटेबुल के खिलाफ धारा ३२३/१२०/१२१ के अन्तर्गत चल रहा है।

श्री शिवपूजन राय—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुकदमों की कितनी पेशियां हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

## जिला आगरा की तहसील वाह में अतिरिक्त पुलिस पर व्यय तथा उसका अपराधों पर प्रभाव

*१६--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील वाह (जिला आगरा) में अतिरिक्त पुलिस (थाने की साधारण Strength के अतिरिक्त) रखने में पिछले ५ वर्षों में कितना खर्च हुआ और उसका अपराधों की स्थित पर क्या प्रभाव पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वाह, जिला आगरा में जनवरी, सन् १९४८ से जून, सन् १९५२ तक थाने की नियुक्त पुलिस संख्या के अलावा, अतिरिक्त पुलिस पर लगभग १६ लाख रुपया खर्च हुआ। इससे अपराधों की संख्या में काफी सुधार हुआ जो साथ में नत्थी नकशे से विदित है।

(देखिये नन्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३४ पर)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार इस बात का यकीन करेगी कि जांच के जरिये वहां पर अपराधों को दबाया नहीं जा रहा है, कंसीलमेंट आफ क्राइम नहीं हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो हमारे पास सूचना है उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया है परन्तु माननीय सदस्य वहां के रहने वाले हैं, वे अगर कोई और सूचना इसके संबंध में दे तो मैं जरूर उसके विषय में जांच कराऊंगा।

*१७--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, सन् १९५१ से ३० जून, सन् १९५२ तक वाह तहसील में कितने कत्ल, डकैती, आग लगाने और भगा ले जाने के जुर्म हुये और उनमें से कितनों के हरिजन शिकार हुये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तहसील वाह में १ जुलाई, सन ५१ से ३० जून, सन् १९५२ तक कोई भी डकैती नहीं हुई। इन बारह महीनों में कत्ल की ११, अग्निकांड की २ और अपहरण की १ घटना हुई। कत्ल की चार घटनाओं में ६ हरिजन मारे गये जिनमें दो वह भी शामिल हैं जिनके घर में आग लगाई गई। हरिजन कोई भगाया नहीं गया।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को यह मालूम है कि यह जो हाल में हरिजनों के प्रति जरायम की बाढ़ आयी है उसका कुछ राजनीतिक कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नहीं, मुझको इसकी कोई खास सूचना नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को मालूम है कि जब से चुनाव का कैम्पेन शुरू हुआ तब से हरिजनों के प्रति जरायम में ज्यादती हो गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की बात कुछ न कुछ हुई है, केवल एक जगह नहीं बल्कि शायद सारे प्रदेश में।

* * * * *

## ग्राम सभाओं और अदालती पंचायतों के स्थापित होने के कारण मुखियों के पद का तोड़ा जाना

*२४--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार ग्राम सभाओं और अदालती पंचायतों के निर्माण के बाद मुखियों के पद को तोड़ने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गांव सभाओं के पंचों और सरपंचों की यह भी उनकी ड्यूटी कानून के हिसाब से रखी गयी है कि वे पुलिस को मदद दें उनकी जांच पड़ताल में, तो फिर मुखियों की क्या आवश्यकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सारी ग्राम सभाओं और अदालती पंचायतों का संघटन ठीक रूप से कायम हो जाय, तब फिर इस प्रश्न पर विचार करने का मौका आयेगा।

## जिला मुज़फ्फ़रनगर के गांव ककरोली और खाईखेड़ा को पुनः थाने भोपे में शामिल करना

*२५---श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार को इस बात का पता है कि जिला मुजफ्फर नगर के परगना भोकरहेडी के दो गांव ककरौली और खाईखेड़ा थाने भोपे से काट कर मीरापुर के नवनिर्मित थाने में लगा दिये गये हैं जिससे इन दोनों गांव के लोगों को आने जाने की बड़ी असुविधा है ? क्या सरकार इन दोनों गांवों को फिर से थाने भोपे में ही करने का इरादा रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ककरौली और खाईखेड़ा ग्रामों को सन् १९५१ ई० में भोपे थाना से हटा कर मीरापुर के नव निर्मित थाने में विधिपालन और सुव्यवस्था के हेतु मिलाया गया था क्योंकि ये गांव थाना भोपे से बहुत दूर पड़ते हैं और मीरापुर से करीब बताये जाते हैं। इन दोनों को फिर से थाने भोंपे में सम्मिलित करने के विषय पर विचार किया जा रहा है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कब तक इन गांवों को भोंपे के थाने में मिलाया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने कहा कि इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। जब निश्चित हो जायगा कि मिला दिया जाय तब मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि ककरौली का फ़ासिला थाना भोपे से चार मील है और मीरापुर से सात मील है और भोपे से ककरौली तक रेगुलर बस सर्विस है और मीरापुर तक जाने का कोई साधन नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य ने जो सूचना दी उसके गलत होने का कोई कारण नहीं है, जरूर सही होगी।

* * * *

## फर्रुखाबाद जिले में बन्दूक, राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर के लाइसेंस

*२८---श्री चिरंजी लाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फ़र्रुखाबाद जिले में पिछले तीन वर्षों में कितने और किन किन व्यक्तियों को बन्दूक, राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर के लाइसेंस दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पिछले तीन वर्षों में जिला फर्रुखाबाद में जारी किये गये बन्दूक, राइफल, पिस्टल तथा रिवाल्वर के लाइसेंसों का ब्योरा इस प्रकार है :---

| साल | बन्दूक | राइफल | पिस्टल | रिवाल्वर |
|---|---|---|---|---|
| १९४९ | ७६ | ७ | २२ | १४ |
| १९५० | १३९ | ९ | ४६ | ४० |
| १९५१ | १९२ | १० | ३२ | २४ |
| कुल .. | ४०७ | २६ | १०० | ७८ |

जिन व्यक्तियों को उक्त लाइसेंस प्रदान किये गये उनके नाम असेम्बली में बताने में बहुत समय लगेगा इसलिये सदस्य महोदय यदि किसी खास व्यक्ति का नाम जानना चाहते हों तो मेरे कार्यालय से जान सकते हैं ।

*२६--श्री चिरंजी लाल पालीवाल--क्या सरकार उन व्यक्तियों के भी पते और योग्यता के साथ सूची देगी जिनकी दरख्वास्तें अस्वीकार की गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी गई सूची बहुत लम्बी है इसकी प्रतिलिपि बनाने में बड़ी मेहनत और समय की जरूरत पड़ेगी इसलिये सदस्य महोदय अगर किसी खास व्यक्ति का नाम, योग्यता और पता जानना चाहते हों तो मेरे कार्यालय में मालूम कर सकते हैं।

## थानों में कम से कम पुलिस स्टाफ की संख्या

*३०--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एक पुलिस स्टेशन में कितने आदमियों का स्टाफ रहता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रत्येक थाने में कम से कम १ थानेदार, एक हेड कान्सटेबिल और ६ कान्सटेबिलों का स्टाफ रहता है। परन्तु आवश्यकतानुसार थाने की स्थिति और कार्य की अधिकता को देखते हुये इससे ज्यादा स्टाफ भी रक्खा जाता है।

## चौकीदारों के कर्त्तव्य

*३१--श्री राम सुभग वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चौकीदारों के क्या कर्त्तव्य हैं और वे एक महीने में कितने दिन थाने में रहते हैं। और क्या उनकी हाजिरी होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चौकीदारों के कर्त्तव्य संलग्न विवरण पत्र में दिये हुये हैं। चौकीदारों को हर महीने नियमित रूप से एक बार थाने में अपना वेतन लेने के लिये जाना पड़ता है। इसके अलावा अपने कर्त्तव्यों से संबंधित सूचनायें देने के लिये उन्हें समय समय पर थाने पर जाना पड़ता है। सूचना देने के लिये जब जब वे थाने पर जाते हैं तब तब थाने का मुंशी उनकी हाजिरी लकड़ी के बने उपस्थिति बोर्ड पर अंकित कर देता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय गृह मंत्री को मालूम है कि आमतौर पर इन चौकीदारों से पुलिस स्टेशनों के थानेदार दिन भर मीनियल काम लिया करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझको तो इसकी कोई खास सूचना नहीं है।

## जौनपुर जिले के प्रत्येक थाने में फ़रवरी-मार्च, १६५२ में हत्याओं की संख्या

*३२--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के प्रत्येक थाने पर फ़रवरी सन् १६५२ ई० मार्च, सन् १६५२ ई० तक कितने क़त्ल हुये और कैसे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना नीचे दी हुई है।

१. थाना केराकत--६ फरवरी, सन् १६५२ ई० को जब श्री झिगरी मिश्र अपने ग्राम सोनारी में रात के समय खेत पर थे, कुछ लोगों ने उनपर हमला किया और मार डाला।

२. थाना शाहगंज--४/५ मार्च, सन् १६५२ को रात के समय जब श्री गजाधर अपनी दुकान में सो रहे थे, उनको किसी ने गरदन काट कर मार डाला।

३. थाना कोतवाली—६ मार्च, सन् १९५२ को एक नवजात शिशु का शव एक खेत में पड़ा पाया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि बच्चे की मृत्यु गला दबाने से हुई है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंगुरी मिश्र के कत्ल में कौन कौन से लोग शामिल थे और पकड़े गये कि नहीं। यदि पकड़े गये तो क्या कार्यवाही हुई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिंगुरी मिश्र के क़त्ल के मामले में १३ आदमियों का नाम बतलाया गया लेकिन कोई भी गवाही नहीं मिल सकी इस वजह से जांच खत्म कर दी गयी।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गजाधर के क़त्ल के संबंध में कितने लोग पकड़े गये और उसमें क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसमें मोहन, धनेश्वर, रामचेत और मुरली सोनार, इन लोगों के ऊपर शुबहा हुआ। इनमें से धनेश्वर, रामचेत और मुरली तो भाग गये, वे मिले नहीं। लेकिन मामले की जांच अभी हो रही है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो नवजात शिशु मारा गया वह किसका लड़का था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हबीब नाम का एक आदमी गांव में था। उसकी पत्नी का नाम राइफ़ल या रफ़ूल बताया जाता है। उसके ऊपर संदेह है। उसका बच्चा मिल नहीं रहा है और ख्याल यह है कि उसी का बच्चा है। बहरहाल कोई खास सबूत नहीं है फिर भी मुक़दमा चल रहा है।

## जौनपुर जिले में शिकमियों के झगड़े

*३३—श्री बाबूनन्दन—क्या पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जमींदारी उन्मूलन दिवस से लेकर आज तक शिकमी के प्रश्न को लेकर प्रत्येक थाने के क्षेत्र में कितने झगड़े हुए?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जौनपुर जिले में जमींदारी उन्मूलन दिवस से अब तक शिकमी के प्रश्न को लेकर जितने झगड़े हुये, उनकी संख्या थानेवार निम्नलिखित है:

| थाने का नाम | झगड़ों की संख्या |
|---|---|
| १—बख्शा | २ |
| २—शाहगंज | १ |
| ३—चन्दवक | १ |
| ४—बदलापुर | ३ |
| ५—बादशाहपुर | २ |
| ६—मीरगंज | २ |
| कुल | ११ |

श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन शिकमियों के झगड़ों में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हर मामले में अलग अलग जांच हुई और जो झगड़े सीरियस थे उनमें मुकदमा चलाया गया। किन्हीं पर १०७ के मुकद्दमा चला और किन्ही पर १४५ में मुकद्दमा चला यानी हर मामले में अलग अलग कार्यवाही की गई।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अब जो शिकमी के प्रश्न को लेकर झगड़े हो रहे हैं उसको रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई आदेश जारी किया है। यदि नहीं तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक फौजदारी के मामलात हैं उनके लिये किसी खास आदेश के जारी करने की जरूरत नहीं है। पुलिस बराबर देखभाल किया करती है।

## जिला बस्ती में डाकों की संख्या

*३४---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में जनवरी, सन् १९५२ ई० से आज तक कितने डाके पड़े हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला बस्ती में सन् १९५२ से अब तक ६ डाके पड़े।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन स्थानों पर डाके पड़े हैं और कहां कहां पुलिस पता लगाने में कामयाब हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, पहला डाका तो पड़ा गांव पिपरी पुलिस चौकी छिलिया में। उसमें देखा गया कि डाके का केस नहीं था क्योंकि ४५२ में उन पर मुकदमा चल रहा था। दूसरा केस था गांव सिमरी पुलिस चौकी डुमरिया गंज, इसमें गोबिन्द सहाय नाम के एक शख्स ने शिकायत की थी और मुकद्दमा चल रहा है। तीसरा केस है गांव दुबौलिया पुलिस चौकी रुदौली, इसमें हरिहर प्रसाद ने शिकायत की थी। इस सिलसिले में ११ आदमियों पर मुकद्दमा चल रहा है। चौथा केस है गांव चक कफिया पुलिस स्टेशन डुमरियागंज। इसमें १६ आदमियों का चालान हुआ है और मुकद्दमा अदालत में है। पांचवां केस है पुलिस स्टेशन लोटन। इसमें भी मुकद्दमा चल रहा है। इसमें कुछ चोरी का माल भी बरामद हो गया है। १२ आदमियों का चालान हुआ है। इसमें मुकदमा अदालत में इसलिये नहीं आया कि कुछ आदमियों पर मुकदमा गोरखपुर में चल रहा है। छठा केस है गांव गुरहट पुलिस स्टेशन मुहौली इसमें ६ आदमियों का चालान हुआ है। सातवां केस है गांव बरगदवा, थाना सोनहा इसमें पांच आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी की जांच जारी है।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार निम्न गांव में जो डाके पड़े हैं उनका पता लगाने के लिये तैयार है---

(१) मौजा उतरौलिया थाना खलीलाबाद
(२) मौजा मेहियां ,, ,,
(३) मौजा मेडियां थाना खलीलाबाद
(४) मौजा तुरकालिया थाना मुडेरवा
(५) मौजा भिनखरी ,, ,,

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य मुझको इन गांवों का पता दे देंगे तो मैं जरूर उनकी जांच कराऊंगा।

## सेमरडांड़ी, जिला बस्ती के श्री पारस नाथ पांडेय पर गुण्डों द्वारा बन्दूक से आक्रमण

*३५---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि श्री पारसनाथ पांडेय, मौजा सेमर डांडी थाना धनघटा, जिला बस्ती को गुण्डों ने बन्दूक से ता० १८-६-५२ को घायल किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१७ जून, सन् १९५२ ई० को श्री पारस नाथ पांडेय को बन्दूक की गोली से कान में चोट लगी। पुलिस ने आठ अभियुक्तों को, जिनमें एक लापता है, भारतीय दंड विधान की धारायें १४८/३०७ के अन्तर्गत चालान कर दिया है। मामला अब अदालत में है।

## १९५१-५२ के सीजन में चीनी मिल मजदूरों को बोनस

*३६---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बतलायेगी कि सन् १९५१-५२ के सीजन में प्रदेश के चीनी मिल मजदूरों को कितना बोनस दिये जाने का सरकार ने निश्चय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कब तक विचार और निश्चय होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बोनस के सवाल पर ७ या ८ महीने के बाद ही विचार हर साल हुआ करता है।

[शुक्रवार, २९ अगस्त, १९५२ के प्रश्न]

# तारांकित प्रश्न

---

## क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की १०७ तथा १०७/११७ धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे

*१---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ३१ मार्च, सन् १९५२ ई० को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की (अ) १०७(ब) १०७/११७ दफाओं के मातहत कितने मुकदमे चल रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ३१ मार्च सन् १९५२ को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा १०७ के मातहत ९४४ मुक़दमे और दफा १०७/११७ के मातहत २०८९ मुक़दमें चल रहे थे।

*२---श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपरोक्त दफाओं के मातहत राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे कितने मुकदमे हैं जो क्रमशः सन् १९४८, १९४९, १९५० तथा १९५१ ई० में चलाये गये थे परन्तु जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९४८ व १९४९ के ऐसे कोई मुकदमें नहीं हैं। सन् १९५० के दफ़ा १०७/११७ के ऐसे केवल एक मुकदमे में और सन् १९५१ के दफ़ा १०७ के १७७ तथा दफ़ा १०७/११७ के ६९८ मुक़दमों में अभी निर्णय नहीं हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उत्तर नम्बर दो में यह बताया गया है कि सन् ५१ में ऐसे मुकदमे जिन पर निर्णय नहीं हुआ ६९८ हैं लेकिन उत्तर नं० १ में बताया गया है ३१ मार्च सन् ५२ तक २०८९ मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह से तीन महीने में मार्च, सन् ५२ के पहले १३९१ मुकदमों की असाधारण वृद्धि हो गई, क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह असाधारण बृद्धि का क्या कारण है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पूरा पूरा तो नहीं बतला सकता लेकिन एक कारण यह भी है कि बहुत से आफिसर्स चुनाव वगैरह के कार्य में लगे हुये थे जिसकी वजह से काम कुछ ज्यादा जमा हो गया।

## औद्योगिक विवादों का एडजुडीकेशन समितियों में न्यायार्थ भेजा जाना

*३--श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १५ मार्च, सन् १६५१ के राज आज्ञा के अन्तर्गत यू० पी० के विभिन्न एडजुडीकेशन समितियों में कुल कितने औद्योगिक विवाद न्यायार्थ भेजे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१५ मार्च सन् १६५१ की राजकीय आज्ञा के अन्तर्गत विभिन्न पंच निर्णायक तथा एडजूडिकेशन समितियों में १५ मार्च, १६५१ से लेकर ३० जून १६५२ तक कुल ३८७ विवाद न्यायार्थ भेजे गये।

*४--श्री राजनरायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो मामले एडजुडीकेशन में नहीं भेजे गये वह किन किन यूनियनों तथा मजदूर संस्थाओं से संबंधित थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार यह सूचना देने में असमर्थ है क्योंकि उसने ऐसी सूचना का संग्रह नहीं किया है। उपयुक्त सामग्री इकट्ठा करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उसे लगाने से कुछ लाभ नहीं होगा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इसकी सूचना है कि एड जुडिकेशन में जितने मामले भेजे जाते हैं वे सब आई० एन० टी० यु० सी० से संबंधित हैं और दूसरी यूनियन्स से संबंधित मामले नहीं भेजे जाते

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

## मेसर्स जयपुरिया ब्रादर्स के विरुद्ध मुकदमों को सरकारी आज्ञानुसार अदालत से वापस लेना

*५--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री एस० एस० इब्राहीम, ए डीशनल जिला मैजिस्ट्रेट (स्पेशल) कानपुर ने मेसर्स जयपुरिया ब्रदर्स लिमिटेड को डाइरेक्टरों को एसेन्शल सिविल सप्लाइज ऐक्ट की धारा ७, काटन टेक्सटाइल आर्डर, १६४८, की धारा २२, २३, २४ तथा इंडियन पेनल कोड की धारा ४२० तथा ५११ के मातहत चलने वाले अभियोग से इसलिये बरी कर दिया कि पब्लिक प्रासिक्यूटर ने मामला अदालत से वापस ले लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जयपुरिया ब्रादर्स, कांनपुर के ऊपर पिछले तीन सालों में कितने मुकदमों के लिये चालान हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तीन साल में कितने मुकदमे चले इसकी सूचना इस वक्त मैं नहीं दे सकता।

*६--श्री रामनारायण त्रिपाठी--पब्लिक प्रासिक्यूटर ने यह केस न्यायालय से क्यों वापस ले लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने सरकार की आज्ञा से दमुक़मा वापस लिया।

*७--श्री रामनारायण त्रिपाठी--वर्तमान अभियोग की जांच किस पुलिस अफसर की मातहती में थी और क्या यह मामला राज्य सरकार की राय से वापस लिय गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस अभियोग की जांच केन्द्रीय सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर आफ इनफोर्समेंट, श्री झिंगरन, की मातहती में हुई थी। यह मामला राज्य सरकार की आज्ञा से वापस लिया गया।

## मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित शक्कर मिलों से मजदूरों का निकाला जाना

*८--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित शक्कर मिलों से गत तीन सीजनों में कितने मजदूर कारखानों से इम्प्रूवमेंट के उद्देश्य से निकाले गये हैं? और कितने मजदूर तोड़ फोड़ के सन्देह पर निकाले गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित शक्कर मिलों से गत तीन सीजनों में केवल २४३ मजदूर इम्प्रूवमेंट के उद्देश्य से निकाले गये हैं।

तोड़ फोड़ के सन्देह पर गत तीन सीजनों में किसी भी शक्कर मिल से कोई भी मजदूर नहीं निकाला गया।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन निकाले गये मजदूरों को कारखाने दारों ने अन्यत्र किसी कारखाने में नौकरी दी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि श्रम अधिकारी मिलमालिकों से वेतन पाने के कारण मजदूरों का कोई वास्तविक हित करने में अक्सर असमर्थ रहते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो नया कानून बनाया गया है उसके मातहत जो नहीं रखे गये हैं उनकी असमर्थता का कोई प्रश्न नहीं है इसलिये कि उनकी सर्विसेज सेक्योर हैं मिल मालिक उनको बगैर सरकार की मरजी के निकाल नहीं सकते।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मिलों में इम्प्रूवमेंट करने के लिये जो मजदूर निकाले जा रहे हैं सरकार की इस संबंध में क्या नीति है?

डाक्टर सम्पर्णानन्द--मिलों के अन्दर इम्प्रूवमेंट हो, मैं समझता हूं यह सबको अभीष्ट होगा। यह श्रम के लिये भी अच्छा है और मिल मालिकों के लिये भी अच्छा है। परन्तु कोई खासतौर पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सिवाय सरकार की राय से ४,५ मिलों में हुआ है।

## कारखानों में उपयुक्त शिक्षा न रखने वाले श्रम हितकारी अधिकारियों की नियुक्तियां

*९--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--कितने ऐसे श्रमिक अधिकारी इस समय कारखानों में काम कर रहे हैं जो उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय कुल ५७ (३३+२४) श्रम हितकारी अधिकारी ऐसे हैं जो कारखानों में कार्य कर रहे हैं और कारखानों में वेलफेयर अफसरों के नियम १९४९ के नियम ४ में वर्णित सम्पूर्ण योग्यतायें नहीं रखते। इनमें से ३३ अधिकारियों को उक्त नियमों की धारा १२ के अन्तर्गत मुक्ति प्रदान की जा चुकी है और २४ अधिकारी ऐसे हैं जो उपयुक्त शिक्षा न रखते हुये भी वेलफेयर अफसरों के पदों पर कार्य कर रहे हैं और इनको नियम ४ में दी हुई योग्यताओं से मुक्ति नहीं दी गई है। इन कारखानों के मालिकों से उनकी जगह उपयुक्त शिक्षा प्राप्त किये हुये अधिकारियों के रखने का शीघ्र प्रबन्ध करने को कह गया है।

**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (बाराबंकी)---क्या जिन कारखानेदारों ने सरकार के कहने पर योग्यताअनुसार श्रम अधिकारी नहीं रखे हैं उनके विरुद्ध सरकार कोई कड़ी कार्यवाही कर रही है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जो नहीं मानेंगे की जायगी दरअसल अभी तक कोई सरकार की आज्ञा की अवहेलना नहीं की है। उनकी तरफ से दरख्वास्त आती है कि श्रम अधिकारी अच्छा है उसको मौका दिया जाय इस किस्म के मामले चलते रहते हैं। उन्होंने खुद यह नहीं कहा कि हम नहीं रखते।

## हरिजनों की उन्नति के लिये उद्योग-धंधे

*१०---**श्री धर्म सिंह** (जिला बुलन्दशहर)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सरकार की तरफसे उत्तर प्रदेश में हरिजनों की उन्नति के लिये क्या क्या नये उद्योग धंधे आरम्भ किये गये हैं ?

**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव** (डाक्टर सीताराम)---सरकार ने हरिजनों की उन्नति के लिये नये उद्योग धंधे तो आरम्भ नहीं किये परन्तु उन्हें इस काम को आरम्भ करने के लिये आर्थिक सहायता देती है।

**श्री धर्म सिंह**---क्या सरकार यह बतलायेगी कि सरकार इन उद्योग-धंधों पर कितना रुपया खर्च कर रही है ?

**डाक्टर सीताराम**---१,०५,५०० रुपये।

## स्वीकृत स्कूलों में हरिजन विद्यार्थियों की फ़ीस की माफी

*११---**श्री धर्म सिंह**---भविष्य में क्या मंजूरशुदा हर प्रकार के स्कूलों में हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफ़ करने का सरकार का विचार है ?

**डाक्टर सीताराम**---यह तो पहले से ही हो रहा है।

**श्री धर्म सिंह**---मंजूर शुदा स्कूलों को फीस की सहायता देने का क्या तरीका है ? जब कि सरकार की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं दी जाती ?

**शिक्षा मंत्री** (श्री हरगोविन्द सिंह)---जो लड़के उन स्कूलों में पढ़ते हैं उनको फीस के रूप में सहायता दी जाती है।

**श्री धर्म सिंह**---यदि सरकार के नोटिस में इस प्रकार की बातें लाई जायं कि मंजूर शुदा स्कूलों में विद्यार्थियों की फीस माफ़ नहीं की जाती है तो उस पर सरकार कुछ कार्यवाही करेगी ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**---जी हां।

*१२ **श्री धर्म सिंह**---पिछले वर्ष सरकार ने हरिजनों को (aided) संस्थाओं में फीस माफ़ी लिये कितना रुपया दिया ?

**डाक्टर सीताराम**---८,९६,५७० रु० दिया।

*२वी३ --- **धेश प्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---

[देखिये आगे पृष्ठ ३६८ पर]

## जे० टी० सी० अध्यापकों के वेतन ग्रेड में वृद्धि

*१६--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन ग्रेड क्या है और क्या वे इसमें उचित वृद्धि करने पर विचार करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--वेतन क्रम ४५-२-६५-३-८० है। इसमें उचित वृद्धि करने पर विचार हो रहा है।

## म्युनिसिपैलिटी और जिला बोर्डों के अध्यापकों को समय पर वेतन न मिलने से कष्ट

*१७--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर गया है कि चुंगी और जिला बोर्ड में अध्यापकों का वेतन उचित समय पर न मिलने के कारण अध्यापकों को बड़ा कष्ट है और क्या वे इस संबंध में कोई प्रभावोत्पादक उपाय करने को उद्यत हैं ?

डाक्टर सीताराम-----अध्यापको के वेतन न मिलने की सूचना जब भी आती है उसके तुरन्त भुगतान के लिये सभी प्रयत्न किये जाते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि अध्यापकों का वेतन देर से मिलने के क्या कारण हैं और माननीय मंत्री जी ने उसके निराकरण के लिये क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम--यह तो बोर्ड को अधिकार दे दिये गये हैं कि बोर्ड किसी तरह से चन्दा वगैरा लेकर उनको वेतन दे और अगर वह यह भी नहीं हो सके तो अपने आवेदन पत्र सरकार के पास भेजें तो सरकार उन पर विचार कर सकती है।

अध्यक्ष--आपका चन्दे वगैरा से क्या मतलब है ?

श्री हरगोविन्द सिंह-- इसका प्रमुख कारण रुपये की कमी है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि कितने महीनों से इन अध्यापकों का वेतन नहीं दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह --किसी जिले में पूरा वेतन दिया गया है और किन्हीं जिलों में दो तीन महीने का अभी बाकी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जो ग्रांट दी जाती है वह देर में मिलने के कारण ही क्या उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता ?

श्री हरगोविन्द सिंह--डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जो ग्रांट दी जाती है वह समय के अनुकूल दी जाती है।

श्री शिव नारायण--मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह कितनी किस्तों में दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--४ किस्तों में दी जाती है।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि वह इस संबंध में कोई स्पष्ट कदम उठाने का विचार करते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से कहा जा रहा है कि वह किसी प्रकार अपने आर्थिक संकट से गुजरने के लिये आमदनी के जरिये निकालें।

*१८--श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---[मुख्य मंत्री से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर २८ अगस्त, १६५२ को संख्या २७ के अन्तर्गत दिया गया ।]

## शूगर फैक्टरी छितौनी, जिला देवरिया के ७६ मजदूरों का निकाला जाना

*१६--श्री राजदेव उपाध्याय--क्या श्रम मंत्री को यह ज्ञात है कि शूगर फैक्ट्री छितौनी, जिला देवरिया के ७६ मजदूर निकाले गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार की ओर से उनके औचित्स की कोई जांच भी करायी गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। उन पर अवैध हड़ताल करने का आरोप था। अपीलेट ट्रिव्यूनल ने आरोप गलत पाया और उनके बहाल करने की आज्ञा दी है?

श्री राजदेव उपाध्याय--क्या सरकार को पता है कि मैनेजर और मजदूरों का झगड़ा कई सालों से चल रहा है और अब झगड़े की स्थिति खतरे को पार कर रही है? सरकार औद्योगिक शांति के लिये इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह झगड़ा तो खत्म हुआ। मुमकिन है कि कोई नया झगड़ा पैदा हो गया हो। तो उसका भी इलाज किया जायगा।

## गवर्नमेंट हायर सेकेण्ड्री स्कूल, बिजनौर, में एक विद्यार्थी के पीटे जाने के कारण हड़ताल

*२०--श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या यह सही है कि १६ फ़रवरी, १६५२ को बिजनौर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में किसी विद्यार्थी को पीटने की कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण उपरोक्त स्कूल में विद्यार्थियों ने स्ट्राइक करने का निश्चय कर लिया था?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि इससे पहले बिजनौर हायर सेकेंडरी स्कूल के दो मास्टरों को कत्ल कर दिया गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, इसकी सूचना नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस विद्यार्थी को १६ फरवरी, १६५२ को क्लास में इतना पीटा गया था कि उसका पेशाब निकल आया?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, एक नीम की छड़ी से इस विद्यार्थी को पीटा गया था। इतना कहा जाता है इसकी पूर्ण सूचना सरकार को नहीं है।

श्री धर्म सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्कूलों में जो अनुशासन हीनता तथा स्ट्राइक दिन प्रतिदिन फैलते जा रहे हैं उसको रोकने के लिये कुछ विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

*२१--श्री शिवकुमार शर्मा--क्या यह सही है कि बिजनौर के कुछ एम० एल० ए० तथा किसी एक और व्यक्ति ने उपरोक्त स्कूल में घटित घटना की सूचना मंत्री, शिक्षा विभाग, तथा शिक्षा संचालक को दी थी?

डाक्टर सीताराम--जी हां, घटना की सूचना केवल बिजनौर के विद्यार्थी संघ के मंत्री ने शिक्षा मंत्री को दी थी।

*२२--श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई तहक़ीकात की है? यदि की है, तो उसका क्या परिणाम हुआ?

डाक्टर सीताराम--सरकार ने कोई तहकीकात करने का आदेश नहीं दिया क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षा संचालक को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी जिसके आधार पर एक Glead अध्यापक का स्थानान्तर कर दिया गया था।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि जो जांच इन्सपेक्टर ने की है उससे स्कूलों के विद्यार्थियों और शहर के लोगों में बहुत असंतोष फैला हुआ है?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूचना तो नहीं है। लेकिन यह संभव हो सकता है।

श्री नेकराम शर्मा--जो माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उसका ट्रांस्फर कर दिया गया है, क्या सरकार उस पर कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसा विचार इस समय तो नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार ऐसी परिस्थिति में आवश्यक नहीं समझती कि एक इंडेपेंडेंट इंक्वायरी तुरन्त की जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि उसके लिये कोई इंक्वायरी बिठायी जाय?

*२३-२४--श्री हरि प्रसाद (ज़िला पीलीभीत) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ.. ३६८ .. पर]

*२५-२६--श्री गुप्तार सिंह (जिला देवरिया)--[मुख्य मंत्री से सम्बंधित इन प्रश्नों के उत्तर २८ अगस्त, १९५२ को संख्या ३६-३७ के अन्तर्गत दिये गये।]

## गोसांई गंज में थाना बनवाने के लिए भूमि की प्राप्ति

*२७--श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या यह सही है कि सरकार ने विज्ञप्ति सं० ३५९-पी० सी० ८--१०४९-४९, ता० २६ फ़रवरी, १९५१ ई० द्वारा एक परती भूमि को थाना बनवाने के लिये क़स्बा गोसाई गंज में प्राप्त किया था, अब उस भूमि के स्वामी ताल्लुकेदार ने सरकारी कर्मचारियों की तटस्थता के कारण मकान बनवा लिया और अब एक दूसरी भूमि जिस पर खेती होती है थाना बनाने के लिये किसानों से ली जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सच है कि प्रश्न में वर्णिकृत विज्ञप्ति द्वारा भूमि प्राप्त की गई थी किन्तु भूमि की लागत अधिक होने के कारण सरकार ने उसे छोड़ दिया। यह कहना सही नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की तटस्थता के कारण भूमि के मालिक ने वहां मकान बनवा लिये हैं क्योंकि उक्त विज्ञप्ति के जारी होने के पहिले ही वहां मकान बन चुके थे। दूसरी भूमि प्राप्त करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री मदन गोपाल वैद्य--उत्तर में कहा गया है कि दूसरी भूमि प्राप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है, इसपर कोई निर्णय नहीं किया गया है। इसके विरुद्ध ५ अप्रैल, १९५२ के गजट में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है उसके द्वारा एक भूमि प्राप्त करने का नोटिफिकेशन किया गया है। तो क्या मैं समझूं कि यह नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--मेरी सूचना यही है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पहली जमीन थी, उसका नोटिफिकेशन जरूर रद्द कर दिया गया है।

**श्री मदन गोपाल वैद्य**--क्या दूसरा नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया गया है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--उसकी बाबत मुझको सूचना नहीं है। माननीय सदस्य चूंकि ऐसा कहते हैं मैं इसकी जांच कराऊंगा।

**श्री मदन गोपाल वैद्य**--जो पहला नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित हुआ है उसमें भूमि अक्वायर करने की बात है। क्या उसमें मकान भी अक्वायर करने की भी बात है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

*२८--**श्री बाबूनन्दन**-(जिला जौनपुर)-[२६ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९-३१--**श्री कैलाश प्रकाश** (जिला मेरठ)-[५ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२--**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा)[-न्याय मंत्री से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर २६ अगस्त, १९५२ को संख्या ४१ के अन्तर्गत दिया गया।]

*३३--**श्री पुत्तूलाल**--[४ सितम्बर, १९५२ के लिये संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३४--**श्री पातीराम** (जिला फर्रुखाबाद)-[२६ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

## १९४२ के आन्दोलन में जिला बलिया में हल्दी थाना बनाने के हेतु लिये गये मकान की वापसी

*३५--**श्री मान्धाता सिंह** (जिला बलिया)--क्या सरकार को मालूम है कि सन् १९४२ के आन्दोलन के समय बलिया जिले के एक प्रतिष्ठित नागरिक का मकान हल्दी थाना बनाने के लिये ले लिया गया परन्तु अभी तक वह मकान उन के बारे में बार बार प्रार्थना पत्र देने पर भी उन्हें वापस नहीं किय गया?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां।

*३६--**श्री मान्धाता सिंह**--क्या सरकार को मालूम है कि लगभग १ साल पूर्व जिला बोर्ड बलिया ने एक प्रस्ताव पास कर के सरकार से निवेदन किया था कि वह उस मकान को वापस कर दे?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हाँ।

*३७--**श्री मान्धाता सिंह**--क्या पुलिस मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस मकान के संबंध में सरकार अब क्या करने जा रही है?

**डाक्टर संम्पूर्णानन्द**--हल्दी थाना बनाने के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त की जा रही है जिसके बनाने पर मकान वापस कर दिया जावेगा।

**श्री मान्धाता सिंह**--क्या सरकार को यह मालूम है कि भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही सेक्रेटरियट में बर्षों से चल रही है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी हां, भूमि एक्वायर नहीं हुई है इसलिये मानना ही चाहिये कि कार्यवाही बहुत देर से पड़ी हुई है।

**श्री मान्धाता सिंह**—क्या गृहमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्राप्त करने की यह कार्यवाही कब से शुरू हुई है और अब किस हद्द तक पहुंची है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—मेरी जानकारी में करीब सालभर का अर्सा हुआ तब से कार्यवाही शुरू है लेकिन उसके आसपास ऐसी जमीन मिल नहीं रही है जिसमें खेती वालों का नुक़सान न हो और सस्ती भी मिल जाय।

## जिला आजमगढ़ के ग्राम परवेजाबाद के श्री लोटूराम के कुटुम्ब के तीन आदमियों की हत्या

*३८—**श्री रामवचन यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के थाना निजामाबाद के अन्तर्गत ग्राम परवेजाबाद के निवासी श्री लोटू राम के घर के तीन आदमियों की हत्या तारीख २९ जून, १९५२ ई० को हुई जिसकी रिपोर्ट उसी दिन थाने में की गयी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी हां। पर मारे गये व्यक्ति श्री लोटूराम के घर के नहीं थे, वरन् उसके खान्दान के थे।

*३९—**श्री रामवचन यादव**—क्या यह सही है कि जिन आदमियों के खिलाफ हत्या करने का दोषारोपण किया गया है उन्हीं के खिलाफ़ उक्त लोटूराम ने कई रिपोर्टें इस बात की पहिले की थीं कि उनसे उन्हें (लोटूराम व उन के घर वालों को) जान माल का खतरा है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—श्री लोटूराम ने प्लाट नं० ३९४।१ के झगड़े के बारे में सर्वश्री रामजीत व जगदीश के खिलाफ कुछ प्रार्थना पत्र दिये थे परन्तु यह कभी नहीं लिखा कि जान का खतरा है।

**श्री रामवचन यादव**—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि करीब कितनी दरख्वास्तें दी थीं और उनका सारांश क्या था ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—कुल ५-७ दरख्वास्तें दी गई होंगी जितनी भी दरख्वास्तें थीं सब जमीन की बाबत थीं उनमें यह नहीं था कि जान का भी खतरा है।

**श्री रामवचन यादव**—क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई प्रार्थना पत्र भी मौजूद है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—प्रार्थनापत्रों का सारांश मेरे पास मौजूद है।

**श्री वीरेन्द्रपति यादव** (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थनापत्र भेजे गये थे वे उन्हीं के विरुद्ध भेजे गये थे जिनके ऊपर अब मुकद्दमा चल रहा है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी हां, उनमें से कई लोग वही हैं।

**श्री वीरेन्द्रपति यादव**—क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थनापत्र दिये गये उनका सारांश संक्षेप में क्या है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—उन सभी का सारांश यह है कि उन लोगों से जमीन का झगड़ा है, कभी भी फौजदारी हो सकती है अतः दफा १०७ की कार्यवाही की जाय।

*४०—श्री रामवचन यादव—क्या यह सही है कि लोटूराम ने उक्त हत्य दोषारोपित व्यक्तियों के खिलाफ १०७।११७ के आधीन एक दरख्वास्त ता० २९ फ़रवरी, १९५२ ई० को दी थी जिस पर सर्किल इन्स्पेक्टर ने रिपोर्ट की कि शांति भंग का कोई अंदेशा नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री लोटूराम ने एक दरख्वास्त २९ फरवरी, सन् १९५२ को ३० व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधि संग्रह की धारा १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये दी। सर्किल इन्सपेक्टर ने जांच के बाद यह रिपोर्ट दी कि दरख्वास्त में की गई शिकायत गलत थी।

## बस्ती ज़िला बोर्ड के अध्यापकों को मंहगाई और वेतन वृद्धि

*४१—श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती ज़िला बोर्ड के अध्यापकों को मंहगाई और वेतन वृद्धि जो सरकार ने सन् १९४९ ई० में प्रदान की थी, मिल गयी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—बस्ती जिला परिषद ने अपने अध्यापकों को नवीन वेतन क्रम १-४-५१ से देना आरम्भ किया है। मंहगाई का भता धनाभाव के कारण संशोधित दर से नहीं दिया जा रहा है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् ५० में १ रू० ९ आना फीस थी जो अब ४ रुपया हो गई है लेकिन अब भी मंहगाई की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां यह संभव हो सकता है।

श्री शिवनारायण—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बस्ती ने सरकार से ४ लाख रुपये की मांग वेतन और मंहगाई देने के लिये की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—४ लाख ५० हजार रुपये की मांग थी लेकिन ७५ हजार रुपया दिया गया है।

*४२-४३—श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—[ देखिये आगे पृष्ठ.. ३६९ .. पर ]

*४४—श्री राम सुभग वर्मा—[मुख्य मंत्री से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर २८ अगस्त, १९५२ को संख्या ३८ के अन्तर्गत दिया गया।]

## राजकीय पाठशालाओं के अध्यापकों का प्रावीडेंट फंड काटा जाना तथा बोर्ड के प्रधान अध्यापकों का राजकीय पाठशालाओं में स्थानान्तरण

*४५—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राजकीय प्राइमरी पाठशाला जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मिला दिये गये तो राजकीय पाठशालाओं के अध्यापकों का प्रावीडेंट फंड क्यों नहीं कटता है और बोर्ड के प्रधान अध्यापकों का राजकीय पाठशालाओं में तबादिला क्यों नहीं होता ?

डाक्टर सीताराम—सदस्य का आशय शायद प्राविडेंट फंड से है। यह विषय शासन के विचाराधीन है। बोर्ड के प्रधानाध्यापकों का राजकीय पाठशालाओं में तबादिला करने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

**श्री यमुना सिंह**--क्या माननीय मंत्री जी बतलने की कृपा करेंगे कि प्रावीडेंट फंड वाला प्रश्न कब तक तय होगा ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**--जितनी जल्द हो सकेगा ।

## मिडिल स्कूल सतरिख जिला बाराबंकी, के मैनुअल मास्टर के विरुद्ध चन्दे का रुपया ग़बन करने की शिकायत

*४६--**श्री घनश्याम दास** (जिला बाराबंकी)--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि बाराबंकी जिले के मिडिल स्कूल सतरिख के मैनुअल मास्टर की शिकायत छात्रों द्वारा लगभग २५० रुपया चन्दा जमा कर के उसे खा जाने के संबंध में डिप्टी इन्स्पेटर आफ़ स्कूल्स के पास साल पूर्व हुई थी ?

**डाक्टर सीताराम**--शिकायती पत्र अध्यक्ष जिला परिषद् बाराबंकी को मिला।

*४७--**श्री घनश्याम दास**--क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जांच भी की गयी और शिकायत सही भी पायी गयी ?

**डाक्टर सीताराम**--जी हां।

*४८--**श्री धनश्याम दास**--यदि हां, तो उस अध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

**डाक्टर सीताराम**--अध्यापक को चेतावनी दी गयी है और उनके चरित्रावली में प्रतिकूल प्रविष्ट की गयी है उनसे यह भी कहा गया है कि वे छात्रों द्वारा जमा किये गये धन को पाठशाला के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों को वापिस करें अन्यथा वह धन उनके वेतन से काट कर बच्चों को दे दिया जायगा। इसके लिये उनका वेंतन रूका है।

**श्री घनश्याम दास**--क्या सरकार सिर्फ रुपये की वापसी करा देने की कार्यवाही को काफ़ी समझती है ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**--उसके साथ साथ उनके कैरेक्टर रोल में भी इंट्री कर दी गयी है।

## डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स, बाराबंकी का डाक बंगले में निवास

*४९--**श्री उमाशंकर मिश्र** (जिला बाराबंकी)--क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में वर्तमान डिप्टी इंस्पेक्टर आफ़ स्कूल्स कब से हैं।

**डाक्टर सीताराम**--जुलाई ११, १९५१ से ।

*५०--**श्री उमाशंकर मिश्र**--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि जब से वर्तमान डिप्टी इंस्पेक्टर आफ़ स्कूल्स बाराबंकी में हैं तब से वह लगातार स्वयं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डाक बंगले के समस्त कमरों पर क़ब्ज़ा किये हैं ?

**डाक्टर सीताराम**--निवास स्थान न मिल सकने के कारण डिप्टी इन्सपेक्टर को बाध्य होकर १-४-५२ से बोर्ड के डाक बंगले के केवल एक कमरे में निर्वाह करना पड़ रहा है। जैसे ही उनको रहने का भवन मिल जायगा वे वहां से चले जायेंगे।

**श्री उमाशंकर मिश्र**--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग का निवास स्थान वर्तमान डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के लिये सुरक्षित था ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**--इसकी कोई सूचना नहीं है।

*५१--**श्री उमाशंकर मिश्र**--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि लगभग २ वर्ष से उक्त डाक बंगले में कोई अधिकारी यात्री ठहरने नहीं पाया ?

**डाक्टर सीताराम**--ऐसी बात नहीं है। रिक्त कमरों में जो भी यात्री ठहरना चाहते हैं ठहरे हैं। यहां तक कि १८-७-५२ को भी यात्री का ठहरना और किराया देना पाया जाता है।

## जौनपुर जिलें में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड हरिजन छात्रों को परीक्षा के निकट पुस्तकें देना

*५२--**श्री बाबू नन्दन**--क्या यह सच है कि जौनपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसपल बोर्ड के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो पुस्तकें हरिजन छात्रों को दी गयीं वह परीक्षा समय के नजदीक दी गयीं ?

**डाक्टर सीताराम**--जिला परिषद् के स्कूलों के हरिजन छात्रों को पुस्तकें तो अवश्य परीक्षा के निकट बांटी गयीं थी परन्तु नगर परिषद् के हरिजन छात्रों को पुस्तकें परीक्षा से कहीं पहले बांटी गई थीं।

**श्री बाबूनन्दन**--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पुस्तकें हरिजन विद्यार्थियों को परीक्षा के निकट दी गयीं उससे हरिजन छात्रों को जो क्षति पहुंची, उसके संबंध में कोई कार्यवाही की जायगी कि नहीं ? यदि नहीं की जायगी तो क्यों ?

**डाक्टर सीताराम**--जी हां, की जायगी।

**श्री बाबूनन्दन**--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कार्यवाही कब की जायगी ?

**डाक्टर सीताराम**--जल्दी ही की जायगी।

**श्री रामदास आर्य**--(जिला मुजफ्फरनगर)क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी पुस्तकें देर में दिये जाने के कारण बतला सकते हैं।

**श्री हरगोविन्द सिंह**--यहां से ग्रांट्स डिस्ट्रिक्ट बोड्स को देर में दी गयी। म्युनिसिपैलिटियों ने तो अपने पास से किताबें बांट दीं और बाद में ग्रांट मिलने पर उसमें से काट लिया लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने बिना ग्रांट पाये किताबें नहीं दीं। इसी से देर हुई। आयन्दा यह कोशिश है कि अब यह गलती न हो

*५३--**श्री बाबूनन्दन**--यदि नहीं, तो किस महीने और तारीख को दी गयी ?

**डाक्टर सीताराम**--जिला परिषद् के स्कूलों के हरिजन छात्रों को पुस्तकें गत अप्रैल की २१ से २८ तारीख तक बांटी गई और नगर परिषद् के हरिजन छात्रों को १५ अगस्त तथा २६ सितम्बर १६५१ को बांटी गई थी।

*५४--श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर)--(मुख्य मंत्री से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर २८ अगस्त, १९५२ को संख्या ३५ के अन्तर्गत दिया गया।)

## बस्ती जिले के शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग

*५५--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि बस्ती जिले के जिला बोर्ड के कुछ सदस्यों ने डिप्टी इंस्पेक्टर, शिक्षा विभाग द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने पर जिला अध्यक्ष बोर्ड को लिखित प्रार्थना पत्र देकर प्रांतीय सरकार का ध्यान खींचा था ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्री प्रभुदयाल--क्या सरकार कृपा कर के बतावेगी कि जिला बोर्ड के सदस्यों ने डिप्टी इंस्पेक्टर साहेब पर किन किन चीजों का दोषारोपण किया था ?

श्री हर गोविन्द सिंह--इसकी सूचना नहीं है।

श्री प्रभुदयाल--क्या जिला बोर्ड में डिप्टी इंस्पेक्टर साहेब के दुर्व्यवहार पर कामरोको प्रस्ताव लाकर इसका विरोध किया गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, इसकी सूचना मांगी जा रही है।

## बस्ती जिला बोर्ड के जूनियर हाई स्कूलों में अंग्रेजी विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या

*५६--श्री प्रभुदयाल--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला बोर्ड के जूनियर हाई स्कूलों में अंग्रेजी विषय में फेल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम--६८६

## विलीनीकृत रामपुर राज्य के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का प्रदेशीय शिक्षा विभाग में समावेश किया जाना

*५७--श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले के रियासत कालीन शिक्षा विभागान्तर्गत कर्मचारी अभी तक प्रदेशीय शिक्षा विभाग द्वारा खपाये नहीं गये हैं तथा रियासत के विलीनीकरण को आज ढाई वर्ष से भी अधिक हो जाने पर भी उनका अस्थाई रूप ही चल रहा है ?

डाक्टर सीताराम--(क) कुछ शेष रह गये हैं।

(ख)--जी हां।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या यह सही है कि इसी एक कारण से वहां की शिक्षा संस्थाओं की नीति और व्यवस्था प्रांतीय स्तर पर नहीं आ सकी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--नहीं, उस स्तर पर है।

*५८--श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक उक्त कर्मचारियों के संबंध में अन्तिम निर्णय हो सकेगा ?

डाक्टर सीताराम--शीघ्र ही।

**वाह, जिला आगरा में अतिरिक्त पुलिस पर व्यय तथा उसका अपराधों पर प्रभाव**

*५९---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाह (आगरा) में पिछले दस वर्षों में अतिरिक्त पुलिस के ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ और उससे अपराधों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णा नन्द---गत दस वर्षों में वाह, जिला आगरा में पुलिस ऐक्ट की धारा १५ के अधीन कोई अतिरिक्त पुलिस नियुक्त नहीं की गई । परन्तु जनवरी, सन् १९४८ से जून सन् १९५२ तक थाने की नियुक्त पुलिस संख्या के अलावा अतिरिक्त पुलिस पर लगभग १६ लाख रुपया खर्च हुआ इससे अपराधों की संख्या में काफी सुधार हुआ जो साथ में नत्थी नकशे से विदित है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४३६ पर)

*६०-६२---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---[५ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

**हरिजन सहायक विभाग द्वारा आर्थिक उन्नति एवं उद्योग के लिये आर्थिक सहायता**

*६३---श्री राम लखन (जिला बनारस)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हरिजन सहायक विभाग से १९४८ सन् से मार्च, १९५२ तक कितने लोगों को आर्थिक उन्नति एवं ग्राम उद्योग के लिये आर्थिक सहायता दी गई और कितना कितना रुपया सहायता स्वरूप दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---हरिजन सहायक विभाग से सन् १९४८ से मार्च सन् १९५२ तक किसी को भी ग्राम उद्योगों के लिये आर्थिक सहायता नहीं मिली। कारण यह है कि इस प्रकार की पृथक् योजना तब तक स्वीकृत नहीं थी कुटीर उद्योग विभाग द्वारा अन्य व्यक्तियों की भांति हरिजनों को भी इस प्रकार की सहायता दी जाती थी ।

श्री रामलखन---क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् ४८ से ५२ तक के बजटों में जो हरिजनों के लिये उद्योगों का रुपया था वह लैप्स हो गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां ।

श्री राम लखन---क्या सरकार का जो संख्या लैप्स हो गया है उसे फिर से पूरा करने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इमसाल के बजट में माननीय सदस्य ने देखा होगा १ लाख रुपया प्रोवाइडेड है।

*६४-६५---श्री रामलखन---[४ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थानान्तरित संख्या ४७-४८ के अन्तर्गत किये गये ।]

**१९५१ तथा १९५२ में डाकों की संख्या**

*६६---श्री केवल सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १९५१ तथा १९५२ ई० में कितने डाके पड़े ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५१ में ९३५ तथा १९५२ में (३० जून तक) ३५७ डाके पड़े।

## जिला बुलन्दशहर में १९५१--५२ में डाके तथा डाकुओं पर मुकदमे

*६७--श्री केवल सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में सन् १९५१ व सन् १९५२ ई० में अब तक कितने डाके पड़े और अब तक डाकुओं के ऊपर न्यायलाय में कितने मुकदमें चलाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५१ में २३ व सन् १९५२ में तारीख १३-८-५२ तक १०, डाके पड़े। इनमें से सन् १९५१ में २३ और सन् १९५२ में ७ मामले न्यायालय में चलाये गये।

## थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के कांस्टेबिल श्री रहमत उल्ला का बेगार में पेड़ न काटने के कारण श्री राम प्रीति गौड़ को पीटना

*६८--श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस चौकी दुबारी थाना मधुबन जिला आजमगढ़ के कांस्टेबिल श्री रहमत उल्ला के विरुद्ध दुबारी के श्री राम प्रीति गौड़ को कोई इस आशय की दरख्वास्त आई है कि उन्होंने बेगार में पेड़ न काटने के कारण मारा और उसी दिन २३ मई को और आदमियों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। २५-६-५२ को जिलाधीश के यहां इस आशय का एक प्रार्थना पत्र आया था जिस पर अभी जांच हो रही है।

## ग्राम फूलेशू, जिला आजमगढ़ के सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता श्री भगवती राम को दीदार गंज के थानेदार द्वारा पीटा जाना

*६९--श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फूलेशू, थाना दीदार गंज के सोशलिस्ट पार्टी के कार्य कर्त्ता श्री भगवती राम को दीदार गंज (जिला आजमगढ़) के थानेदार श्री रामाधार यादव ने मारा और सर का बाल उखाड़ लिया और इस कार्य के विरुद्ध किसानों का प्रदर्शन भी हुआ था ? क्या जांच करके कोई कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सही नहीं है कि दीदार गंज के थानेदार ने श्री भगवती राम को मारा या उनके बाल को उखाड़े। ता० २८-५-५२ को धारा ४५७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक अपराध की जांच के सिलसिले में थानेदार दीदारगंज ने श्री भगवती राम से भी कुछ पूछताछ की ? इस बात में उन्होंने अपनी मान हानि समझी और इस पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ व्यक्तियों को जमाकर एक प्रदर्शन किया। श्री भगवती राम ने एक प्रार्थना पत्र अधीक्षक पुलिस को भी भेजा जिसकी जांच करने पर पता चला कि सब-इंस्पेक्टर ने जाँच के संबंध में कुछ कठोर व्यवहार किया इसके फलस्वरूप उसको चेतावनी दी गई और उसके अमाल नामे में एक इन्द्राज कर दिया गया है।

## शाहपुर, जिला आजमगढ़ के निवासी सिद्धू राम के घर में कांस्टेबिल श्री जयनाथ सिंह तथा एक चमार द्वारा सामान उठा ले जाना

*७०--श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या पुलिस मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धूराम हरिजन, ग्राम शाहपुर, थाना पवई, जिला आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र इस आशय का आया है कि उनके घर में पवई थाने के कांस्टेबिल श्री जयनाथ सिंह काशी चमार के साथ बिना किसी के आदेश के घुस गये और बहुत सा सामान तोड़ा और उठा ले गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। परन्तु जांच होने पर आरोप निर्मूल पाये गये।

## थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के नायब थानेदार द्वारा कतिपय किसानों पर अत्याचार

*७१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ताजपुर, थाना मधुबन जिला आजमगढ़ के ९ दुखित किसानों का दरख्वास्त इस आशय की आयी है कि वहां के नायब थानेदार ने एक आदमी की मुच्छ उखाड़ ली और समीपस्थ ग्राम कटया के एक आदमी को घोड़े की गरदन में बांध कर मीलों दौड़ाया तथा बेहोश होने पर भी नहीं छोड़ा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। ऐसा कोई प्रार्थना पत्र न तो सरकार के पास आया है और न स्थानीय अफसरों को मिला।

*७२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या पुलिस मंत्री को यह मालूम है कि उक्त थानेदार ने ही पवई थाने के दो आदमियों को भी घोड़े के साथ मीलों दौड़ाया था तथा इनके विरुद्ध अदालत में अय्याशी तथा चोरी करवाने का इस्तगासा भी दाखिल हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह असत्य है कि इस सब इंस्पेण्टर ने पवई थाने के दो आदमियों को घोड़े के साथ मीलों दौड़ाया। सन् १९५१ ई० में उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा ३७६ के अन्तर्गत एक मुकदमा अवश्य चला था किन्तु वह जिलाधीश के यहां से खारिज हो गया और सब इंस्पेक्टर निर्दोष मुक्त किया गया ।

*७३--श्री रामसुन्दर पांडेय--यदि हां, तो उक्त थानेदार के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही भी की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपरोक्त कारणों से इस सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।

## भूतपूर्व कांस्टेबिल श्री महेश प्रसाद द्वारा विधान भवन के सामने भूख हड़ताल

*७४--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को मालूम है कि एक भूतपूर्व कांस्टेबिल श्री महेश प्रसाद गत ६ दिनों से विधान भवन के ठीक सामने भूख हड़ताल कर रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार को पता चला है कि भूतपूर्व कांस्टेबिल महेश प्रसाद विधान सदन के सामने ११ जूलाई से १६ जूलाई तक सुबह ८ बजे से संध्या तक धरना देता रहा है। सरकार को यह पता नहीं कि उसने भूख हड़ताल भी की परन्तु जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार प्रमुख कांस्टेबिल सुबह कुछ खा कर आता था और लौट कर जाने पर भी कुछ खाता था। इस कांस्टेबिल का कहना यह है कि जब वह १९५० में पुलिस ट्रेनिंग कालेज में था उसने गीता प्रचार की आज्ञा मांगी थी जिसके फलस्वरूप उसको अपने जिले को बिना ट्रेनिंग खतम किये वापस कर दिया गया था और तदुपरांत बर्खास्त कर दिया गया।

## राजकीय पाठशालाओं तथा जिला बोर्डों के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का वेतन तथा प्राविडेंट फण्ड

*७५--श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जब से राजकीय पाठलशालाओं को सरकार ने जिला बोर्डों को सौंप दिया है तब से भी क्या राजकीय पाठशालाओं तथा जिला बोर्डों के अध्यापकों और अध्यापिकाओं के वेतन आदि की सुविधाओं में कोई अन्तर रखने की सरकार की नीति है ?

श्री हरिगोविन्द सिंह—जी नहीं, किसी प्रकार के अन्तर रखने की नीति नहीं है।

*७६—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी—यदि नहीं, तो क्या शिक्षा मंत्री को यह मालूम है कि राजकीय पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं का प्राविडेंट फंड नहीं जमा होता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह प्रश्न शासन के विचाराधीन हैं।

*७७–७९—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—[१९ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

## लखनऊ विश्वविद्यालय में नये विज्ञान विभाग के लिए ग्रांट

*८०—श्री नेकराम शर्मा—बढ़ते हुये छात्रों की संख्या देख कर क्या सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग में नये सेक्शन खोलने के लिये कोई ग्रांट देने पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

## लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास स्थान निर्माण के लिये ग्रांट

*८१—श्री नेकराम शर्मा–क्या सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास स्थान बनाने के लिये ग्रांट देने के लिये इरादा रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—किस प्रकार निवास स्थान का प्रबंध किया जाय इस पर सरकार विचार कर रही है।

*८२—८३–श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[१९ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*८४–८६—श्री किन्दरलाल (जिला हरदोई)–[१९ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

## जौनपुर जिले में डाके

*८७—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जनवरी सन् १९५१ ई० से जून सन् १९५२ ई० तक किस थाने के अन्तर्गत कितने डाके पड़े ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४३७ पर)

*८८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन डाकों को रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गयी अथवा की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डाकों के संबंध में पूर्ण रूप से जांच की गयी और हर डाका चालान किया गया। ऐसे क्षेत्रों में विशेष संरक्षकों (armed-gurads) की व्यवस्था की गयी है। जिले में जगह जगह सभायें करके डाकुओं का मुकाबला करने के लिये प्रचार किया गया।

*८९-९०-श्री बसन्तलाल शर्मा (ज़िला बहराइच)--[१९ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

## देहाती क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं क़ी इमारतों क़े निर्माण क़े लिये सरकारी सहायता

*९१--श्री नागेश्वर द्विवेदी (ज़िला जौनपुर)--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में सरकार द्वारा स्थापित प्राथमिक पाठशालाओं की इमारतों के निर्माण में सरकार अपना अंश या निश्चित रकम की ग्रांट देने को अब भी तैयार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

*९२--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितने ऐसे स्कूलों को सरकार द्वारा अपना अंशदान पूरा पूरा दिया गया और कितने स्कूल इस सहायता से अब भी वंचित हैं, जिसके कारण उनका काम अपूर्ण पड़ा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--१९ पाठशाला भवनों के लिये जो तैयार हो गये हैं पूर्ण सरकारी सहायता दी जा चुकी है । ९२ पाठशाला भवनों के लिये जिनमें कुछ अकाम अभी शेष है, आंशिक सहायता दी गयी है और अवशेष १२८ भवनों को अभी तक सहायता देना सम्भव नहीं हुआ है ।

*९३--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि सरकार द्वारा स्थापित प्राथमिक पाठशालाओं के भवन निर्माण के अधूरे काम को पूरा करने के लिये सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, इस कार्य के लिये २ लाख रुपये की धनराशि इस वर्ष के आयव्ययक में रखी गयी है जिसमें समस्त ज़िला परिषदों को जो सहायता सम्भव होगी दी जायगी।

## अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कालेज के प्रवेश में हिन्दू-मुसलमान अनुपात

*९४--श्री श्री निवास (ज़िला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में कितने विद्यार्थी अलीगढ़ मुसलिम इंजीनियरिंग कालेज से उत्तीर्ण हुये और उनमें से कितने पाकिस्तान चले गये ?

*९५--क्या सरकार की नीति विश्वविद्यालयों से भी साम्प्रदायिकता को हटाने की है ? यदि हां, तो क्या इस इंजीनियरिंग कालेज में कोई अनुपात दाखिले के संबंध में हिन्दू मुसलमान का रक्खा जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह --प्रदेशीय सरकार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और जो बातें इन प्रश्नों में पूंछी गयी है उसका संबंध भारत सरकार से है।

## पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा राजकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहजहांपुर की इमारत का निर्माण

*९६--श्री भगवान सहाय (ज़िला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, शाहजहांपुर में जो इमारत व बड़ा कमरा दो तीन साल पहले बनाया गया था उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस भवन निर्माण का व्यय ४५,३२३ रु० हुआ।

*९७—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि बनवाने के बाद पहली ही बारिश के बाद इस इमारत के में दरारें आ गयीं जिससे यह इमारत इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रही?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, परन्तु इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि कमरे इस्तेमाल में नहीं हैं।

*९८—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि यह इमारत पी० डब्ल्यू० डी०, शाहजहांपुर ने बनवाई थी?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

## बेकारी की समस्या को हल करने के लिये व्यवस्था

*९९—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने बेकार (unemployed) व्यक्ति हैं और उनमें कितने अशिक्षित और कितने शिक्षित बेकार हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—Employment Exchange के आंकड़ों के अनुसार ३१ जुलाई १९५२ को इस राज्य में ९०,४२० व्यक्तियों के नाम नियोजन के लिये दर्ज थे। इनमें १६,१६९ skilid ४०,७४८ unskilled तथा ३३,५०३ व्यक्ति शिक्षक तथा क्लर्कों के स्थानों के लिये दर्ज थे। शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के आंकड़े नहीं रखे जाते। यह अंक पूर्ण रूप से सही नहीं कहे जा सकते क्यों कि बेकार व्यक्तियों को नियोजन संस्थाओं में नौकरी पाने के लिये अपना नाम दर्ज कराने को बाध्य करने के लिये सरकार को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

*१००—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वह प्रदेश में बेकारी की समस्या को हल करने के लिये क्या क्या उपाय काम में लाने का इरादा रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बेकारी का प्रश्न एक बहुत व्यापक और सारे देश का प्रश्न है। सरकार इस पर बराबर विचार करती आ रही है। औद्योगिक शिक्षा के प्रसार से बेकारी का सामना करने में कुछ सहायता मिलने की आशा है। कुछ लोगों को नवतोड़ भूमि पर बसाने का भी यत्न किया जाता है पर इस उपायों से बहुत काम नहीं निकल सकता। इस संबंध में जो भी सुझाव दिये जायं सरकार उनका स्वागत करेगी।

*१०१-१०३—श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—[१२ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

## आगरा में साइकोलाजिकल ब्यूरो

*१०४—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा में साइकोलाजिकल ब्यूरो की शाखा खोलने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

इस प्रकार की शाखायें अभी केवल एक प्रति रीजन (क्षेत्र) के हिसाब से खोली गयी हैं। यह शाखायें निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

| | |
|---|---|
| १—मेरठ—आगरा रीजन— | मेरठ |
| २—रुहेलखंड—कुमायूं रीजन— | बरेली |
| ३—इलाहाबाद—झांसी रीजन— | कानपुर |
| ४—बनारस—गोरखपुर रीजन— | बनारस |
| ५—लखनऊ—फ़ैजाबाद रीजन— | लखनऊ |

* * *

## शिक्षा विभाग के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की पेन्शनों, जनरल प्राविडेंट फंड व इंश्योरेंस पालिसियों का भुगतान

*१३—श्री अवधेशप्रताप सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग के कितने कर्मचारी सन् १९५१ में अप्रैल से सितम्बर तक ५५ साल की अवस्था हो जाने पर हटाये गये ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**—५१†।

*१४—श्री अवधेशप्रताप सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनमें से कितने कर्मचारियों की पेन्शनों पर उसने अभी तक स्वीकृति नहीं दी ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**—२५†।

*१५—श्री अवधेशप्रताप सिंह (अनुपस्थित)—क्या उन कर्मचारियों को उनके जनरल-प्राविडेंट व इन्श्योरेंस पालिसी इत्यादि के रुपये दे दिये गये या अभी नहीं ? यदि नहीं दिये गये, तो क्या कारण है, तथा कब तक वे रुपये उन्हें दे दिये जायेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—केवल ६ अंश दाताओं ने अपने जी० पी० फंड के अन्तिम भुगतान के लिये प्रार्थना की थी और उनका भुगतान कर दिया गया है। जी० पी० फंड या इन्शोरेंस पालिसी के धन का भुगतान समुचित समय आने पर एकाउन्टेन्ट जनरल, उ० प्र० करते हैं। इस संबंध में अंशदाता का प्रार्थना पत्र मिलते ही वह एक प्रमाण पत्र के साथ एकाउन्टेन्ट जनरल को भेज दिया जाता है कि अंशदाता ने अपने अवकाश ग्रहण करने से १२ महीने पूर्व कोई ऋण लिया था या नहीं।

* * *

## माध्यमिक स्कूल तथा इंटर कालिजों के मैनेजमेन्ट में अध्यापकों के प्रतिनिधि

*२३—श्री हरिप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भूतपूर्व सरकार ने सहायक माध्यमिक स्कूल तथा इंटर कालिजों के मैनेजमेंट के विधान में संशोधन किया था और यह नियम बनाया था कि उसकी कार्यवाही में एक अध्यापक सदस्य रहेगा जो कि उस स्कूल अथवा कालेज के अध्यापकों का प्रतिनिधि होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

*२४—श्री हरिप्रसाद (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या इस नियम का सर्वत्र पालन किया गया ? यदि नहीं, तो ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध जिन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

---

†इन संख्याओं में सेवा मुक्त लिपिकों की संख्यायें नहीं शामिल हैं क्योंकि उनके बारे में सूचना नहीं प्राप्त हो सकी।

**श्री हरगोविन्द सिंह**---इस संबंध में कानूनी तथा वैधानिक दृष्टिकोण से पूर्णरूपेण पुनर्विचार के पश्चात् हाल में कुछ आदेश जारी किये गये हैं। कुछ समय तक उनकी प्रतिक्रिया तथा प्रभाव को देखने के बाद जैसा उचित होगा कार्यवाही की जायगी।

* * *

## मिर्ज़ापुर ज़िले में चील्ह थाने के अन्तर्गत श्री मुरलीधर शुक्ल तथा श्री भोनू शुक्ल की हत्या

*४२---**श्री बेचनराम गुप्त** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में चील्ह थाने के अन्तर्गत हाल में श्री मुरलीधर शुक्ल तथा श्री भोनू शुक्ल की हत्या हुई है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जी हां।

*४३---**श्री बेचनराम गुप्त** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि घटना के ६ घंटे बाद चील्ह के सब-इंस्पेक्टर घटनास्थल पर जांच के लिये पहुंचे?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जी नहीं।

## अतारांकित प्रश्न

### देवरिया ज़िले में प्रदेश की सीमा पर पुलिस चौकियों की स्थापना

१---**श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया ज़िले के पूर्वीय क्षेत्र के थाना खामपार तथा लार के अन्दर जो कि बिहार के सरहद पर है जहां चोरियों की संख्या काफी है कोई विशेष प्रबंध पुलिस का किया गया है?

२---अगर नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करने का इरादा करती है कि सरहद के करीब कुछ पुलिस चौकियां क़ायम कर दें?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---देवरिया ज़िले के पूर्वी क्षेत्र के थाना खामपार तथा लार के अन्दर अभी पुलिस का कोई विशेष प्रबंध नहीं है। परन्तु अब खामपार और लार थानों के अधीन कुछ ग्रामों को मिला कर एक नया थाना तथा कुछ नयी पुलिस चौकियों के स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

३---**श्री रामरतन प्रसाद** (ज़िला बलिया)---[२६ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

---

## बुलन्दशहर सत्याग्रह के विषय में गृह मंत्री के वक्तव्य पर विवाद करने के लिये प्रार्थना

**श्री राजनारायण** (ज़िला बनारस)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब २५ तारीख को बुलन्दशहर के बारे में ऐडजर्नमेंट मोशन (स्थगन-प्रस्ताव) आया था तो उस दिन माननीय वित्त मंत्री जी के इस आश्वासन पर कि सरकार एक स्टेटमेंट देगी आपने उस दिन ऐडजर्नमेंट मोशन को एलाऊ नहीं किया था। हमारे गृह मंत्री जी ने जो बुलन्दशहर के बारे में स्टेटमेंट दिया उसके लिये मेरी धारणा है और मेरे पास ऐसे प्रमाण भी हैं कि स्थानीय कर्मचारियों ने उनको गलत सूचना दी है। जैसे मंत्री जी ने कहा कि २६ तारीख को बुलन्दशहर में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई; मैं पूरी जानकारी के साथ कहता हूं कि २६ तारीख को आठ सत्याग्रही और २७ को १४ सत्याग्रही गिरफ्तार हुये; और आगे भी सत्याग्रह शान के साथ चल रहा है।

**अध्यक्ष**---तो अब आप चाहते क्या हैं?

श्री राजनारायण—तो मैंने कल उस संबंध में आपसे लिखित निवेदन किया था कि हमें इजाजत दी जाय कि जो माननीय गृह मंत्री जी के बयान में गलतबयानी है उसके बारे में सदन के सम्मानित सदस्यों को अवगत करा दूं।

अध्यक्ष—जब सरकार कोई वक्तव्य देती है उस वक्त उसके विरोध में कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। माननीय सदस्य अगर उसके ऊपर वादविवाद करना चाहें तो सरकार से कोई समय नियुक्त करा लें और उसके ऊपर वादविवाद हो जाय या कोई प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले उसके लिये माननीय सदस्य के लिये आध घंटा समय दिन का समाप्त होने पर मिल सकता है। दो तरीके तो ये हैं। तीसरा तरीका यह है कि कोई प्रस्ताव इस किस्म का लाये जो कि शुक्रवार के लिये जो नान आफिशियल डे (असरकारी दिन) हो तो वह उस दिन के लिये बैलेट में आजाये तो उस पर विचार हो सकता है। ये तीन तरीके माननीय सदस्य के लिये खुले हुये हैं जो वह उचित समझें उस रास्ते को वह अख्तियार करें।

## बकरीद के अवसर पर सदन को ३ दिन तक स्थगित रखने का सुझाव

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल से शायद असेम्बली बन्द हो रही है। और पहली तारीख को बकरीद की छुट्टी हो रही है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि बकरीद का जश्न तीन दिन तक चलता है और अगर कल भी इजलास कर लिया जाय और फिर इतवार, एकशम्बा और दुशम्बे को छुट्टी रहे तो सरकार को भी कोई तकलीफ नहीं होगी और हम भी बकरीद के मरासिम अदा कर सकेंगे।

अध्यक्ष—माननीय फाखरी साहब से इस के बारे में मैं यह अर्ज करूंगा कि वे सरकार से इस विषय में चर्चा कर लें और कोई इस किस्म का प्रस्ताव ले आयें कि कल भी यह सदन बैठे। तो यह तो हो सकता है लेकिन उसके आगे मैं इस वक्त कोई फैसला देने के लिये तैयार नहीं हूं।

## पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२

### *खण्ड २ (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार जारी रहेगा। माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी अब उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मुझे कोई उत्तर नहीं देना है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) के अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट, १८६१ की पुनः परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) के बाद बढ़ाई गई नई उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :—

"Provided that (1) for the managment of the *mela* or Bazar etc. concerned, volunteers selected from the Scouts' organisation or Prantiya Raksha Dal or volunteers recruited temporarily by the Gaon Panchayats or the local bodies where section 34 of the Police Act of 18 not applicable, will be utilized in place of police constables by the Superintendent or Superintendents of Police of the area concerned.

---

*२८ अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

(2) The expenses incurred in this connexion will be borne by the police department.

(3) The latrines and urinals will be constructed in the area on Government expenses."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री बलवीर सिंह** (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है वह यह है कि खंड २ के उपखंड (३) के अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट, १८६१, की पुनः परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) के बाद प्रस्तावित उपधारा (३) की दूसरी पंक्ति के शब्द "or an unspecified" निकाल दिये जायं।

तीसरा खंड जो इसमें दिया है वह यह है कि---

"The extension under sub-section (2) may be either for a specified or an unspecified period and in respect of all or any of the offences as may be specified."

इस धारा ३४ के अन्तर्गत यह जो संशोधन किया गया है उसका मंशा यह है कि किसी रूरल एरिया में इस धारा को लागू कर दिया जायगा और खास कर उन जिलों में जब कि कोई मेला या बाजार हो या किसी कारण जरूरी समझा जाय। तो उसमें एरिया स्पेसिफाइड होगा। जो अपराध होंगे वे भी स्पेसिफाइड होंगे। तो कोई वजह नहीं है कि जब तक यह पूरे समय तक के लिये लागू न समझा जाय क्यों न उसमें समय स्पेसिफाइड किया जाय और जब समय स्पेसिफाइड करने के लिये भी इस तीसरे खंड में दिया गया है---

"The extension under sub-section (2) may be either specified or an unspecified period .....

इसके मानी यह हैं कि जो संशोधन सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसमें भी उन्होंने इसे "Specified" रखा है तो "or an unspecified" की जरूरत नहीं थी।

**अध्यक्ष**---क्या माननीय सदस्य "either" को भी निकाल देंगे। क्योंकि जो आपका संशोधन है उसके अनुसार "either" की आवश्यकता नहीं है।

**श्री बलवीर सिंह**---जी हां, "either" भी इसमें से निकल जायगा।

**अध्यक्ष**---अतिरिक्त और भी दुरुस्ती आपको करनी पड़ेगी।

**श्री बलवीर सिंह**---मंशा सिर्फ संशोधन का यह है कि सिर्फ "Specified period" के लिये, एक निश्चित समय के लिये रखा जाय। मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि यह "either" रह गया नजर से, लेकिन मंशा उसका यही है कि जब "or an unspecified" निकल जायगा तो "either" भी हटाना जरूरी है। यदि समय निश्चित नहीं रखा जाता तो उसका दुरुपयोग होगा। अगर समय निश्चित न किया गया तो उसके मानी यह हो जायेंगे कि अधिकारी लोग इसको जब तक चाहें तब तक लागू कर सकते हैं और यह कानून एक ठोस कानून नहीं होगा। इस सदन से आशा की जाती है कि एक ऐसा ठोस कानून बनाया जाय जिसमें आगे जाकर मुकदमों में रूलिंग न हो और उसके भिन्न भिन्न अर्थ न लगाये जायं और दुरुपयोग न हो। इस मेरे संशोधन से यह आशय पूरा हो जाता है। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री इसको मान लेंगे।

**गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

**अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) के अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट, १८६१, की पुनः परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) के बाद प्रस्तावित उपधारा (३) की पहली पंक्ति में शब्द "may be either" के स्थान पर शब्द "shall be" रक्खेजायं और दूसरी पंक्ति के शब्द "or an un specified" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

### पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

१८६१ का ऐक्ट ५ उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के लिए पुलिस ऐक्ट, १८६१ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिए

### विधेयक

१८६१ का ऐक्ट ५ उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के लिए पुलिस ऐक्ट, १८६१ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ । १---(१) इस अधिनियम का नाम पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों पर अभी इस भवन के सामने बातें करने की आवश्यकता नहीं है । जो उद्देश्य और कारण इस विधेयक के साथ में लिखे हुये बांटे गये हैं, उनमें कारण बता दिये गये हैं। मेडिकल और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे पद हैं जिन के नामों में मेडिकल और पब्लिक हेल्थ विभागों के पुनःसंगठन के बाद तब्दीलियां हो गयी हैं और केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ इंडियन नर्सेज कौंसिल जो विधेयक है उसमें कुछ ऐसी योग्यतायें नर्सेज के संबंध में मान ली गयी हैं जो योग्यतायें सारे देश में मानी जा रही हैं। इस कारण इस विधेयक के अन्तर्गत वे योग्यतायें मान्यता रखें । इस विधेयक द्वारा उक्त तब्दीलियां करने की चेष्टा करने का प्रयत्न किया जा रहा है और साथ ही में जो और तब्दीलियां इन कारणों से सन् १९३४ के इस प्रदेश के नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज के कानून में करनी आवश्यकीय हैं उनके करने का विचार इस विधेयक के द्वारा किया गया है ।

दफा ४ और २३, १९३४ के अधिनियम की हमें अधिकांश रूप में तब्दील करनी। हैं जिनके द्वारा वे बातें, जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया है, की जा सकेंगी इन कारणों से मैं इस विधेयक को इस सदन के विचारार्थ उपस्थित करता हूं ।

*१८ अगस्त, १९५२ को कार्यवाही में छपा है ।

**श्री मदन गोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। वह एक ऐसा विधेयक है जिसका संबंध हम सभी लोगों के साथ है। हमारे देश में जितने भी परिवार वाले आदमी हैं सब को अपने जीवन में कभी न कभी नर्सेज और मिडवाइव्ज का सामना करना पड़ता है। तो यह कानून बड़ा व्यापक है और उसका संबंध हम सब लोगों से है। लेकिन यह कानून जितना कि कागजों के अन्दर है वह बिल्कुल अव्यवहारिक सा है। इसके अन्दर वह जान नहीं है जो जान होनी चाहिये, इसके अन्दर वह सजीवता नहीं है जो होनी चाहिये, यह कानून तो बहुत पुराने ढंग का बना हुआ है।

आज जो संशोधन इस विधेयक में प्रस्तुत किया जा रहा है वह तो महज इस मुहकमे के अन्दर जो कानूनी परिवर्तन हुआ है अथवा केन्द्रीय सरकार ने जो एक कानून बना डाला है उसके परिणामस्वरूप जो परिवर्तन हुये हैं उन परिवर्तनों को कार्यरूप में परिणित करने के लिये ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस कानून के अन्दर जो कमियां हैं उनका जिक्र करूं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब कभी भी यह विधेयक फिर प्रस्तुत किया जाय तो जनता की जरूरतों को इसमें स्थान दिया जाय और उनके अनुसार परिवर्तन किया जाय। जहां व्यवहारिक नीति का संबंध है, चाहे नर्सेज का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे डाक्टर्स का रजिस्ट्रेशन हो और चाहे मिडवाइव्ज का रजिस्ट्रेशन हो, इनके रजिस्ट्रेशन के जो कानून हैं वे कभी व्यवहारिक उपयोग में नहीं लाये जाते। जितने अनक्वालिफाइड लोग हैं वे बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके खिलाफ किसी ऐक्ट के मुताबिक कोई कार्यवाही नहीं होती। इसमें एक बड़ी भारी व्यावहारिक अड़चन भी है, जिसका सब को अनुभव करना पड़ता है और खासकर नर्सेज और मिडवाइव्ज के संबंध में। हमारे देश में नर्सेज और मिडवाइव्ज की संख्या बहुत ही सीमित है। फिर भी जो कानून बनाया गया है उस कानून का एक मात्र उद्देश्य यह है कि बहुत ही अच्छी क्वालिफाइड नर्सेज या मिडवाइव्ज का ही रजिस्ट्रेशन किया जाय और केवल उन्हीं को एक मानोपली (एकाधिकार) मिल जाय कि वे ही इस देश के अन्दर कार्य कर सकें। इस बात का कोई प्रयत्न नहीं किया गया कि जब कम क्वालिफाइड नर्सेज और दाइयां देश के अन्दर काम कर सकती हैं, जिनसे ८० फीसदी जनता का काम चलता है, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिये, चाहे पढ़ने लिखने की शिक्षा न दी जाय, लेकिन कार्य करने की शिक्षा तो कम से कम दी ही जा सकती है।

हम देखते हैं कि देश में बड़े-बड़े कारीगर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन कारीगरी में वे बहुत अच्छे दर्जे के कारीगर हैं। इसी तरह से देश के अन्दर ऐसी धात्रियां भी हैं जो गरीब हैं, बेपढ़ी लिखी हैं लेकिन उनके अन्दर कौशल है, वे ऐसी कला को जानती हैं कि अगर उनको थोड़ी भी इस कला की शिक्षा दी जाय तो उनका बड़ा अच्छा उपयोग देश के अन्दर हो सकता है। इस कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको कोई प्रोत्साहन दिया जाय। इसी तरह से नर्सेज के कार्य का जो अनुभव है वह बहुत ही कटु है।

जहां तक इन नर्सों के रहन-सहन का संबंध है वह जनता के रहन-सहन से बिलकुल अलग है। उनका सम्पर्क गरीब जनता से होता ही नहीं है। उनका रहन-सहन गरीब जनता से बिल्कुल पृथक् है जिसका परिणाम यह होता है कि इन नर्सों की सेवाओं का जितना उपयोग जनता को करना चाहिये उतना नहीं हो पाता है। सब जगहों में नर्सेज रहती हैं, लेकिन बुलाने पर ही वे सेवाओं के लिये जाती हैं और फालतू समय में वे गरीब स्त्रियों से अपना संपर्क बिल्कुल स्थापित नहीं करतीं कि तुम गंदी क्यों रहती हो, तुमको इस तरह से रहना चाहिये या इस तरह का आचरण करना चाहिये ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस तरह की कोई भावना उनके अन्दर नहीं है और न अभी तक सरकार की तरफ से इस ओर कोई प्रयत्न ही किया गया है। हालां कि मुझे

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

विश्वास है कि गवर्नमेंट को यह भावना है कि उनमें सेवा-वृत्ति को भावना जागृत को जाय लेकिन अभी तक कुछ काम इस दिशा में नहीं हुआ है । बल्कि आज तो यह शिकायत इन नर्सेज और मिडवाइव्ज से नहीं, बल्कि डाक्टरों से भी है । इस वर्ग में भ्रष्टाचार का अच्छा मार्ग खुला हुआ है । बहुत से आदमियों को अनुभव होगा कि जब वे किसी परेशानी में होते हैं तो जैसे कि डिलवरी वगैरह का सवाल सामने होता है तो अच्छी तरह से रुपया खींचने में ये लोग जरा भी नहीं हिचकते हैं। इसका अनुभव तो सब को है । गो कि उनको इनाम वगैरह भी मिलता है, लेकिन इसके अलावा वह और भी रुपया खींचने की कोशिश करती हैं। इसलिये ग़रीब आदमी उनको बुलाने में हिचकते हैं कि यह इतनी फीस मांगेंगी। पैसा कहां से देंगे। मैं भी एक चिकित्सक हूं। मेरे पास जनता आती है, कहती है कि हम उनको फीस नहीं दे सकते हैं और इनके उपचार में जितना व्यय होता है वह हम नहीं दे सकते हैं। धात्री कर्म को कम खर्चीला बनाने के लिये, सेवा वृत्ति जाग्रत करने के लिये इस कानून में कुछ भी नहीं है। यह कानून तो बहुत पुराने किस्म का बना हुआ है ।

इसके अलावा एक भावना इसमें और है । ऐसा समझा जाता है कि ऐलोपैथी के अन्दर धात्री-शिक्षा का सारा कौशल भरा हुआ है और दूसरी चिकित्साओं में यह कौशल नहीं है । लेकिन यह वास्तविकता के विपरीत है । कम से कम देशी पद्धति २५/३० फीसदी ज्ञान कंट्रीब्यूट कर रही है और देहातों में इसका उपयोग हो रहा है । अगर इस कानून के अन्दर ऐसी गुंजायश हो सके कि इसके मातहत जो एक कौंसिल बनती है उसमें हकीम, वैद्य और होमियोपैथी के भी एक प्रतिनिधि हों तो बड़ा अच्छा हो और एक साथ जब ये लोग बैठेंगे और आपस में बार्ता करेंगे तो बहुत संभव है कि आयुर्वेदिक अपना कुछ कंट्रीब्यूशन ऐलोपैथी को कर सके और आयुर्वेदिक के लोग भी कुछ ऐलोपैथी से सीख सकें। उन्नति करने के लिये रास्ता खुला हुआ नहीं है । इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुये इस कानून के अन्दर परिवर्तन होने की आवश्यकता है। अभी तो केन्द्रीय सरकार के कानून के अधीन यह बना है और मेडिकल विभाग के पुनःसंगठन द्वारा जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उस की वजह से यह कानून लागू किया गया है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिन धात्रियों में कौशल है और जिन्हें सरकार मोनोपोली देने जा रही है उसमें सेवावृत्ति जागृत की जाय और जनता के साथ सम्पर्क स्थापित कराया जाय और कम से कम स्त्रियों के साथ इनका सम्पर्क बढ़ाया जाय और इस कौशल को अपनाया जाय। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हो तो वह बड़ी उपयोगी होगी । देहातों में जो दाइयां काम कर रही हैं उनको पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था न की जाय, लेकिन जबानी काम सिखाने की व्यवस्था की जाय और उनको छात्र-वृत्ति के रूप में कुछ दिया जाय तो ऐसी दाइयां सरकार को मिल सकती हैं। लेकिन जनता से सम्पर्क स्थापित करने की वृत्ति न तो नर्सेज में है, न इस विभाग के कर्मचारियों में है और न इस भावना की जागृति अभी तक हुई है । इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि धात्रियों को व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है और देहातों में जो काम करने वाली दाइयां हैं उनको अक्षर ज्ञान कराने के स्थान पर कौशल ज्ञान कराया जाय , किसी केन्द्र पर उनको बुलाया जाय और उन पर व्यय किया जाय, ताकि जनता का कल्याण हो और धात्रियों की जो कमी है वह पूरी हो जाय ।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--अध्यक्ष महोदय, मदन गोपाल वैद्य जी ने जो इस विधेयक के संबंध में आलोचना की उस आलोचना का संबंध इस बिल से तो था नहीं, उनकी शिकायत यह है कि जो नर्सेज हैं वे इस तरह से कार्य नहीं करती जिससे कि जनता की अधिक से अधिक सेवा हो सके और उनमें भ्रष्टाचार भी है । उनका यह भी कथन है कि आज कल की नर्सेज अव्यवहारिक हैं, उन्हें जनता के उन विचारों का पता हीं नहीं, न उन जरूरतों का जो रोजमर्रा के

जीवन में जनता को होती है । इस समय इस विधेयक के प्रस्तुत करने के समय इन आलोचनाओं की आवश्यकता न थी। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो ऐसा समझते हैं कि हमारे उत्तर-प्रदेश में जितनी नर्सेज हैं वे अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ नहीं करतीं। कभी-कभी कुछ ऐसी नर्सेज हो सकती हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से न निभाती हों, परन्तु अधिकांश संख्या में नर्सेज ऐसी हैं जो कार्य को जिम्मेदारी के साथ करती हैं और अपने कार्य को सद्भावना से और त्याग की भावना से निभाने की चेष्टा करती हैं । जहां तक देसी दाइयों का संबंध है तो उस विचार को इस विधेयक के अन्तर्गत समावेश नहीं किया जा सकता । जो कौंसिल नर्सेज, मिडवाइव्स इत्यादि की हैं जो मान्यता देने के लिये बनती हैं वे इस पर विचार कर सकती हैं वे यदि मिडवाइव्स को अपने रजिस्टर में स्थान देना चाहें तो दे सकती हैं जिसका कि उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने हमारे सामने इस भवन में किया है । मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि अधिकांश संख्या में जो ट्रेंड नर्सेज हैं वे हमारे एलोपैथिक अस्पतालों में काम करती हैं । नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिये कुछ समय की आवश्यकता है, कुछ साधनों की आवश्यकता है और कुछ उन कार्यों को पूरा करने की भी आवश्यकता होती है जो एलोपैथिक अस्पतालों में पूरी की जाती है । इस प्रकार की ट्रेनिंग के सिलसिले में इस तरह की विचारधारा का रखना कि जो आयुर्वैदिक पद्धति का ज्ञान रखती हैं उनको क्यों कर मान्यता दी जाय, इस तरह का विचार तभी किया जा सकता है जब कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार के आयुर्वेदिक अस्पताल कायम न हो जायं। जहां कि उनको शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हो सके लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था हमारे प्रदेश में नहीं है, इसलिये इसमें समय लगेगा और यदि उनको उन अस्पतालों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा तो उनको भी मान्यता प्राप्त हो सकेगी। इन कारणों से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह अवसर इस विधेयक में आलोचना करने का नहीं है । इस विधेयक के अन्तर्गत जो कौंसिल बनी हुई हैं उसमें हम कुछ तब्दीली कर रहे हैं और साथ में उन नर्सेज को मान्यता प्रदान करने जा रहे हैं जिनको इंडियन नर्सेज कौंसिल ऐक्ट के अन्तर्गत सारे देश में मान्यता प्राप्त है। जहां तक इसको कौंसिल के संबंध में किसी आयुर्वेदिक के जानने वाले डिप्टी डाइरेक्टर आदि का संबंध है जब वह इस संबंध में संशोधन उपस्थित करेंगे तो मुझे उसको मंजूर करने में कोई दिक्कत न होगी। मैं इन कारणों से फिर सदन से कहूंगा कि जो विधेयक यहां संशोधनों के रूप में उपस्थित किया जा रहा है उसे सदन स्वीकार करेगा ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, एसिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १-७

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट १५।

यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४, में कुछ प्रयोजनों के निमित्त और अधिक संशोधन करने का

विधेयक

कुछ ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, "यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४" में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधि- नियम, १९५२" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रवलित होगा।

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट १५ की धारा ४ में संशो- धन।

२--यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज्ड ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधि- नियम कहा गया है) की धारा ४ में निम्नलिखित संशोधन किये जायंगे--

(१) उपधारा (१) में;

(क) संख्या और शब्द "24 members" के स्थान पर शब्द "the following members" रख दिये जायंगे;

और (ख) वर्तमान खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा--

(*a*) *as ex-officio members*—

(i) the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;

(ii) the Additional Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;

(iii) the Deputy Director of Medical and Health Services (Women), Uttar Pradesh;

(iv) the Assistant Director of Medical and Health Services (Maternity and Child Welfare Section), Uttar Pradesh;

(v) the Superintendent of Nursing Services, Uttar Pradesh, Lucknow;

(vi) the Superintendent, Silver Jubilee Health School, Lucknow; and

(vii) the Superintendent, Kamla Nehru Hospital, Allahabad."

(२) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा--

"(2) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh and the Additional Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh shall be the *ex-officio* President and Vice-President respectively of the Council."

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट १५ की धारा ८ में संशो- धन।

३--मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) में--

(क) खंड (*d*) में "फुलिस्टाप" के स्थान पर "सेमी-कोलन" रख दिया जायगा और उसके बाद शब्द "or" जोड़ दिया जायगा;

(ख) खंड (*d*) के बाद खंड (*e*) के रूप में निम्न-लिखित जोड़ दिया जायगा--

"(*e*) if, being a nominated member he ceases to belong to the appropriate categories referred to in sub-section (1) of section 4."

१९३४ के यू० पी० के ऐक्ट १५ की धारा ९ में संशोधन ।

४--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९ के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जायगा--

"9. If, any member of the Council, whether elected or nominated, under sub-section (1) of section 4 dies or resigns his membership or ceases to be a member under the provisions of sub-section (1) of section 8, the vacancy shall be filled within three months by a fresh election or nomination, as the case may be, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 4 and in default of election, by nomination in accordance with the provisions of section 5."

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट १५ की धारा २३ में संशोधन ।

५--मूल अधिनियम की धारा २३ में शब्द "(*a*) persons who have undergone. . . . . " से लेकर खंड (*b*) में शब्द "as may be prescribed" "तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा--

"(*a*) persons who hold qualifications in nursing or midwifery or health visiting recognised under the Indian Nursing Council Act, 1947;

(*b*) persons who hold assistant midwifery or certified midwifery certificates of the U. P. State Medical Faculty ; and

(*c*) persons who may be registered as nurses, midwives or health visitors under a scheme of reciprocity under the provisions of section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947, by the Indian Council of Nursing constituted under the said Act."

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट १५ की धारा २४ का निकाला जाना ।

६--मूल अधिनियम की धारा २४ को निकाल दिया जायगा ।

७--मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (३) के खंड (*a*) में शब्द और संख्या "and section 24" निकाल दिये जायंगे ।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड १ से ७, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, एसिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय।

**अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, एसिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## ❀उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक, १९५२

**मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)**---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

यह बहुत सादा सा विधेयक है। सिनेमा में जो लोग जाते हैं उनको अक्सर इससे तकलीफ़ होती है कि अगर कोई १,२ आदमी उनके बेंच में सिगरेट पीने वाले हो गये तो उनको रोक नहीं सकते और खुद उस बन्द आबोहवा में अपना तमाशा देखने के लिये गला दबाये हुये रहते हैं। इसलिये कि लोग अच्छी तरह से तमाशा का रस ले सकें और उनकी तन्दुरुस्ती खराब न हो यह छोटा सा विधेयक बनाया गया है। जो खुली जगह में तमाशे होते हैं या सिनेमाघर हैं उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ ऐसे सिनेमाओं से है कि जो बन्द अहाते के अन्दर हैं, छत भी हैं, दीवार भी हैं और जिसमें धुयें का निकास न हो। करीब-करीब ऐसी जगहों में इस तरह से लोग धूम्रपान न कर सकें यह तन्दुरुस्ती के लिये जरूरी है। सिगरेट पीना अच्छा है या बुरा, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर बन्द कमरे में जहां पर बहुत से आदमी हों वहां पर सिगरेट पीना अच्छा नहीं है। मैं सिगरेट पीने वालों पर कोई नुक्ताचीनी करना नहीं चाहता और न कोई किसी तरह से रोक उनके ऊपर लगाना चाहते हैं, मगर उनकी तन्दरुस्ती के लिये और उनकी खुद की हिफाजत के लिये यह जरूरी है कि ऐसे बन्द कमरे में सिगरेट को पी कर सिगरेट को बदनाम न करें। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों से ऐसा ख्याल भी न करें कि पीने वाले दूसरों का ख्याल नहीं रखते है और दूसरों की तन्दुरुस्ती का ख्याल उनको नहीं है। इसमें सख्त सजा नहीं रखी गयी है। जो कोई पीता हुआ पाया जाय तो पहले तो उससे कहा जायगा कि न पिओ और अगर वह इस पर भी नहीं मानेगा तो फिर ५० रुपये तक उस पर जुर्माना हो सकता है। इसलिये यह ऐसा कोई नुकसान पहुंचाने वाला कानून नहीं है। इस तरह का कानून बंगाल में मद्रास में और बम्बई में अब भी बना हुआ है और यहां भी जरूरत इस बात की कुछ अर्से से समझी गयी, मगर अभी तक इतना समय नहीं मिला था कि हम इस किस्म के विधेयक को बना सकते। अब यह आप के सामने रखा जा रहा है। मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा।

**श्री सुरेशप्रकाश सिंह** (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, सिनेमाघरों में धूम्र-पान रोकने के लिये यह विधेयक जो माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसकी बहुत बड़ी अहमियत है---जहां तक कि अपने राज्य के लोगों की तन्दुरुस्ती का प्रश्न है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि देर ही में सही,लेकिन ऐसा बिल आ गया। इस बिल की अत्यन्त आवश्यकता थी। और इस कार्य में हमारा प्रान्त और प्रान्तों से पिछड़ा हुआ था। जहां तक इसका प्रश्न है कि धूम्रपान से और ऐसे धूम्रपान से जिस से सारे सिनेमाघर में धुवां फैल जाय पब्लिक की तन्दरुस्ती को कितना नुक़सान होता है यह सभी सदस्य जानते हैं। यह तो स्वयं धूम्रपान करने वाले भी मानेंगे और इतना ही नहीं कि उस धूम्रपान से जो धूम्रपान नहीं करते उन्हीं को तकलीफ़ होती है जब कि

---

❀१८ अगस्त १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

उस बन्द जगह में इतना धुवां भर जाता है और ख़ासतौर से जब कि आज कल ४०, ५० और ६० फीसदी लोग धूम्रपान करते हैं तो उन धूम्रपान करने वालों को भी इससे तक़लीफ ही होती है। जहां तक इस विधेयक का सवाल है इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती और इसको जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत थी। परन्तु मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैंने इस विधेयक में कुछ बातें देखीं जिसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। पहली चीज यह है कि इसके खंड १ (३) में यह दिया गया है कि "उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तथा स्थानों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।" श्रीमन्, मैं समझ नहीं सका कि विभिन्न जगहों पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दिनांक निश्चित करने से क्या सुविधा और क्या लाभ होगा। ऐसा क्यों न किया जाय कि कुल उत्तर प्रदेश में जितने शहर हैं सब में एक साथ ही धूम्रपान बन्द हो जाय।

दूसरी चीज जिस पर मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि खंड ४ (२) में "कोई पुलिस अधिकारी जो सब-इन्स्पेक्टर के पद से कम का न हो या कोई अधिकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार धूम्रपान बन्द नहीं करता है, यह आदेश दे सकता है कि उक्त व्यक्ति उसे अपना नाम और पता तुरन्त बतलावे और यदि उक्त व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से प्रतिषेध करे या न बतावे अथवा पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को समुचित रीति से यह सन्देह हो कि उक्त व्यक्ति ने झूठा नाम और पता बताया है, तो पुलिस अधिकारी या उक्त अधिकृत व्यक्ति उक्त व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है।"

श्रीमन्, इस प्रश्न पर मुझे केवल यह कहना है कि हमारे यहां बहुत से ऐसे कानून हैं, जिनमें हम और आप देखते हैं कि उनका उल्लंघन होता है और उनका न जनता को ही न पुलिस को ही और न पुलिस आफ़िसर्स को ही उनका ज्ञान है कि ऐसा कोई कानून बना हुआ है। जैसे बच्चों को धूम्रपान न करने का कानून बना हुआ है, लेकिन शायद ही कोई इन्सपेक्टर या कोई जनता का आदमी उन्हें सिगरेट पीने से रोकता होगा। यहां पर जो रखा गया है कि सब-इंस्पेक्टर से कम न हो, इसके रखने से ऐक्ट के लागू करने में दिक्कत होगी। आप मान लें कि सिनेमा में कोई आदमी बैठा सिगरेट पी रहा है और अगर गजट द्वारा सरकार ने मैनेजर को अधिकार दिया कि वह किसी को सिगरेट पीने से रोक सकता है और अगर मान लें कि वह उसके कहने से भी न मानें। इसके माने यह हुये कि वह बाहर जाय और सब-इंस्पेक्टर को ढूंढ़ता फिरे और उससे कहलावे कि आपको धूम्रपान नहीं करना है और अगर करता है तो उसको अरेस्ट किया जाय या उसका पता ले लिया जाय। इसमें दिक्कत अवश्य पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि सरकार ने किस कारण से सब-इंस्पेक्टर से कम क्यों यह अधिकार नहीं दिया है। इस तरह से अगर रखा गया तो इस के लागू करने में बहुत दिक़्क़त होगी और इसलिये मैं समझता हूं कि इसका कोई पुलिस अधिकारी या कांस्टेबिल ही सही कोई दुरुपयोग कर सकेगा। उसकी हिम्मत किसी को रोकने की तभी पड़ सकेगी जब कोई सिगरेट पीता होगा और अगर पीवेगा तो कम से कम आस-पास के ४०–५० आदमी तो उसको पीते देखते ही होंगे। इस विधेयक के लागू करने में सुविधा होगी यदि सब-इंस्पेक्टर की जगह कांस्टेबिल कर दिया जाय क्योंकि बग़ैर पुलिस के सिनेमा घर का मैनेजर भी इसे ठीक से लागू नहीं कर सकेगा।

भवन से बाहर कुछ लोगों का ख्याल है कि सिनेमा में लोग रिलैक्सेशन (शिथिलता) के लिये जाते हैं जिसमें धूम्रपान मदद देता है। यह ठीक है, परन्तु इसके साथ यह भी देखना है कि वहां २००/२५० आदमी एक हाल में बैठे हों और वहां सिगरेट और बीड़ी का धुवां भर जाय तो उससे दूसरों को जो धूम्रपान करते हों या न करते हों कितनी हानि पहुंचती है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया, ऐसा ऐक्ट अपने देश में कई जगहों में लागू है और दुनिया में दूसरे देशों में भी है। तो यह नहीं

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

माना जा सकता कि वहां सिनेमा जाने वालों का धूम्रपान न करने से रिलैक्सेशन (शिथिलता) नहीं होता है या उसमें कमी आ जाती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत व समर्थन करता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—जो विधेयक सदन के सामने है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक उसके उद्देश्य और कारणों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह अति आवश्यक था, लेकिन हमें सिर्फ सिनेमाघरों में धूम्रपान का ही निषेध नहीं करना है। इसके साथ-साथ कुछ और बातें हैं जिनकी ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिनेमा-घरों का वायुमंडल स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही दूषित होता है। हमारे देश में टी० बी० का मर्ज बहुत जोरों से चल रहा है। कानपुर में यह दुनिया में सब से ज्यादा फैला हुआ है जिसका कारण गर्द में उड़ते हुये अणु हैं। सिनेमाघरों में २००/२५० व्यक्ति बन्द हाल में बैठते हैं और वह, दो और तीन, तीन घंटे तक बैठे रहते हैं। कुछ टी० बी० के मरीज भी वहां जाते हैं। वे वहां खांसते और छींकते भी हैं। उससे उनके अन्दर के अणु दूसरे लोगों के सांस के साथ उनके अन्दर जाते हैं और नुक़सान पहुंचाते हैं। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। अधिकतर यह देखा जाता है कि बहुत से सिनेमाघरों में दूषित वायु को निकालने के लिये एग्ज़ास्ट फ़ैन बहुत कम होते हैं, केवल एक या दो ही होते हैं और बिजली के अधिक खर्च के कारण सिनेमा वाले उन्हें तेज़ नहीं चलाते हैं जिससे हाल की दूषित वायु नहीं निकलने पाती है। यों तो ५ मिनट के अन्दर तमाम दूषित वायु निकल जानी चाहिये, लेकिन वह नहीं निकल पाती है। बहुत से लोगों के कपड़ों में धूल के कण और अणु होते हैं जो हवा लगते ही उड़ने लगते हैं। भारी होने के कारण दूषित गर्म हवा के साथ ऊपर नहीं जा पाते लिहाजा नीचे ही फैले रहते हैं जो सांस द्वारा फेफड़ों में जाकर जलन पैदा करते हैं व बीमारी के कारण बनते हैं। इसके लिये ज़रूरत है कि नीचे भी एक्जोस्ट फैन्स लगाये जायं। तथा नीचे और पीछे ख़राब हवा को निकलने के स्थान बनाये जायं। इसलिये हमारा निवेदन है कि सिनेमा घरों में दूषित वायु को निकालने के लिये जितनी भी व्यवस्था की जाय उतना ही अच्छा है। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां फैलतीं हैं। टी० बी० होती है तथा और भी अनेक किस्म के मर्ज होते हैं। हम सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।

इसके साथ ही साथ अधिकतर यह देखा जाता है कि अधिकतर औरतें भी सिनेमा हाउसेज में जाती हैं जो छोटे-छोटे बच्चों को अपने साथ लाती हैं जो कभी-कभी बहुत बुरी तरह से रोने व चिल्लाने लगते हैं। अगर कोई अच्छी पिक्चर हुई तो सब इंटरेस्ट ही जाता रहता है और परेशानी सी होने लगती है। अगर वहां पर बच्चों के लिये बाहर कोई धाय वग़ैरह का प्रबन्ध कर दिया जाय तो बहुत ही अच्छा है। उसके लिये भी एक प्रकार की फीस वग़ैरह कर दी जाय। अगर ऐसा होता तो लोगों की जो दिलचस्पी है उसको आघात न पहुंच सकेगा।

अक्सर देखा जाता है कि सिनेमाघरों के पेशाबघर बहुत दूषित होते हैं इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। सिनेमा घरों के मालिक उनकी सफाई और व्यवस्था पर कम ध्यान देते हैं। इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सिनेमाघरों में अक्सर अश्लील गाने आते हैं, जिन्हें छोटे छोटे बच्चे बाजार और गलियों में गाते फिरते हैं। इससे चरित्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

ये तमाम चीजें भी ऐसी हैं जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा वहां की सीटें भी बहुत गंदी होती हैं।

**अध्यक्ष**—यह विधेयक धूम्रपान के निषेध के सम्बन्ध में है । ऐसी तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनकी सिनेमाघरों में आवश्यकता हो।

**श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष, सिनेमा हाउसेज के अन्दर धूम्रपान बन्द होने के सम्बन्ध में जो बिल है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। इस विल को माननीय मुख्य मंत्री जी लाये हैं, जो शायद ही बहुत दिनों से किसी फिल्म को देखने के लिये गये होंगे लेकिन यह हो सकता है कि बहुत से लोग जो सिनेमा गये होंगे, उन्होंने उन्हें बताया होगा कि सिनेमा देखते समय सिगरेट के पीने से परेशानी होती है, और इसको बन्द करना चाहिये। मालूम ऐसा होता है, कि केवल सिगरेट पीने वालों ने ही उनसे कहा हो। लेकिन हम देखते हैं, कि इस प्रान्त के सिनेमाघरों के अन्दर बहुत से भाई ऐसे भी आते हैं जो सिगरेट तो नहीं पीते, लेकिन उनके हाथ में सुर्ती रहती है, जो चूना कत्था लगा कर यूं फटकारते हैं और सारी तम्बाकू की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। चूंकि धूम्र पीने वालों की व्याख्या इस बिल के अन्दर नहीं है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल में सिगरेट के अतिरिक्त सुर्ती सेवन भी रख दिया जाय तो यह जो परेशानी होती है वह न हो। इसलिये धूम्रपान के साथ-साथ यदि आप सुर्ती खाना भी बन्द करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

अब रहा कि जहां तक इन्तजाम का सवाल है कि सिगरेट पीने वाले कहां पीयें, तो मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में जब नियम बनेगा, तो उस वक्त हम उस पर विचार कर लेंगे। लेकिन हां, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वे इंटरवल में बाहर आकर या और किसी जगह पी सकें इसके लिये कोई प्रबन्ध सिनेमा हाउस की तरफ से होना चाहिये। जो इसका नं० ५वां है, जिसमें लिखा है कि "राज्य सरकार लेखबद्ध साधारण या विशेष आज्ञा से यह आदेश दे सकती है, कि इस अधिनियम के उपबन्ध किसी सिनेमाघर या उसके भीतर किसी निरूपण या प्रदर्शन के सम्बन्ध में प्रवृत्त नहीं होंगे" यह मेरी समझ में नहीं आ सका। इसलिये जब यह नियम बनाया जाय तो प्रान्त के जितने सिनेमाघर हैं, जितने एरियाज (क्षेत्र) हैं उन सबके लिये बनाया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको इसलिये रखा हो, कि कभी-कभी बाहर से विदेशी राजदूत लोग बालकोनी में आते हैं, और उन्हें सिगरेट पीना होता है, तो उनके लिये ही ऐसा रखा हो। अगर ऐसा हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे जरा इसको साफ कर देंगे, कि इसका एक्जेम्पशन (अपवाद) एम्बेसी वालों के लिये है, जो बालकोनी वगैरह में सिगरेट पीने के लिये बैठते हैं। इस सम्बन्ध में जो संशोधन मैंने रखा है, उसके ऊपर तो अलग आइटम जब आयेगा, तब हम बात करेंगे और उस पर बहस करेंगे।

एक बात मैं और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, कि इसका असर तन्दुरुस्ती पर तो पड़ता ही है, लेकिन जो पिक्चर्स आज कल सिनेमा घरों में दिखलाये जाते हैं, उसका असर नौजवानों के चरित्र पर भी बड़ा भारी पड़ता है। तो इसकी तरफ भी माननीय मुख्य मंत्री को ध्यान देना चाहिये। क्योंकि इस प्रान्त के अन्दर कोई ऐसा बिल सिनेमा के बारे में नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सदन की भी यह राय होगी कि आज कल सिनेमाघरों के अन्दर जैसे अश्लील चित्र दिखलाये जाते हैं, उसका असर नौजवानों पर बहुत बुरा पड़ता है इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी को उधर भी फौरन ध्यान देना चाहिये कि ऐसी चीजें आगे रुक जायं। इतना कह कर मैं इस धूम्रपान निषेध बिल का हृदय से स्वागत करता हूं।

**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस निर्दोष और पवित्र विधेयक को सरकार द्वारा प्रस्तुत करने पर उसे धन्यवाद देता हूं। मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि धूम्रपान शब्द का अर्थ है जिससे धारणा मारी

[श्री रामलखन मिश्र]

जाय। यह संस्कृत गर्भित शब्द है। जब धारणा ही मारी गयी तो फिर यह अमंगल सूचक हो जाता है। धूम्रपान में जितनी बुराइयां हैं हमारे बहुत से मित्रों ने उनका वर्णन किया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं सरकार को पुनः इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि वह ऐसा बिल लाई। धूम्रपान शब्द ही नुक़सान पहुंचाने वाला और अमंगल सूचक है।

**श्री व्रजबिहारी मिश्र** (ज़िला आज़मगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं। उसके साथ ही साथ मैं माननीय गजेन्द्र सिंह तथा माननीय उपाध्याय जी को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन लोगों ने इस बिल में तो हमारा साथ दिया और गवर्नमेंट का समर्थन किया। धूम्रपान के सम्बन्ध में यह जो बिल पेश हुआ है, सब लोग इसको मानते हैं और महसूस करते हैं कि यह बहुत बुरी चीज़ है। मैं तो बहुत अरसा हुआ जब सिनेमा हाउस में गया था, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि वहां बैठना एक तरह से 'नियुसेंस' हो जाता है। आमतौर पर लोग सिगरेट और बीड़ी पीने वाले होते हैं। छोटे-छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक को आप देखेंगे कि वे सिगरेट और बीड़ी पीकर सारा हाल भर देते हैं। इसलिये यह विधेयक जो इस रूप में लाया गया है उसका हम स्वागत करते हैं और इस भवन का प्रत्येक सदस्य इसका स्वागत करेगा लेकिन एक बात की तरफ माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जिसकी तरफ इशारा माननीय गजेन्द्र सिंह जी और माननीय उपाध्याय जी ने भी किया है। यद्यपि अध्यक्ष महोदय ने हिदायत की है कि यह 'इर्रीलिवेंट' होता है और वह बातें असंगत हैं जो यह कही गई हैं कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक अवसर है जब इसकी तरफ हम निर्देश कर सकते हैं और हम माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिये और वह सुधार मुख्यतौर पर मैं यह कहूंगा कि आम तौर पर सिनेमाघरों में भद्दे गाने और भद्दे चित्र दिखलाये जाते हैं, कितने ही अच्छे से अच्छे चरित्र दिखलाये जायं लेकिन उसमें चटनी की तरह से अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिये भद्दे दृश्य दे दिये जाते हैं। इसी कारण हमारी उम्र के जो लोग हैं वहां जाना पसन्द नहीं करते हैं। मुझ से कई मित्रों ने सिनेमा देखने के लिये कहा तो मैंने उनसे कहा कि सिनेमा चलने की बात कहते हो तो उसमें तो एक आध अंश ऐसे ज़रूर दिखलाये जाते हैं जो हम लोगों को देखने के लिये अच्छे नहीं होते हैं और जिसका असर हमारे नैतिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र ही ऐसा विधेयक लावें जिसमें कम से कम इस बात की मुमानियत कर दी जाय, कि किसी सिनेमाघर में इस किस्म के भद्दे दृश्य न दिखलाये जायं, न गाये जायं क्योंकि इसका असर हमारी भावी संतान पर बहुत बुरा पड़ता है। मैं यह देखता हूं कि कालेज के जो विद्यार्थी हैं वे हफ्ते में एक या दो रोज़ ज़रूर इन सिनेमाघरों में जाकर ये दृश्य देखते हैं। हम आशा करते थे कि इन सिनेमाघरों से हमारी नैतिक उन्नति होगी, लेकिन जहां पवित्र से पवित्र दृश्य दिखलाये जाते हैं वहां पर कुछ भद्दे दृश्य भी दिखलाये जाते हैं और गाये जाते हैं। इस विधेयक का स्वागत करते हुये मैं फिर श्रीमान् के द्वारा श्री मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान दें और इस कमी को भी दूर करें।

**श्री मुहम्मद तक़ी हादी** ( ज़िला मुरादाबाद )—जनाबवाला, आपकी इजाजत से मैं उस बिल की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसको हमारे मुख्य मंत्री साहब ने पेश किया है। मैं समझता हूं कि तमाम हाउस इस बात पर मुत्तफिक़ है कि इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी और जिसके मुताल्लिक जरूर अन्देशा हो सकता था कि अक्सर इस किस्म के पब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाले बिलों के निफाज में दिक्कतें ऐसी आ जाती हैं

जो हरगिज उस मंशे को पूरा नहीं होने देतीं, जिसके लिये कि यह बिल बनाया गया है। जैसा कि इस बिल में रखा गया है कि एक इंस्पेक्टर अलहदा इस काम के लिये रखा जाय और कांस्टेबिलों को जो मौके पर रहते हैं उनको इजाजत न दी जाय। मैं समझता हूं यह बहुत ही जायज और ठीक बात की गई है और जो एतराज एक साहब का था कि मौके पर जो कांस्टेबिल हों वह भी जाकर देख सकते हैं। मैं समझता हूं वह बहुत ग़लत क़दम होगा और इसीलिये हमारे मुख्य मंत्री साहब ने जो बात रखी है वह पूरी तरीक़े से अमलदरामद करने में आसानी पहुंचा सकती है। लिहाजा उस अन्देशे को जो इस ऐक्ट के नाफिज होने और इस लेजिस्लेशन के बनने से पेश होने वाले थे उनको हमारे मुख्य मंत्री साहब ने पहले से ही दूर कर दिया है और इसमें जो नुक्स आ रहा था वह जाता रहा है और मैं समझता हूं इसलिये भी यह बिल यकीनन हाउस के कुल सपोर्ट (समर्थन) का मुस्तहक है। इस सिलसिले में जो और किस्म की चीजें पेश की गयी हैं, मैं समझता हूं कि वह इससे ज्यादा ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। हमें गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिये कि बहरहाल, उन्होंने इस काम को किया और यह उम्मीद है कि ज्यों-ज्यों मौका मिलेगा, और हम इसकी जरूरत समझेंगे कि इससे ज्यादा लेजिस्लेशन बनाएं, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ज्यादा लेजिस्लेशन के जरिये से ज्यादा रिफार्म करना कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं होता और गवर्नमेंट को उतने ही लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है जितने वह समझती है कि लाना जरूरी है, और उनके लिये मुनासिब वक्त है। मैं समझता हूं कि जो तजावीज पेश की गयी है, और किस्म की जो खराबियां सिनेमा, पिक्चर्स और ड्रामा में आ जाती हैं जिससे अखलाक पर बुरा असर पड़ता है उसके लिये यकीनन गवर्नमेंट तवज्जह करेगी। लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने बिल पेश है, वह इंनोसेंट और मुफीद है। इसके मुताल्लिक मैं समझता हूं कि हाउस की पूरी तवज्जह है, और हाउस इसको सपोर्ट करेगा।

**श्री गोविन्द वल्लभ पन्त**—इस विधेयक के बारे में, इस सदन में सभी सदस्यों का एक मत मालूम होता है और इसके लिये मैं सदन के सदस्यों का आभारी हूं।

जहां तक इसके संबंध में आलोचनायें की गयीं वे विचारणीय हैं। सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि सब इन्सपेक्टर के साथ कांस्टेबिल को भी यह अधिकार दे देना चाहिये। चूंकि सिनेमा में जो लोग आमतौर पर जाते हैं वे एक मुअज्जिज लोग होते हैं। उनको बाज औकात अगर सिपाही जाकर के कहे कि ऐसा न करो तो मुमकिन है कि लड़भिड़ जायं। इसलिये हिफाजत के लिये ऐसा मालूम होता है कि ज्यादा मुअज्जिज अहलकार इस काम को कर सके। मगर मैं तो समझता हूं कि इसका निफाज करने के लिये सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि सब मैनेजर्स को सिनेमा के, यह अख्तियार और यह फर्ज उनका किया जाय कि उनके यहां कोई धूम्रपान न करे। और अगर कोई करे तो उस पर फौरन कार्यवाही करें। इसके बाद भी अगर कोई सिगरेट पीता मिलेगा तो उसमें मैनेजर की काहिली समझी जायगी और उसकी शिकायत गवर्नमेंट तक हो सके। मैं समझता हूं कि इससे मुमकिन है कि ज्यादा असर हो बमुकाबले किसी दूसरे को अमल में लाने के और उनका लाइसेंस भी मंसूख हो सकता है, या जो फर्ज उनके किये जायं उन को वह पूरा न करें। अगर सब-इंस्पेक्टर से काम न चले तो उसके अलावा इंटरटेनमेंट इंस्पेक्टर्स वगैरह को भी अधिकार मिलेंगे और जो आफिसर इंटरटेनमेंट का जिलों में होता है उस को तो होगा ही। लिहाजा और भी सुपरवाईजिंग आफिसर्स होंगे। लेकिन अच्छा होगा कि चूंकि वहां सिनेमा चलाने वाले रहते ही हैं उनको जिम्मेदार किया जाय और इसलिये रखा गया है कि जो सब-इंस्पेक्टर हो या कोई और अधिकारी हो जिसको इसका अख्तियार दिया जाय। लिहाजा मुझे इसके बाद कोई असंतोष नहीं होगा।

कुछ बातें गजेन्द्र सिंह जी ने कहीं। उन सब को मैं काबिले गौर समझता हूं। जहां तक बच्चों का सिनेमा में जाने का सवाल है और वहां उनकी रक्षा करने का सवाल है ये चीजें इस बिल से ताल्लुक़ नहीं रखतीं और इस चीज़ को जबरिया तरीके पर, कानून के जरिये से कहां तक हम

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

इन्फोर्स (लागू) कर सकते हैं, यह सोचने की बात हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो लोग सिनेमा में जाते हैं, उनके लिये वे सोचने की बातें हैं। और अगर इसके लिये कोई प्रबन्ध सिनेमा वाले करें, तो उन के यहां दर्शकों की भीड़ ज्यादा हो सकती है। लिहाजा उनके फायदे की बात है कि वह इस तरह से काम करें।

उन्होंने एग्जास्ट फैंस के बारे में भी कहा कि ज्यादा होने चाहिये, ताकि हवा साफ रहे। बिलकुल सही है कि ऐसा होना चाहिये। उसके लिये नियम बने हुये हैं। अगर उनमें कोई और सुधार की जरूरत हो तो वह देखने लायक बात है और उनके मुताबिक अमल नहीं हो पाता तो उसे भी जो सिनेमा के देखने के कारकुन हैं उनको उसका लिहाज करना चाहिये। उन्होंने भी और औरों ने भी इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि सिनेमा में इस तरह के गाने होते हैं और इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, जो कि अच्छे नहीं हैं और जिनका असर अच्छा नहीं पड़ता। यह तो ठीक बात है। ऐसा होता है परन्तु जो सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट है उसमें प्राविंश्यल गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। यह तो सेंटर की चीज है और सेंटर ने ही अब एक बोर्ड आफ सेंसर्स रखा है। पहले तो कोई एडवाइजरी कमेटी हमारे स्टेट की रहती थी, वह भी उन्होंने बन्द कर दी है। यह तो सारा अधिकार सेंटर का है। मगर मुझे ख्याल है कि और कुछ हद तक मालूम है कि सेंटर में इस बात पर गौर हो रहा है कि इस किस्म के जो बुरे गीत होते हैं या जो दृश्य दिखाये जाते हैं, मजाहरे होते हैं उनके लिये क्या इलाज किया जाय जिससे सिनेमा देखने वालों पर बुरा असर न पड़े और जो भी जावें, या तो उनका मनोविनोद हो या उससे फायदा उठावें, मगर नुक्सान न हो। मैं भी चाहता यह हूं और यहां के सदन के सदस्यों के साथ मेरी भी यह इच्छा है कि सेंटर में जिनका इससे संबंध है वे इस बात के बारे में जल्द से जल्द जो कुछ हो सके कर दें तो बहुत अच्छा हो।

कुछ मदनमोहन जी ने सुर्ती के बारे में कहा। प्लेंस (मैदान) में तो उसका रिवाज कम है, पहाड़ में गांव वालों के पास पैसा ही नहीं कि सिनेमा देखने जायं और सिनेमा वहां हैं भी बहुत कम। जब यह बुराई इतनी फैल जाय जितनी कि सिगरटों की है तब इस बिल के अन्दर तो यह बात आ नहीं सकती, क्योंकि यह तो धूम्रपान नहीं कहा जा सकता चाहे कुछ और कहा जाय, तब शायद जरूरत होगी कि दूसरा बिल और लायें। मगर अभी तो बुराई इतनी फैली नहीं है और न बहुत लोगों को इसकी शिकायत है और जब होगी तो इसपर भी विचार करने का समय आवेगा।

एक बात उन्होंने और भी कही कि जो इसमें यह कहा गया है कि कुछ ऐसी जगहों में यह लागू न हो, यह उठा दिया जाय, उसके लिये क्या कारण है। इसमें एक तो कुछ मिलिटरी वालों के अपने सिनेमा होते हैं, जिनमें कोई सिविल वाले लोग नहीं जा सकते हैं और अगर वहां वह सिगरेट पीना चाहें और उनको रोकें भी तो उनको रोक नहीं सकते। वह हमारे काबू के बाहर की बात है। वे तो कहेंगे कि हम तो करेंगे। तो करें क्या? इसलिये यह रखा गया है कि अगर जरूरत हो और वे न मानें तो हम उनको इससे छोड़ दें और कोई खास ऐसा ही मौका आ जाय तो दूसरी बात है, नहीं तो जो सिविल के सिनेमा हैं उनको इससे छोड़ने का इरादा नहीं है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे से यह निवेदन करना चाहता चाहता हूं कि मने खंड १ में एक संशोधन भेजा था, वह इसमें नहीं आया है। कृपया आप मुझे आज्ञा देंगे उसे पेश करने की।

अध्यक्ष—कल शायद आपका संशोधन आया है, बहुत देर में आया है। पहले तो खंड २ पर विचार होगा। जब खंड १ का समय आये उस वक्त मैं देख लूंगा। मैंने अभी देखा नहीं है।

## खंड २

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर——

(क) "सिनेमा घर किसी का तात्पर्य" किसी ऐसी इमारत या छतदार और घिरे हुये निर्माण (रूफड ऐंड इन्कलोज्ड स्ट्रक्चर) से है जो सामान्यतया या समय-समय पर जनता के सम्मुख किसी शुल्क को देकर या अन्यथा, अभिनय अथवा गीत वाद्य अथवा सिनेमा के फिल्मों के निरूपण या प्रदर्शन (डिमांस्ट्रेशन आर एक्जीबीशन) के काम में आता हो; और

(ख) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं।

खंड २ के वर्तमान उपखंड (क) और (ख) क्रमशः (ख) और (ग) कर दिये जायं और निम्नलिखित उपखंड (क) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(क) 'दर्शक स्थान (auditorium)' का तात्पर्य सिनेमाघर के उस भाग से है जहां सिनेमा के फिल्म अथवा अन्य अभिनय या गीत वाद्य का प्रदर्शन देखने के लिये जनता के बैठने की व्यवस्था की जाती है।"

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के विषय में मुझे अधिक नहीं कहना है। यह केवल दर्शक स्थान की परिभाषा से संबंध रखता है। चूंकि इस चीज की कमी हमें इस बिल में दिखाई पड़ी, इसलिये मैं आदर के साथ माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे इसे कृपा करके स्वीकार कर लें, तो एक कमी हमारी दृष्टिकोण से दूर हो जायगी।

श्री गोविद वल्लभ पन्त—मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मान लिया जाय।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन की दूसरी पंक्ति में "प्रदर्शन" के पहले "निरूपण या" जोड़ना चाहता हूं। इस विधेयक के अन्य दोनों खंडों में ये दोनों शब्द आये हैं। इसलिये 'निरूपण या प्रदर्शन' ये दोनों आवश्यक हैं। खाली 'प्रदशन' से काम नहीं चलता है।

अध्यक्ष—माननीय रामनरेश शुक्ल, आप इसको स्वीकार करते हैं?

श्री रामनरेश शुक्ल—जी हां, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त —मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ के वर्तमान उपखंड (क) और (ख) क्रमशः (ख) और (ग) कर दिये जायं और निम्नलिखित उपखंड (क) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(क) 'दर्शक स्थान (Auditoruim) का तात्पर्य सिनेमाघर के उस भाग से है जहां सिनेमा के फिल्म अथवा अन्य अभिनय या गीत-वाद्य का निरूपण या प्रदर्शन देखने के लिये जनता के बैठने की व्यवस्था की जाती है। "

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। )

श्री रामनरेश शुक्ल——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति ३ से शब्द "या समय समय पर" निकाल दिये जायं।

अगर इसको पूरा पढ़ा जाय तो "या समय समय पर" अनावश्यक प्रतीत होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे कृपा करके इसे स्वीकार कर लें तो यह पूरा पैराग्राफ ठीक हो जाता है।

अध्यक्ष——अब आप का संशोधन उपखंड (ख) में होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल——जी हां, उपखंड (ख) में होगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——मुझे इसके बारे में भी कोई उज्र नहीं है।

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति ३ से शब्द "या समय समय पर" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। )

श्री जयराम वर्मा——अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति ४ में शब्द "किसी शुल्क को देकर" के स्थान पर शब्द "कुछ शुल्क लेकर" रख दिये जायं।

यहां पर अंग्रेजी में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका "शुल्क लेकर के" ही का सेन्स निकलता है लेकिन इसमें ये शब्द लिख दिये गये हैं, "किसी शुल्क को देकर" "On Payment or otherwise" का यह अनुवाद किया गया है, जिनका "कुछ शुल्क लेकर या अन्यथा" का ही अर्थ होता है लेकिन अनुवाद "देकर" कर दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना ही कहना है कि "किसी शुल्क को देकर अथवा लेकर" अगर कर दिया जाय तो दोनों मतलब आ जाते हैं, जो जयराम वर्मा जी का है और माननीय मुख्य मंत्री जी का है।

अध्यक्ष——अंग्रेजी में तो यह है "whether on Payment or otherwise" और हिन्दी में है "शुल्क को लेकर या देकर"।

श्री नारायण दत्त तिवारी——"किसी शुल्क को देकर अथवा लेकर" कर दिया जाय तो ठीक हो जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——अंग्रेजी में तो है "on Payment" और अथारिटेटिव चीज जो कानून समझी जाती है वह तो अंग्रेजी का वर्जन है हमारे विधान के मुताबिक। तो आन पेमेंट के माने जैसे समझे जायं। उसमें "अन्यथा" लफ्ज भी है। "or otherwise" में तो "लेकर" भी आ जाता है और "देकर" भी आ जाता है। "देकर" तो रहना चाहिये और "लेकर" भी आर अदरवाइज में आ जायगा तो कोई चीज उससे छूटी नहीं है। मेरी समझ में जो यह है उसमें कोई हानि नहीं है।

**श्री जयराम वर्मा**—निरूपण या प्रदर्शन का प्रबन्ध पेमेंट लेकर के होता है, देकर कोई प्रदर्शन नहीं कराता है। सिनेमा का प्रोपराइटर पेमेंट लेकर के निरूपण या प्रदर्शन का प्रबन्ध प्रबन्ध करता है। तो मेरी समझ में तो यही आता है कि "लेकर" शब्द ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर यह उचित न मालूम पड़ता हो तो मैं वापस लेने के लिये तैयार हूं

**श्री गोविन्द वल्लभ पन्त**—मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो उनका मतलब है वह मेरा भी मतलब है। लेकिन क्या ठीक है, वह मैं स्पीकर साहब पर छोड़ता हूं। यह तो उनको अधिकार है कि भाषा जो उचित समझें ठीक करदें। और चाहे दोनों लिख दिये जायं "देकर या लेकर" जैसा नारायण दत्त जी ने कहा, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है।

**अध्यक्ष**—ठीक है, एक शब्द की बात है, मैं दुरुस्त कर दूंगा। (श्री जयराम वर्मा से) तो आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं।

**श्री जयराम वर्मा**—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

**खंड ३**

सिनेमा घरों में धूम्रपान का निषेध।

३—अभिनय अथवा गीत वाद्य अथवा सिनेमा के फिल्मों के निरूपण या प्रदर्शन के समय कोई भी व्यक्ति सिनेमा घर के किसी ऐसे भाग में जो श्रोताओं या दर्शकों (आडिएंस आर स्पेक्टेटर्स) के लिये सुरक्षित हो, धूम्रपान नहीं करेगा।

**श्री राम नरेश शुक्ल**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ की पंक्ति २ व ३ में शब्द "किसी ऐसे भाग में जो श्रोताओं या दर्शकों (आडिएन्स आर स्पैक्टेटर्स) के लिये सुरक्षित हो" के स्थान पर शब्द "दर्शक स्थान में" रख दिये जायं।

इसके विषय में अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है। यह एक छोटा सा शब्द है जो एक सैंटेन्स (वाक्य) की जगह पर आ जायगा और पूरा मतलब भी निकल आता है। अगर पहले शब्द रहेंगे तो थोड़े से भ्रम उत्पन्न होने की भी संभावना है। जब किसी कचहरी में मामला जायगा तो सुरक्षित शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये जा सकते हैं कानून की दृष्टि से। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे उचित समझें तो इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

**श्री गोविन्द वल्लभ पन्त**—मुझे मंजूर है।

**अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "किसी ऐसे भाग में जो श्रोताओं या दर्शकों (आडिएन्स आर स्पेक्टेटर्स) के लिये सुरक्षित हो" के स्थान पर शब्द "दर्शक स्थान में" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का भाग माना जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। )

खंड ४

सिनेमा घरों में धूम्रपान के लिये दंड।

४—(१) कोई पुलिस अधिकारी जो सब-इन्सपेक्टर के पद से कम का न हो या कोई अन्य व्यक्ति जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, धारा ३ में अभिदिष्ट निरूपण या प्रदर्शन के समय धूम्रपान करते पाये गये किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह धूम्रपान न करे और यदि उक्त व्यक्ति धूम्रपान बन्द नहीं करता है तो उसको ऐसा अर्थ दंड दिया जा सकेगा जो ५० रुपये तक का हो सकता है।

(२) कोई पुलिस अधिकारी जो सब-इन्सपेक्टर के पद से कम का न हों या कोई अधिकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार धूम्रपान बन्द नहीं करता है, यह आदेश दे सकता है कि उक्त व्यक्ति उसे अपना नाम और पता तुरन्त बतलावे और यदि उक्त व्यक्ति अपना नाम और पता बतलाने से प्रतिषेध करे या न बतलावे अथवा पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को समुचित रीति से यह संदेह हो कि उक्त व्यक्ति ने झूठा नाम और पता बताया है, तो पुलिस अधिकारी या उक्त अधिकृत व्यक्ति उक्त व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की अंतिम से पहले वाली पंक्ति में अंक "५०" के स्थान पर अंक "१००" रख दिया जाय।

इसमें मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसमें डीटेरेंट पनिशमेंट (निवारक दण्ड) होना चाहिये। इसलिये १०० रुपया जुर्माना रख दिया जाय क्योंकि ५० रुपया जुरमाना कम होगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है। व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर माननीय मुख्य मंत्री स्वीकार करना चाहें तो कर लें वरना जैसा है वैसा ही रहने दें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मेरी समझ में यह बिल पहले पहल आ रहा है इस लिये लोगों को कुछ अभ्यास हो जाय। इसके लिये ५० रुपया जुर्माना काफी ह। आगे फिर देखा जायगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र—मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। )

खंड ५

अधिनियम को प्रवृत्ति से बाहर करने का अधिकार।

५—राज्य सरकार लेखबद्ध साधारण या विशेष आज्ञा से यह आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध किसी सिनेमाघर या उस के भीतर किसी निरूपण या प्रदर्शन के संबंध में प्रवृत्त नहीं होंगे।

**श्री जयराम वर्मा**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की प्रथम पंक्ति में शब्द "से" के स्थान पर शब्द "द्वारा" रक्खा जाय।

"से" का प्रयोग अच्छा नहीं मालूम होता, "द्वारा" का प्रयोग अच्छा मालूम होता है।

**श्री गोविन्द वल्लभ पन्त**—मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह संशोधन कर दिया जाय।

**अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ५ की प्रथम पंक्ति में शब्द "से" के स्थान पर शब्द "द्वारा" रक्खा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड ६**

नियम।

६—यह अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

**अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खंड १**

क्षिप्त नाम, ारम्भ ा निवर्तन।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तथा स्थानों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

(४) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, यह अधिनियम ऐसे क्षेत्र और स्थान में जहां पर उपधारा (३) के अधीन यह प्रचलित हुआ था, प्रभाव शून्य हो जायगा, और तब उत्तर प्रदेश जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ (यू० पी० ऐक्ट १, १९०४) की धारा ६ के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावशाली होंगे मानों कि उक्त अधिनियम उक्त क्षेत्र या स्थान में किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निरस्त (रिपील) किया गया था।

(५) उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार को प्राप्त अधिकार, उसी अथवा विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों में अवसर के अनुसार जितनी बार आवश्यक हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।"

**श्री जयराम वर्मा**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (४) की पंक्ति २ तथा ३ में शब्द "क्षेत्र और स्थान" के स्थान पर शब्द "किन्हीं या सभी क्षेत्रों और स्थानों" रख दिये जायं।

श्रीमान् जी, जिस तरह से ये शब्द "क्षेत्र और स्थान" यहां प्रयोग किये गये हैं उनसे अर्थ यह निकलता है कि जिन विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों में विभिन्न समयों पर यह अधिनियम लागू होगा वहां सभी स्थानों पर इसका प्रभाव एक साथ शून्य हो जायगा और मेरे संशोधन का मतलब यह है कि यह विधेयक जैसे विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों में विभिन्न समय पर लागू होगा वैसे ही आवश्यकता के अनुसार उसका प्रभाव शून्य उस क्षेत्र और स्थान पर किया जायगा। इसलिये मैंने.....

**श्री गोविन्द वल्लभ पन्त**—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ में शब्द "क्षेत्र और स्थान" के स्थान पर शब्द "किन्हीं या सभी क्षेत्रों और स्थानों" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ में शब्द "उपधारा" के स्थान पर शब्द "उपखंड" रख दिया जाय।

इसमें उपधारा का प्रयोग किया गया है। सब सेक्शन के लिये अब "उपखंड" का इस्तेमाल किया जाता है और "उपधारा" का प्रयोग अब नहीं होता। मैं चाहता हूं कि "उपधारा" के स्थान पर "उपखंड" रख दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैं जयराम जी को इसका पंडित मान कर यह स्वीकार कर लेता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ में शब्द "उपधारा" के स्थान पर शब्द "उपखंड" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि धारा १ में "धूम्रपान और निषेध" के पहले "सुरती सेवन" बढ़ा दिया जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से धूम्रपान . . .

अध्यक्ष---मैं इस संशोधन की इजाजत नहीं देता हूं। 'सुरती सेवन' शब्द रखने से तो यह बहुत व्यापक हो जायगा। मैं इसको अवैध करार देता हूं।

श्री जयराम वर्मा---मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (४) की पंक्ति ७ में शब्द "ऐक्ट" के स्थान पर शब्द 'अधिनियम' रख दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यह रख दिया जाय, मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (४) की पंक्ति ७ में शब्द "ऐक्ट" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (५) की प्रथम पंक्ति में शब्द "उपधारा" के स्थान पर शब्द "उपखंड" रख दिया जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (५) की प्रथम पंक्ति में शब्द "उपधारा" के स्थान पर शब्द "उपखंड" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश में सिनेमाघरों में धूम्रपान का निषेध का विधेयक

उत्तर प्रदेश में सिनेमा घरों में धूम्रपान का निषेध करना आवश्यक है;

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## *उत्तर प्रदेश इण्टरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इण्टरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

यह जो विधेयक मैं पेश कर रहा हूं इसमें कोई महत्व की बात नहीं है। कुछ तो इस बीच में कानून की अड़चन पैदा हुई और कुछ नजीरों के सबब से कुछ संशोधन की आवश्यकता मालूम हुई। कुछ फ़ैसलों में अदालत ने यह राय जाहिर की कि जो न्यूज़ रील्स होती हैं या और क़िस्म की चीजें होती हैं और जो खास तमाशे जिस दिन के लिये होते हैं अगर वे नहीं होते तो वह एण्टरटेनमेंट में नहीं आते हैं। इससे यह दिक्क़त पैदा हुई कि जब तक इस तरह से कोई न्यूज़ रील दिखलाई जाय और जो आदमी बैठे हों वे कह दें कि अभी तो एण्टरटेनमेंट शुरू नहीं हुआ लिहाज़ा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उससे एक दिक्क़त पैदा हुई।

दूसरे प्रोप्राइटर के बारे में कहा गया कि मुलाजिम वग़ैरह जो हों उनकी कुछ प्रोप्राइटर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती है। उसको ठीक करने और दिक्कत को हल करने के लिये भी संशोधन की आवश्यकता हुई।

तीसरी चीज जो इसमें है वह बेटिंग टैक्स के बारे में है। यह टैक्स जो होता है उसमें जो लोग बेट जमा करते हैं उनको लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन इसके अलावा बकेट शाप्स होती हैं जो रुपया जमा करती हैं और घुड़दौड़ में बग़ैर लाइसेंस लिये हुये वे कुछ लोगों को नफा नुक़सान उठाने के लिये शरीक कर लेती हैं। इस चीज को भी दूर करना ज़रूरी था और थोड़ा सा नुक्स अलफाज में रह गया था उसको दुरुस्त करना था। दो आने वाले टिकटों में भी इससे टैक्स लगता है। ये संशोधन बहुत सूक्ष्म प्रकार के हैं और मैं समझता हूं कि इनके बारे में सदन को कोई मतभेद न होगा। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन विधेयक के लाने का प्रश्न है हमें कोई किसी तरह का विरोध उन चीजों से नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट के दो एक फैसले थे जिनके कारण से इस बिल की आवश्यकता हुई। लेकिन जहां तक बेट और एण्टरटेनमेंट टैक्स के शासन प्रबन्ध का सवाल है या जनता से वसूल करने का सवाल है इस सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव अवश्य देने हैं। एण्टरटेनमेंट टैक्स वैसे तो इस प्रदेश के लिये बड़ा अच्छा रेवेन्यू का जरिया है और कुछ हद तक वह हमारे खर्च को पूरा करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एण्टरटेनमेंट टैक्स का ज्यादा बोझ अधिकतर हमारे प्रान्त के शहरों में रहने वाले उन गरीब भाइयों पर पड़ता है जो कि दिन भर की मेहनत के बाद शाम के या रात के वक्त कुछ खेल कूद के बहाने या एण्टरटेनमेंट के बहाने या हंसी खुशी के लिये या दिल बहलाने के लिये सिनेमा में चले जाते हैं। अच्छा तो यह होता कि हम उन लोगों की दिक्कतों को देखते हुये उनकी बड़ी-बड़ी परेशानियों को देखते हुये कम से कम ऐसा करते कि जो लोग ५ आने, ७ आने या १० आने तक का टिकट लेते हैं उनसे हम कोई टैक्स न लेते। मैं समझता हूं कि इससे हमारे प्रान्त के शहरों की जो गरीब जनता है और

*यह विधेयक १८ अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जो छोटे तबके के लोग हैं जैसे तांगे वाले, छोटे-छोटे दुकानदार, पान वाले, रिक्शेवाले हैं जिनकी तसल्ली यही है कि सिनेमा देख लें उन्हें आराम पहुंचायेंगे। ऐसे लोगों से यह टैक्स न लेना चाहिये। और अगर हमें इस तरह का टैक्स लेना भी था तो इस तरह से सीधे 'स्टाम्प लगा' कर नहीं लेना चाहिये बल्कि अच्छा होता कि वह फ़िल्म कम्पनी की आमदनी से काट लिया जाता। यदि यह टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर से लिया जाय तो मैं समझता हूं कि हमें रेवेन्यू भी हो जायगी और ग़रीब जनता के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा। जहां तक इस संशोधक विधेयक का सवाल है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि कि साथ ही साथ सरकार इस पर भी गौर करे और इस बात का ऐलान करे कि भविष्य में वह इस बात पर ध्यान देगी कि वह ५ आने और १० आने वालों से टैक्स नहीं लेगी। हां, ऊपर की क्लासेज से टैक्स लेना उचित है। लेकिन निम्न वर्ग के लोगों से टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स लेना उचित नहीं है।

इसके साथ ही साथ जहां तक बेटिंग टैक्स का सवाल है यह घुड़सवारी की दौड़ या रेसिंग पर लाइसेंस है। मैं तो समझता हूं कि यहां रेसेज शायद लखनऊ और कानपुर में ही होती हैं। इसके अन्दर जो टोटेलाईटेजर का काम है या 'बेटिंग' है यह बिल्कुल जुआ है। इससे कोई ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं होती। हमको चाहिये कि इस तरह के जुए को खत्म करें और न होने दें। इसकी डेफीनीशन में आपकी आज्ञा से यहां पढ़ दूं तो मालूम हो जायगा कि यह बिल्कुल जुआ है। मैं नहीं समझता कि जब हम एक ओर जुए को बन्द करने के लिये पुलिस के हाथ में पावर्स देते हैं और यहां तक कि हम चाहते हैं कि दिवाली को भी जुआ न हो, तो फिर हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि मशीन में जो बेटिंग होता है उसे भी बन्द करें। इसकी डेफीनीशन यह है—

"Totalizator" means a totalizator in an enclosure which the stewards controlling a race—meeting have set apart for the purpose, and includes any instrument, machine or contrivance known as the totalizator, or any other instrument, machine or contrivance of a like nature."

[टोटैलिजेटर का अर्थ उस घेरे में एक टोटैलिजेटर से है, जिसे दौड़ मीटिंग का नियंत्रण करते हुए स्टीअर्ड्स ने इस प्रयोजन के लिये अलग कर दिया है, इसमें कोई साधन, मशीन या कंट्रीवैन्स जो टोटैलिजेटर कहलाती है या कोई और साधन, या मशीन या इसी प्रकार की कंट्रीवैंस सम्मिलित है.. ।]

तो यह मशीन होती है जिसके द्वारा जुआ हो सकता है। यह मशीन रूपी जुआ है। जैसे आप पलाश खेल लीजिये और उसे पलाश न कहिये, इसी तरह यह भी जुआ है। इसे बन्द करने से हमारी स्टेट को आमदनी का कुछ नुक़सान जरूर होगा लेकिन हमारे सिद्धान्तों के ऊपर कोई आक्षेप नहीं आने पायेगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखें। जिस सिद्धान्त को हम पहले से मानते चले आये हैं उसे रखने के लिये और पूरा करने के लिये टोटैलाईजेटर और बेटिंग जैसे साधनों को हमें खत्म करना होगा भले ही इसमें कुछ लाख रुपये का हमें नुक़सान हो जाय।

**श्री सुरेश प्रकाश सिंह** (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मैं कुछ निवेदन करने की आवश्यकता तो नहीं समझता था, परन्तु अभी मुझ से पूर्व वक्ता माननीय तिवारी जी ने जो कुछ कहा उससे मुझे उनके दिमाग़ में कुछ ग़लतफ़हमी मालूम हुई। मैंने सोचा कि मैं उसे दूर करूं, क्योंकि सौभाग्यवश या दुर्भाग्य वश मैं कुछ रेसिंग के बारे में जानता हूं। उनका ख़याल है कि 'टोटैलाइजेटर्स' एक मशीन है जिसमें हार और जीत उस मशीन पर डिपेंड करती है। वह मशीन केवल इसलिये है कि जितने लोग बेटिंग करते हैं वह उस मशीन द्वारा रेकार्ड हो जाता है कि उन घोड़ों पर इतने

टिकट बिके। जैसे १७ घोड़े दौड़ रहे हैं और उनमें से एक जीता। जो घोड़े हारते हैं उनका रुपया तक़सीम हो जाता है उस पर जो जीतता है। जैसे यदि हारने वाले २,००० टिकट हैं और जीतनेवाले घोड़े के १०० टिकट हैं तो २,००० टिकटों का रुपया १०० टिकटों में तक़सीम हो जायगा, जो उस घोड़े पर लिये गये थे, जो घोड़ा जीता। इसलिये जुए का प्रश्न तो बुक बैटिंग में भी होता है और टोटेलीजेटर में उठता है। हां, अगर तिवारी जी यह चीज बंद करना ही चाहते हैं तो बैटिंग ह पूरे तौर से बन्द हो जाना चाहिये केवल टोटलिजेटर बन्द नहीं हो सकता है। उसमें तो सिर्फ यह होता है कि फलाना घोड़ा जीतेगा तो इतना पायेगा और फलाना घोड़ा जीतेगा तो इतना पायेगा। सिर्फ टोटलीजेटर एक मशीन होने से ही जुआ नहीं हो जाता। क्योंकि किसी का हारना या जीतना मशीन के ऊपर निर्भर नहीं होता। इसी तरह से कलकत्ता और बम्बई में जो रेसेज होती हैं लखनऊ और कानपुर वग़ैरह जगहों पर उनके ऊपर भी बैटिंग होता है। इसलिये मैं केवल माननीय तिवारी जी का यह भ्रम दूर करने के लिये खड़ा हुआ था कि टोटलीजेटर एक मशीन अवश्य होती है, लेकिन उसके ऊपर किसी को हार या जीत का फैसला नहीं होता।

श्री रामस्वरूप गुप्त (ज़िला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भाषण इस इंटरटेनमेंट और बैटिंग टैक्स के सिलसिले में श्री नारायण दत्त तिवारी ने दिया उनकी दलीलों को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरा विचार तो इससे बिल्कुल विपरीत है। श्री नारायण दत्त जी ने यह कहा कि किसी अंश तक उसके ऊपर टैक्स कम ही न कर दिया जाय, बल्कि हटा दिया जाय। आज सिनेमाघरों की जो हालत है उससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। वहां कैसी भीड़ होती है और किस प्रकार के लोग वहां जाते हैं। उससे सिनेमाघर मनोरंजन का स्थान न रह कर एक तरह से मनोवृत्ति को दूषित करने के स्थान रह गये हैं। हमारे देश में मनोरंजन के बहुत से साधन प्रचलित थे, जिनसे हमारी मनोवृत्ति ऊंची उठती थी। लोग मनोरंजन के लिये गंगा स्नान करने के लिये जाते थे, दर्शन करने जाते थे। घूमने फिरने और पार्कों में जाने का रिवाज भी इधर हो गया था। आज भी पुराने रिवाज पूरे तौर से ख़त्म नहीं हो गये हैं जब कि बिना किसी फीस के कथाओं आदि का प्रबन्ध होता है और लोग उसको सुनने के लिये जाते हैं। ये सारे मनोरंजन के साधन ऐसे थे कि जिनमें मनोरंजन भी होता था और पैसा भी खर्च नहीं होता था और जनता शुद्धमनोवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ करती थी। लेकिन सिनेमाघरों की जो दशा है उससे मनोवृत्ति भी दूषित होती है और स्वास्थ्य को भी हानि हो रही है। मैं तो चाहता था कि जिन लोगों के पास ऐसा व्यर्थ का पैसा है या व्यर्थ का समय है कि वे सिनेमाघरों में जा सकें और वहां जाकर अपना पैसा व्यय करें, वे ज्यादा टैक्स देने के पात्र हैं। यदि हमें कहीं टैक्स लगाना है तो बजाय इसके कि हम उपभोक्ताओं को चीजों पर टैक्स लगायें या बढ़ायें अथवा बिजली वग़ैरह पर टैक्स बढ़ायें हमको सिनेमाघरों पर टैक्स बढ़ा देना चाहिये, बैटिंग पर टैक्स को बढ़ा देना चाहिये। उन्होंने कहा कि ४ आने या ५ आने के टिकट लेने वालों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। वहां पर ऐसे-ऐसे लड़के देखे जाते हैं जिनका वहां जाना किसी प्रकार से भी उचित हो ही नहीं सकता। जब तक कि सरकार उनको रोक न सकती हो उसे टिकटों की दरें बढ़ा कर उनका जाना कम तो अवश्य ही कर देना चाहिये। यह चीज उनके लाभ के लिये ही होगी। अगर यह किसी प्रकार से संभव हो कि इस विधेयक में ये दरें और बढ़ा दी जायं तो इससे जनता का एक बहुत बड़ा उपकार होगा। जिस रूप में विधेयक उपस्थित है उस रूप में उसको ठीक से प्रयोग करने की, ठीक से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। और वैसे तो उसमें कोई दोष है ही नहीं। मैं उसका समर्थन करता हूं। यही बात बेटिंग की है। उस पर कुछ बातें हुई हैं। वह उसके विशेषज्ञ जानें। ये टेक्निकल बातें हैं, मैं उनसे परिचित नहीं हूं। इसलिये इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इंटरटेनमेंट बिल जो आज सदन के सामने आया है उसे हमारे लायक दोस्त माननीय नारायण दत्त जी ने मान लिया। उन्होंने कहा कि ९ आने १० आने तक के लोगों को बिना टैक्सेशन के देखने दिया जाय। मुझे आश्चर्य है कि आज समाजवादी नेताओं की तरफ से इस किस्म की चीजों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं उदाहरण दूं कि यह मशीन रूपी टोटलिजेटर ऐसा ही है जैसे मनुष्य रूप में सोशलिस्ट समझे जायं। तो मैं समझता हूं कि यह इंटरटेनमेंट जो है वह लोगों को बनाने के बजाय बिगाड़ रहा है। आप तो हम से भी चार क़दम आगे हैं। जो भावी नेता हैं राष्ट्र के, और जो रोज हमारे माननीय मुख्य मंत्री के स्थान पर बैठने का दावा करते हैं उन लोगों का यह प्रोग्राम है कि इन चीजों को फ्री कर दिया जाय। मैं तो कहता हूं कि डबल टैक्सेशन होना चाहिये ताकि करप्शन बन्द हो। अभी हमारे लायक दोस्त ने बतलाया कि वहां जितनी हुल्लड़बाजी और गुंडाइज्म होती है, अक्सर मारपीट हो जाती है, नाना प्रकार के झगड़े होते हैं कि उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेशन करना चाहिये। मैं उनसे वाकई सहमत हूं कि बिजली पर और जनता की लाभप्रद चीजों पर कम टैक्सेशन किया जाय लेकिन इन खेल-तमाशों पर ज्यादा टैक्सेशन होना चाहिये। जिससे पैसा बचा कर लोग खाद्य पदार्थों और वस्त्रों पर खर्च करें और अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। हमने देखा है कि खेल तमाशों में दो दो बजे रात तक भीड़ लगी रहती है। रात दिन यह देखने में आता है। इसलिये मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से अपील करूंगा कि वे जरा अपने उद्देश्य पर आने की कोशिश करें। उनको प्रैक्टिकल काम करना चाहिये। "कहता तो बहुता मिले, करता मिले न कोय"। जो कुछ आप कहें उस पर आपको अमल करना चाहिये। आप रोज सुझाव देते हैं और कहते हैं कि यह करना चाहिये, वह करना चाहिये लेकिन आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। मुझे तो प्रैक्टिकल चीज चाहिये।

**एक सदस्य**---यह काहे पर भाषण हो रहा है ?

**अध्यक्ष**---यह उतना ही असंगत है जितना कि आपका पूछना।

**श्री शिवनारायण**---माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मैं हाउस के जितने सदस्य बैठे हुए हैं उनको बतला देना चाहता हूं कि हमें इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। और हमें हाउस से ऐसी चीज पास करानी चाहिये जिसमें जनता का हित हो। यह हमारी जिम्मेदारी है। और मैं इस इंटरटेनमेंट बिल का समर्थन करता हूं, जिसको हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है।

**श्री गोविन्द वल्भ पन्त**---मैं समझता हूं कि जहां तक इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है इससे तो किसी को विरोध है नहीं। जो मौलिक बातें हैं जो कि मूल बिल में थीं, उनसे कुछ नारायण दत्त जी को खुशी नहीं होती। मगर खैर, उसका सवाल तो इस वक्त उठता नहीं है और मैं उनको सलाह दूंगा कि वे दो चार दफा रेसिंग में हिस्सा लें और तब अपने पैसे से टोटलिजेटर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेंगे। लेकिन मुझे तो अन्देशा है कि कहीं वे ऐसे न फंस जांय कि उससे फिर निकल भी न पावें। क्योंकि यह बहुत भले आदमियों का अनुभव है कि कोई इसमें जब दिलचस्पी लेने लगता है तो उसका मन उसी में रहता है और दूसरी जगह जाता नहीं है। इसलिये वह जरा नाजुक और खतरनाक बात भी है परन्तु ठीक तरह से उसके नश्व फरेब को जानने के लिये बगैर उसके हुये पूरी तरह जानकारी भी नहीं हो पाती। मुझे भी इस सबक को सीखना पड़ा, जब मैंने यह बिल पेश किया उसके पहले नहीं तो मैं भी नहीं समझता था कि कौन चीज है क्या ? और रेसकोर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे टेक्नीकल टर्म्स हैं उनको ठीक तरह से जब तक आदमी को अनुभव न हो, समझना कठिन होता है।

अब यह सवाल कि हार्स रेसिंग हो या न हो यह सवाल ऐसा है जिसके ऊपर अलग-अलग रायें हो सकती हैं मगर अब तक आमतौर पर यह समझा गया है कि हार्सरेसिंग से गरीबों का ज्यादा कोई इतना नुकसान नहीं होता और अगर हार्सरेसिंग उठा दी जाय तो जो घोड़ों को अच्छी तरह से रखने, उनकी नस्ल को सुधरने और जितने फायदे घोड़े से देश को होते हैं उनको बढ़ाने और उनको तरगीब देने की बात उसमें कमी आ सकती है। इसी ख्याल से यह हार्सरेसिंग रहने दिया गया है। अगर हार्सरेसिंग को ही मिटा देना है तो उस बिल को जो कि पुराना बिल था उसके रद्द करने का सवाल होगा जहां तक कि सिर्फ हार्सरेसिंग से ताल्लुक रखनेवाली बात का सबंध है। मगर इस वक्त तो सवाल सिर्फ इतना है कि कई लोग ऐसे हैं जो बगैर लाइसेंस लिये हुये एक इन्क्लोजर (घेरे) के बाहर जिसको 'बकेट शाप्स' कहते हैं और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि शाप्स हो यह सिर्फ एक टेक्नीकल लफ्ज है लेकिन जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं ले रखा है उन्होंने बकेट खोल रहे हैं घूमफिर कर लोगों से वहा टिकट ले लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम इस घोड़े पर ५ रुपया का टिकट ले लो अगर वह आ जायगा तो हम १० रुपया तुमको देंगे और नहीं तो यह रुपया हमारा हो जायगा। इस तरह से बकेटशाप्स' होती हैं तो इन बकेट शाप्स से जो लाइसेंस का तरीका है वह बेकार सा हो जाता है। तो वह कमी इस बिल से जो अब संशोधन किया गया है, रद्द हो गई है। उसको दूर करने के लिये ही इस संशोधन की जरूरत है। इसके लिये तो कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि जब तक इस तरह से बैटिंग हो सकती है चाहे बैटिंग का रोकना अवांछनीय न समझा जाय तब तक कम से कम कानून के लफ्जों के होने की वजह से कोई लोग बेजा नफा न उठाने पावें और जो रुपया जनहित के काम में आ सकता है उसको कोई अपनी जेब में न ले जावे। सिर्फ इतना ही इस बिल का उद्देश्य है जो हार्सरेसिंग से संबंधित है और उसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। आया हार्सरेसिंग अच्छा है या नहीं, होना चाहिये या नहीं, यह सवाल उठता नहीं है और वह तो इसके दायरे से बाहर है। जैसा पहला बिल है उसमें यह संशोधन अच्छा है या नहीं यह ही और इतना ही सवाल है। इसके बारे में मैं समझता हूं कि इतना संशोधन तो होना ही चाहिये। जहां तक सिनेमा पर टैक्स लगने या न लगने का, या कि टिकट वाली बात है और उसके इंटरटेनमेंट टैक्स वाली बात है वह उसमें नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिये भी अलग बिल का सवाल उठेगा परन्तु जो लोग सिनेमा जाते हैं वे टैक्स की वजह से न जायं तो मैं समझता हूं कि वह आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यहां तो शिकायत की गई थी कि इस तरह के फिल्म दिखाये जाते हैं जिससे लोगों का हित नहीं होता और कम से कम जहां कम कीमत के टिकट मिलते हैं वहां तो और ज्यादा शायद इस किस्म की कमी रहती है, इसलिये अगर लोग सिनेमा न जायं इसलिये कि उस पर टैक्स लगता है तो कोई बुरी बात नहीं होती, जैसे कि शराब पर अगर एक्साइज ड्यूटी लगाने से लोग न पियें या कम पियें तो मैं समझता हूं कि अच्छा नतीजा निकलता है इसलिये अगर कोई ऐसी चीज नहीं होती और सिनेमा के न जाने से वह पैसा बच जायगा तो उचित ही होगा और जो जाना चाहें वही सिर्फ इस टैक्स को देते हैं। यह तो दुनिया भर में सबसे अच्छा टैक्स समझा जाता है। और यहां भी करीब-करीब सर्वसम्मति से यह कर लगा था।

जो रामस्वरूप जी ने कहा कि और तरह के मनोरंजन के तरीके हमारे यहां थे, वह होने चाहिये। तो उनकी मुमानियत तो है नहीं। हमने छोड़ दिया उन तरीकों को। हमें उन का प्रचार करना चाहिये। हमें अच्छी चीजें लोगों के सामने रखनी चाहिये। बुरी चीजों से बचाने का तरीका सिर्फ यह नहीं है कि हम कह दें कि बुरी है। अच्छी चीजों के प्रचार के लिये हमें उद्योग करना है, उनको बनाना है, फिर अगर उनमें खूबी है और वह अच्छी हैं तो उसमें खुद इतनी आकर्षण शक्ति होनी चाहिये कि लोग उनसे अपना मनोरंजन करें और ऐसे तरीकों में न जायं। इसलिये हम सब लोगों को उद्योग और प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु जब तक हम ऐसा न करें तब तक आज की दुनिया में यह कहना कि सिनेमा न हो करीब-करीब सही नहीं है, जैसे रेल पर मत चढ़ो, हवाई जहाज में मत चलो। बिजली काम में मत लाओ, इस तरह की नयी दुनिया जो है उससे हम लोगों को और अलग नहीं कर सकते हैं। यह कोशिश

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

करनी चाहिये कि फिल्म्स अच्छी हों, उसमें ऐसे रेग्युलेशंस हों जिनसे हानि न हो, लाभ हो । मगर इन चीजों से छुटकारा पाना आज की दुनिया में संभव नहीं है। उससे हानि होती है या नहीं इसमें दो रायें हो सकती हैं। मगर उससे कहीं भाग नहीं सकते। इस बारे में हमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिये ।

इसलिय मैं आशा करता हूं कि इस बिल को सभी स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी——मैं नियम ९६ के अनुसार यह निवेदन करता हूं कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसकी प्रतिलिपि दे दी जाय।

अध्यक्ष——नियम ९६ के अनुसार आप उसे चाहते हैं ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——मैं खुशी से नारायण दत्त जी को दे दूंगा । पहले कहत तो मंगा भी देता। लेकिन जैसा कि अखबारों में छप चुका है उनकी दिलचस्पी होती तो अखबारों में भी पा सकते थे। हाईकोर्ट से भी पा सकते थे। मगर मुझे से कहते तो मैं पहले ही दे देता। और अब भी दे दूंगा। लेकिन आप पहले कह देते तो मैं जरूरत आप को दे देता।

अध्यक्ष——नियमावली के अनुसार तो ठीक है, जब विचार का प्रस्ताव पास हो जाय उस वक्त आप मांग सकते हैं। लेकिन सहूलियत इसमें है कि दो-तीन रोज पहले मांग लें, क्योंकि वह चीज प्राप्त भी तो होनी चाहिये। कोई आसमान से तो नहीं गिरेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी——जब माननीय मंत्री जी से कहा गया था तो यह कहा गया कि आप पहले मांग रहे हैं।

अध्यक्ष——तो आइन्दा कम से कम अध्यक्ष के द्वारा उसको कहलवा दिया कीजिये। आप को पहले मिल जायगा। नियम एक दूसरी चीज है प्रथा इस प्रकार कायम हो सकती है।

खंड २

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा १ का संशोधन।

२——यू० पी० इण्टरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ में

(क) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा ;

"(2) It shall exented to every area which is or which may hereafter be declared a Municipality, a Cantonment, a Notified Area or a Town Area and to any other area to which the State Government may, by notification in the Official Gazette, so extend it either for a specified period or otherwise."

(ख) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारायें (४) और (५) बढ़ा दी जायंगी :

"(4) Where this Act has been extended to any area by notification under sub-section (2) the State Government may at any time by a similar notification withdraw it from that area and whenever the Act has been so withdrawn from any area and, in any case where it has been extended to an area under sub-section (2) for a specified period only, upon the expiry of the period, the provisions of section 6 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act I of 1904), shall have effect as if the Act had then been repealed in that area by an Uttar Pradesh Act.

(5) The powers conferred on the State Government under sub-section (2) may be exercised in respect of the same or different areas as often as occasion requires."

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो यह था कि यह बिल जिस रूप में यहां रखा गया है उसी तरह पास हो जाता। पर मेरी मजबूरी है और मैं आशा करता हूं कि इतना छोटा संशोधन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा १ में प्रस्तावित उपधारा (४) की चौथी पंक्ति में शब्द "withdraw it" और शब्द "from" के बीच में शब्द "in public interest" बढ़ा दिये जायं।

इन शब्दों के बढ़ाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जितने भी कानून या कोई ऐसे कानून या कोई ऐसे आर्डिनेंस वगैरह कहीं पर लागू होते हैं तो वे कुछ सोच समझ कर ही लागू किये जाते हैं। और जब उनको वापस लेने की बात आती है तो बहुत जगह यह देखा गया है कि कुछ लोग जाकर कहते हैं कि यह खराब है। उनकी मरजी को पूरा करने के लिये वह चीज वापस ले ली जाती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जहां पर यह कानून लागू हो वहां से वापस न लिया जाय जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि वैसे तो बड़े कानूनदां इस सदन के अन्दर हैं, लेकिन मैं समझता था कि विदड्राअल किसी खास वजह से होना चाहिये और अगर पब्लिक इंटेरेस्ट में ही विद्ड्रा हो सके तो यह कोई बड़ा वैसा संशोधन नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं मदनमोहन जी से इस बात में सहमत हूं कि जब इस किस्म के फेरफार की जरूरत पड़े या विद्ड्रा किया जाय तो वह पब्लिक इंटेरेस्ट में या पब्लिक प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से ही होना चाहिये, लेकिन इसमें पब्लिक इंटेरेस्ट के मानी क्या समझे जायंगे, अदालतों में क्या इसके ऊपर झगड़े बाजी होगी और फिर यह भी कहा जाय कि हम तो इस पर दावा करते हैं, क्योंकि यह विदड्राअल जो हुआ वह पब्लिक इंटेरेस्ट में नहीं हुआ और पब्लिक इंटेरेस्ट के मानी किस तरह के लिये जायं, इसमें कानूनी अड़चनों की सम्भावना होती है। जहां तक एग्जिक्युटिव का ताल्लुक है मैं इस उसूल को मानता हूं कि सिर्फ पब्लिक के प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टि कोण) से और आम लोंगो के हित की दृष्टि से ही यह बातें होनी चाहियें, मगर मुझे खेद है कि इन लफ्जों से यह मतलब तो सिद्ध नहीं होगा और मुकदमेबाजी और झगड़े की जड़ बनेगी। इसलिये मैंने जो कुछ कहा उससे मैं आशा करता हूं कि वह इसे प्रेस नहीं करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसको देखते हुए मैं आपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में जो उपधारा (४) है उसकी पांचवीं पंक्ति में, "and whenever" से "Act" तक की सारी पंक्तियां निकाल दी जायं। इसमें जो यह लिखा है—

"And whenever the Act has been so withdrawn from any area and, in any case where it has been extended to an area under sub-section (2) for a specified period only, upon the expiry of the period, the provisions of section 6 of the U. P. General Clauses Act, 1901 (U. P. Act I of 1904), shall have effect as if the Act had then been repealed in that area by an Uttar Pradesh Act."

इतना हिस्सा निकाल देना अवश्यक है। उसकी आवश्यकता इसलिये है कि यह हिस्सा नहीं निकाला जाता है तो विरोधाभास उपधारा ५ से हो जाता है इसी खंड का, जिसमें सरकार ने पावर ली है कि—

"The powers conferred on the State Government under sub-section (2) may be exercised in respect of the same or different areas as often as occasion requires".

सरकार चाहे कहीं पर इस आर्डर और इस ऐक्ट के अनुसार जो अधिकार मिले हैं, एक्सटेंड कर सकती है, लगा सकती है, दोबारा कर सकती है, तिबारा कर सकती है। लेकिन अगर जहां पर एक बार यह ऐक्ट लागू कर दिया गया और फिर बाद को उसे वापस ले लिया और वह रिपील हो गया तो फिर जिस तरह से इसमें जेनरल क्लाजेज ऐक्ट के अनुसार बतलाया गया है जो सरकार ने ताकत उपधारा ५ में ली है वह सरकार उपयोग नहीं कर पाती है या इसमें एक कांट्रेडिक्शन हो जाता है। उसमें फिर यह आपत्ति आ सकती है कि साहब यह बात तो आप ने कह दी कि रिपील हो गया लेकिन बाद में आप इसी ऐक्ट के जरिये इसे लागू करने जा रहे हैं इस प्रकार इसमें विरोधाभास हो जाता है। इसके साथ साथ उपधारा (५) ज्यादा टीक है। इसलिये उपधारा (५) को देखते हुये और इस विरोधाभास को देखते हुये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शब्द "and whenever" से ले कर के Uttar Pradesh Act" तक निकाल दिये जायं। इन्हे निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप की आज्ञा से मैं पढ़ दूं?

"Where this Act has been extended to any area by notification under sub-section (2) of the State Government may at any time by a similar notification withdraw it from that area ....."

विद्ड्राअल का जो अधिकार सरकार का है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे विद्ड्राअल के बाद दुबारा लागू करने की आवश्यकता मालूम पड़े तो उपधारा ५ लागू की जा सकती है। म समझता हूं कि इन शब्दों के रहने से एक अड़चन सी आ जाती है और इस अड़चन को देखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं समझता हूं कि नारायण दत्त जी को जो यह हिस्सा इस खंड का है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी भ्रांति है, क्योंकि ४ और ५ के बीच में किसी तरह की आपस में असंगत की बात नहीं है। जो हिस्सा वे उठा देना चाहते उससे तो एक बड़ी कठिनाई पैदा हो सकती है। जहां तक मौलिक बात है वह तो उन्होंने स्वीकार कर ली है। जो यह हिस्सा है इसका अर्थ सिर्फ यह है कि मान लीजिये कहीं पर इंटरटेनमेंट ऐक्ट अभी तक लागू था और आज वहां से वह उठा दिया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। अगर वहां पर पांच सौ रुपये किसी से इंटरटेंमेंट टैक्स के आज तक के वाजिब हों तो वे उससे वसूल किये जायं या न किये जायं, और अगर किसी ने कोई जुर्म वहां किया है तो उसके बारे में कोई कार्यवाही की जाय या न की जाय। इन बातों को साफ करने के लिये जेनरल-क्लाजेज ऐक्ट में जो विधि इस बात की रखी गयी है कि कोई कानून या कोई नियम जो

कहीं पर लागू हो वह अगर वहां से उठा दिया जाय तो उस वक्त तक जो बातें वहां पर हुई हैं उनके संबंध में क्या कार्यवाही की जाय उसकी सफाई की गयी है। अगर यह न की जाय तो यह हो सकता है कि पुराना एक हजार या दो हजार अगर इंटरटेनमेंट टैक्स का किसी सिनेमा-वाले ने जमा किया है, उससे जब देने के लिये कहा जायगा तो वह यह कह देगा कि यह रिपील हो गया है, मुझ से कैसे मांगते हो। इस तरह की बातों के लिये हमेशा जेनरल क्लाजेज ऐक्ट में जो उसूल रखा गया है वह जब कभी किसी जगह कोई कानून लागू किया जाता है और फिर वहां से उठाया जाता है तो लागू किया जाता है। उसके बिना ज्यादा कठिनाई और अड़चनें हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि जो बात मैंने कही है उसको सुनकर अब नारायण दत्त जी इसको रखना उचित नहीं समझेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के क्लैरिफिकेशन को जान करके वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३—६

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा २ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा २ में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :

(क) खंड ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा :

"(11) 'bookmaker' means any person who, whether on his own account or as servant or agent to any other person, carries on, whether occasionally or regularly, the business of receiving or negotiating bets or who in any manner holds himself out, or permits himself to be held out in any manner, as a person who receives or negotiates bets, or conducts such operations, and includes a 'turf commission agent', and 'bookmaking' shall be construed accordingly, so, however, that a person shall not be deemed to be a bookmaker by reason only of the fact that he operates, or is employed in operating a totalisator, and the operating of a totalisator shall be deemed not to be bookmaking; and 'licensed bookmaker' means a bookmaker who is granted a licence or permit with the prior approval of the District Magistrate by any racing club or by Stewards thereof."

(ख) खंड (३) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जायगा :

"*Explanation*—The exhibition of News Reels, documentaries, advertisement slides and cartoon, whether before or during the exhibition of a feature film is "entertainment."

(ग) खंड (७) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जायगा :

"*Explanation*—A person charged with the work of admission to an entertainment is for purposes of sections 4 and 5 a person responsible for the management."

यू० पी० ऐक्ट, ८ की धारा ३ का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "exceeds two annas" के स्थान पर शब्द "Is two annas" रख दिये जायेंगे।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के बाद निम्नलिखति धारा ५-ए बढ़ा दी जायगी :

"5-A. Any reference in this Chapter to admission to an entertainment or to a person admitted to an entertainment shall be deemed to include a reference to admission to another part of place of entertainment for admission to which part a payment involving entertainment tax or more entertainment tax is required of a person who has been admitted to one part of that place of entertainment, and to such a person admitted to such another part of a place of entertainment and the provisions of this Chapter shall have effect accordingly."

यू० पी० ऐक्ट ८, १६३७ की अनुसूची का निकाला जाना ।

६—मूल अधिनियम की धारा १६-बी में शब्द और अंक "Section 16-A" के स्थान पर शब्द और अंक "Section 16-C" रख दिये जायेंगे।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**— आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक के खंड ३ का निम्न प्रकार संशोधन पेश कर रहा हूं :

उपधारा (ख) को (क) लिखा जाय और धारा में प्रथम स्थान यानी एक नम्बर दिया जाय, उपधारा (ग) को (ख) लिखा जाय और धारा में द्वितीय स्थान दिया जाय और उपधारा (क) को (ग) लिखा जाय और धारा में तृतीय स्थान दिया जाय।

यह संशोधन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जो नम्बरिंग की गयी है यह ग़लत हुई है चूंकि खंड ११ सब से पहले रखा गया है फिर उसके बाद खंड ३ रखा गया है और उसके बाद खंड ७ रखा गया है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि खंड ३ के बाद स्पष्टीकरण रखा गया और (क) का स्थान (ख) को दिया जाय और फिर खंड ७ आये और जो उपधारा (ग) है उसको (ख) कर दिया जाय और जो सब से ऊपर (क) है उसको (ग) कर दिया जाय। तो इससे यह नियमित हो जायगा और जो पहले खंड १ का संशोधन आया है खंड ३ और फिर स्पष्टीकरण आया है, यह ठीक हो जायगा। तो यह केवल इसको नियमित करने के लिये है।

**श्री गोविन्द वल्लभ पन्त**—मैंने तो यह संशोधन पहले से देखा नहीं । अगर जैसा नारायण दत्त जी कहते हैं, इससे यह ज्यादा सुधरता है तो संशोधन के विरुद्ध तो मैं हूं नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि स्पीकर इसको देख लें और क, ख, ग, जिस तरह से लिखना चाहें लिख दें ।

अध्यक्ष——यह तो विशेष महत्व का है नहीं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——वह तो आपके अधिकार के भीतर है। मुझे पहले से संशोधन मिलता तो मैं कहता।

अध्यक्ष——माननीय नारायण दत्त जी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री नारायण दत्त तिवारी——मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष——तो आप इस संशोधन को वापस लेते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी——जी हां, मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ३, ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७——मूल अधिनियम की धारा १६–बी के बाद निम्नलिखित नयी धारा १६–सी बढ़ा दी जायगी।

"16-C. Restriction on offer and receiving of bets—

(1) No person, other than a licensed book-maker, shall offer or receive bets on the result of any race held or conducted by a racing club and no such bet shall be offered or received except in an enclosure set apart for the purpose of that club.

(2) Any person who offers or receives bets in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine not exceeding Rs.1,000."

श्री नारायण दत्त तिवारी——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह प्रस्ताव करता हूं कि मूल अधिनियम की धारा १६, उपधारा (१) के आखिर में "at that meeting" के बाद "with the approval of District Magistrate" ये शब्द जोड़ दिये जायं। धारा १६ की उपधारा (१) इस प्रकार है :—

"The stewards of a race-meeting shall, at such times and in such manner as mey be prescribed, forward to the prescribed officers return setting out the names of the bookmakers licensed or permitted by them to carry on the business or vocation of a book-maker—with the approval of the District Magistrate.

'Licenced bookmaker' means a bookmaker who is granted a licence or permit with the prior approval of the Ditsrict Magistrate by any racing club or by Stewards thereof."

तो यहां पर हम यह देखते हैं कि पहले लाइसेंस्ड बुक मेकर की जो परिभाषा थी उसमें "विध दि प्राएर एप्रूवल आफ़ दि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" नहीं था लेकिन संशोधन विधेयक के द्वारा "लाइसेंस्ड बुक मेकर" की परिभाषा में "विद दि प्राएर

[ श्री नारायण दत्त तिवारी ]

एप्रूवल आफ़ दि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति सहित) जोड़ दिया गया है। तो इसको ठीक करने के लिये जो बात यहां पर रखी गयी है उसका रख दिया जाना आवश्यक है। यह संशोधक विधेयक की भावनाओं के अनुकूल है और मैं समझता हूं कि इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

**श्री गोविन्द वल्लभ पन्त**--मैं समझता हूं कि श्री नारायण दत्त जी को कुछ भ्रांति है। जहां पर कोई चीज करनी है, जहां पर कोई काम करना है वहां पर "विद दी एप्रूवल आफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" हो सकता है। लेकिन जहां पर निषेधात्मक कोई बात हो वहां पर एप्रूवल का क्या सवाल है। वहां पर तो कानूनन मुमानियत हो रही है कि कोई आदमी बैटिंग नहीं कर सकेगा। अगर कंडीशनल कोई बात होती तब तो यह हो सकता था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मश्विरा किया जायगा। यह तो एब्सोल्यूट प्राहिबिशन (सर्वथा प्रतिषेध) है। इसमें यह सवाल नहीं आता है। ऐसी हालत में इसको रखने में किसी भाषा से जुड़ नहीं सकता है।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--मैं आपकी आज्ञा से चाहूंगा कि इसका दुबारा स्पष्टीकरण होना चाहिये।

"Bookmakers licensed or permitted by them to carry on the business or vocation of a bookmaker ....."

[शर्तबाज जो लाइसेंस वालें हों या वे लोग जिन्हें उनके द्वारा शर्तबाजी के काम या व्यवसाय करने की आज्ञा दी गयी हो...]

जो इसको करेगा और स्टीवार्ड की आज्ञा से करेगा तो उस मामले में लायसेंस नहीं होगा और कुछ दिन के लिये करेगा तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एप्रूवल (अनुमति) की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह साफ हो जाना चाहिये।

**श्री गोविन्द वल्लभ पन्त**--इसमें यह है कि कोई आदमी एनक्लोजर (घेरे) के बाहर नहीं कर सकता है। जो कुछ भी होगा वह एनक्लोजर के भीतर ही होगा और इसके लिये प्राविजन है कि लायसेंस के बिना नहीं कर सकता है और वह लायसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंजूरी से मिल सकता है। इसमें कोई कांट्राडिक्टरी (विरोधी) बात नहीं है।

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री नारायण दत्त तिवारी**--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन निम्न प्रकार है कि मूल अधिनियम की धारा १७ (२) में शब्द "भ्रान्ति" के बाद और "बुक मेकर्स" से पहले "लायसेंस" जोड़ दिया जाय। इसमें खाली शब्द बुक मेकर है। जब सारे अधिनियम में लायसेंस बुक मेकर शब्द इस्तेमाल किये गये हैं तो मैं समझता हूं कि यह ओमीशन हो गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो इसे स्वीकार कर लें।

**श्री गोविन्द वल्लभ पन्त**--क्या आप अमेंडिंग बिल में संशोधन नहीं कर रहे हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी—जी नहीं। मैं मूल अधिनियम में शब्द लायसेंस जोड़ना चाहता हूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इसके बारे में कोई संशोधन नहीं है। यह सवाल उठ नहीं सकता है।

अध्यक्ष—मैं इस संशोधन की इजाजत नहीं देता।

खंड ८

८—मूल अधिनियम की धारा १७ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १७-ए बढ़ा दी जायगी :

"17-A. Any officer authorised in this behalf by rule (hereinafter called in this Act as the prescribed authority) may ask a person, who is suspected of the contravention of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder to declare immediately his name and address and if the person refuses or fails to give his name and address or the prescribed authority reasonably suspects him of giving a false name or address, the prescribed authority may arrest him without a warrant and detain or get him detained in the nearest Police Station :

Provided that the prescribed authority shall release him on bail if he is prepared to give it. The prescribed authority may also, if it thinks fit, discharge him on his executing a bond with or without sureties for his appearance."

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की अनुसूची का निकाला जाना।

९—मूल अधिनियम की अनुसूची (schedule) निकाल दी जायगी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐंड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९४२

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० इन्टरटेनमेंट ऐण्ट बैटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ में और अधिक संशोधन करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० इण्टरटेंमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव एतत्द्वारा निम्नलिखित अधियिनम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। १--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश इंटरटेंमेंट ऐण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रवलित होगा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंटरटेंमेंट ऐण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐंड बेटिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## *उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रस्ताव लिखा हुआ है उसके स्थान पर मैं दूसरा प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं और वह यों है "मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ को प्रवर समिति के पास भेजा जाय। मैं प्रवर समिति के सदस्यों के नाम अभी पेश करूंगा और प्रवर समिति को यह आदेश दिया जाय कि वह दस दिन के भीतर अपनी रियोर्ट उपस्थित करे।"

चूंकि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास जाना है, इसलिये मैं यहां ज्यादा विस्तार से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता, थोड़े में जो इसके उद्देश्य हैं जो कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स में दिये हुए हैं बताये देता हूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो गम्भीर अपराधों को एक नहीं अनेक बार करते हैं और हमारे पास उनको सुधारने का कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि जो कोई अपराध करें, उनको गिरफ्तार किया जाय और जेल भेजा जाय और जेल से लौट कर वे फिर वही काम करें। इस विधेयक के द्वारा इस बात की कोशिश की जा रही है कि जहां तक बन सके लोगों को अपराध करने से रोका जाय और उनको सुधारने का प्रयत्न किया जाय। अगर कोई आदमी इस किस्म के बार-बार अपराध करता है तो उसकी गतिविधि पर थोड़ी सी रोकथाम की जाय और ऐसे स्थान पर उसे रक्खा जाय जहां उसकी जीविका का साधन उपलब्ध हो, उसकी देखभाल की जाय। अगर फिर भी जो प्रतिबन्ध उस पर लगाये गये हैं, उनके बावजूद भी, वह ठिकाने से न रहे और उनको तोड़ कर फिर अपराध करे तो उसके लिये जरूरी है कि सेटिलमेंट्स खोले जायं, वहां उसको कोई अच्छे अच्छे पेशे सिखाने का प्रबन्ध किया जाय ताकि वह अपनी जीविका ईमानदारी से चला सके और अगर वह चाहे तो अपने कुटुम्ब को वहां ले आ सकता है, ताकि उसका कैदी का सा जीवन न रहे, समाज से कट आफ हो कर न रहे। यही थोड़ा सा इस विधेयक का अर्थ है। जो अमेंडमेंट्स आये हैं उनके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश सदस्यों को इस विधेयक के मूल सिद्धान्त से आपत्ति नहीं है, लेकिन वे समझते हैं कि इसकी भाषा में कहीं कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि इसमें सुधार हो सके। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसीलिये मैंने यह

* २० अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

प्रस्ताव पेश किया कि प्रवर समिति के पास यह जाय और प्रवर समिति जहां-जहां आवश्यक समझे परिवर्तन करे। प्रवर समिति के लिये मैं ये नाम पेश करता हूं :—

अपने नाम के अतिरिक्त—

श्री दीनदयालु शास्त्री
श्री राजदेव उपाध्याय
श्री महमूद अली खां
श्री खूब सिंह
श्री कमाल अहमद रिजवी
श्री रमेश वर्मा
श्री गंगा सिंह
श्री सत्यानन्द
श्री रमानाथ खैरा
श्री गणेश प्रसाद पांडेय
श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी
श्री गगा प्रसाद
श्री शिवनारायण
श्री रघुनाथ प्रसाद
श्री हर दयाल सिंह पिपल
श्री रामनारायण त्रिपाठी
श्री गजेन्द्र सिंह
श्री नारायण दत्त तिवारी
श्री वीरेन्द्र शाह
श्री सत्य सिंह राणा

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**( जिला फैजाबाद )—अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने जो अभ्यस्त अपराधियों के अपराध को रोकने के लिये इस बिल को प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और अब वह बधाई और ज्यादा वाजिब हो गई कि जब उन्होंने सदन के सदस्यों की राय देख कर स्वयं एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय और समुचित विचार करने के बाद यहां पर उपस्थित किया जाय। इस विधेयक को मैंने देखा और इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि यह प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय। अपराधों के मनोविज्ञान का जहां तक सवाल है माननीय गृह मंत्री इस विषय के बहुत बड़े विद्वान् हैं।

अपराध दो कारणों से होते हैं। एक कारण तो आर्थिक होता है और दूसरा मनोवैज्ञानिक होता है। आर्थिक कारणों से जो अपराध होते हैं उनको तो एक हद तक क्षमा किया जा सकता है क्यों कि उन अपराधों के लिये केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है बल्कि समाज उसका जिम्मेदार है और साथ साथ देश का शासन चलाने वाली जो सरकार होती है वह जिम्मेदार होती है लेकिन जो मनोवैज्ञानिक अपराध है वह मनुष्य के मस्तिष्क की विकृति के कारण होते हैं। इस बिल को देखने से ऐसा मालूम होता है कि जिन्होंने इस बिल को बनाया उन्होंने इसे जल्दी में पेश कर दिया क्योंकि इसके अन्दर बहुत सी त्रुटियां रह गई हैं। इन अपराधों के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तमाम जुडिशियरी के ऊपर हाकिम बना दिया गया है।

दूसरी बात यह है कि इंडियन पैनल कोड या क्रिमिनल प्रोसिजर के जरिये से उनको जो सजा दी जायगी उन सजाओं की धाराओं का उल्लंघन किया गया है और १० साल

[ श्री रामनारायण त्रिपाठी ]

या आजीवन कारावास की सजा की व्यवस्था जो की गई वह बहुत ज्यादा है। इसमें कोई बात का प्राविजन नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आज्ञा के खिलाफ सम्बद्ध व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। उस अपील पर विचार किया जा सकता है या नहीं। इसकी भी चर्चा नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में अपराध न हों, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि जो अधिकार इस सदन के द्वारा सरकारी अधिकारियों को दिये जाते हैं उनका गलत प्रयोग न हो, इस प्रकार की कोई त्रुटि इस अधिनियम के अन्दर नहीं छोड़नी चाहिये।

तीसरी बात यह है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत इस बात का इशारा किया गया है कि अभ्यस्त अपराधियों को विशेष बस्तियों में रखा जायगा। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट जब किसी व्यक्ति का किसी बस्ती में रखने का विचार करेंगे तो वहां कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार पा सकता है या नहीं सरकार की तरफ से इस बात की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है।

मैंने पहले कहा है कि आर्थिक कारणों से अपराध होते हैं उसके लिये मुख्यतया देश की सरकार ही जिम्मेदार होती है कि सब लोगों को रोजगार दे लेकिन इस बिल में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है कि आसेध की आज्ञा पाने वाले व्यक्ति की तथा उसके आश्रितों की रोजी की व्यवस्था का भार सरकार पर होगा। हमारे संविधान में यह खामी है कि उसमें इस बात की गारण्टी नहीं है कि रोजगार हर एक नागरिक को दिया जायगा। लेकिन जब वह सरकार के प्रबन्ध में रहेंगे और किसी क्षेत्र में उनको रखा जायगा तो वहां पर सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस व्यक्ति को वह अपनी इच्छानुकूल रखे उसको रोजगार भी दे और साथ ही साथ उसको यह ख्याल होना चाहिये कि विभिन्न प्रकार के अपराधों से जो जेल जाते हैं उनके साथ शत्रुता का व्यवहार न होना चाहिये। जेल के कैदी तो बड़े पैमाने पर ह्यूमन पावर होते हैं।

**अध्यक्ष**--प्रवर समिति में माननीय सदस्य मौजूद हैं। वहां उनके बहुत से सुझाव आ सकते हैं।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय गृह मंत्री को पुनः बधाई देकर उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय ताकि इस पर समुचित विचार हो सके।

**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा** (जिला गोरखपुर)--मान्यवर, माननीय गृह मंत्री ने यह जो प्रस्ताव उपस्थित किया है और इसे प्रवर समिति के सामने भेजने का जो निश्चय किया है मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं, किन्तु साथ ही उनके ऐसे मनोविज्ञान के प्रकांड विद्वान से निवेदन करना चाहता हूं कि दस दिन का समय जो प्रवर समिति के लिये वह दे रहे हैं वह इतने महत्वपूर्ण बिल के लिये नितान्त अनुपयुक्त है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि अभी यहां उन्होंने यह कहा कि जहां तक सदस्यों से प्राप्त संशोधनों का सम्बन्ध है इस बिल से ज्यादा मौलिक अथवा तात्विक मतभेद नहीं प्रतीत होता है। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वास्तव में जब यह बिल प्रवर समिति में जायगा और इस पर गम्भीर विवेचन होगा तो सचमुच इसमें कमी ही नहीं मालूम होगी बल्कि बहुत से मूलतः दोष भी प्रतीत होंगे। इसके अनेक कारण हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

पहला कारण यह है कि इस बिल को लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी होगी कि केन्द्रीय सरकार ने अब क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट को नहीं रखा है इसलिये शायद अब उसके बाद इस बात की भी जरूरत हो कि अभ्यस्त अपराधियों की देख-रेख की जाय।

लेकिन उनके जो सेटिलमेंट इस वक्त तक हैं और उनको जिन लोगों ने देखा है उन को यह बात मालूम भी होगी कि वह बस्तियां उन अभ्यस्त अपराधियों को सुधारने में कहां तक नाक़ाबिल साबित हुई हैं और उन से कुछ काम नहीं चलता। और अब उनके लिये बस्तियां बनाने का आयोजन किया जा रहा है परन्तु उनसे भी कोई लाभ न होगा। वह इसलिये कि क्रिमिनल ट्राइब्स में लोग कई पुश्तों से रहते हैं और जो जहां दादा थे वहीं उनके लड़के भी उसी तरह से चले आते हैं अगर उनको वहां से हटाने की कोशिश की जाती है तो वह हटना नहीं चाहते। उनकी स्त्री और बच्चे भी वहीं उनके साथ रहते हैं। जिन्होंने मुरादाबाद आदि के क्रिमिनल ट्राइब्स के सेटिलमेंट को देखा है वे जानते होंगे कि वहां किस तरह से लोग रहते हैं। वह वहां से हटना या अलग होना पसन्द नहीं करते। अभ्यस्त अपराधी की जो परिभाषा मंत्री महोदय ने रखी है उस पर भी यदि विचार किया जाय तो मालूम होगा कि वह बड़ी दुरुतर और कठिन है। मुझे खेद है कि किन्हीं कारणों से मुझे बन्दी के रूप में जेल में रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ लेकिन ३०,४० जेलों का काफी ठिकाने से निरीक्षण करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभ्यस्थ अपराधी की व्याख्या या परिभाषा करने में मुझे स्वयं कठिनाई होगी। आपको प्रदेश के जेलों में ऐसे अभ्यस्त अपराधी मिलेंगे जो अभ्यस्त नहीं हैं लेकिन कोर्ट ने उनको अभ्यस्त लिख दिया है और उनके रिकार्ड में यही लिखा चला आता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी क़ैदी हैं कि जिन्होंने दस पन्द्रह मर्तबा अपराध किया है उनको कोर्ट ने केजुअल अपराधी लिख दिया है। इस वक्त हैबिचुअल्स हमारी जेलों की २६ हजार की आबादी में क़रीब १५ परसेंट हैं और उनकी तादाद क़रीब ३,९०० के है। बम्बई की जेलों में क़रीब २६.२ हजार की तादाद है और वहां ४,११७ के क़रीब हैबिचुअल्स (अभ्यस्त) थे। वैसे तो हमारे भारत की जेलों में प्रायः १५, १६ और १४ परसेंट का एवेरेज पड़ता है। और देशों की जेलों को देखा जाय तो वहां एवेरेज हमारे यहां के मुक़ाबले में कहीं अधिक है। यह इसलिये नहीं है कि उनके यहां अभ्यस्त अपराधी अधिक होते हैं, बल्कि इसलिये है कि हमारे यहां के रेकार्ड्स बहुत अधूरे हैं। हमारे यहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम अभ्यस्त अपराधी को ठीक से समझ सकें।

दूसरे मैं यह चाहता हूं कि प्रवर समिति में जब यह चीज़ जाय तो उसमें ऐसी चीजें भी रख दी जायं जिन पर प्रवर समिति विचार कर सके और हम भी उस पर आगे चल कर विचार करें तो सम्भव है कि यह बिल काफी अच्छा बन सके। उदाहरण के तौर पर आज तक संसार में अपराधियों के सुधार के लिये ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई बस्ती बसाई जाय। मनोवैज्ञानिक रूप से और जेल के सुधार के रूप से यह चीज़ शायद इसलिये आवश्यक समझी गई कि कैदी के सुधारने का कोई तरीका तो होना चाहिये। अगर मान लिया जाय कि एक तरीका गलत था तो दूसरा तरीका होना चाहिये। विदेशों में अधिक तर कैदी के सुधारने का तरीक़ा यह रहा है कि उन्होंने किसी भी कैदी को अभ्यस्त अपराधी न समझ कर उसके अभ्यास को दूर करने के लिये एक मिनिमम सन्टेंस ५ साल की कर दी। अमेरिका ने नियम कर दिया कि ५ से ७ बरस या ७ से १४ बरस तक कम से कम। इससे कैदी को यह मालूम हो जाता है कि इतने बरस तक हमको रहना है। आगे का उसके चरित्र सुधार पर निर्भर करेगा। ऐसी नियमों में उसके चरित्र को सुधारने के लिये और उसकी अपराध की प्रवृत्ति का निराकरण करने के लिये हमें अपने अपराधियों के लिये बस्ती बसाने की कोई समस्या नहीं रह जायगी। वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इस विषय पर, श्रीमान् बहुत कुछ शास्त्रीय विवेचना भी हुई है।

पहले तो अपराध की व्याख्या करना ही कठिन है। अपराध तो उस वस्तु का नाम है जिसे समाज नहीं चाहता। और कोई मनुष्य उसे करता है। आज सम्भव है कि हम यह कहते हों कि घूसखोरी बहुत बड़ा अपराध है लेकिन जिन अपराधों की विवेचना हम करना

[ श्री परिपूर्णानन्द वर्मा ]

चाहते हैं उनमें बहुत से अपराध ऐसे हैं जो वास्तव में दोबारा हो ही नहीं सकते। मैं तो जरा कहने में संकोच करता हूं लेकिन यदि हमारे जिले की पापूलेशन का एनैलेसिस किया जाय तो इस समय जो अपराधों की तालिका दी गई है उनमें बहुत से ऐसे हैं जो दोबारा हो ही नहीं सकते और शायद उनका कोई प्रतिशत हमारी जेलों में मिलेगा भी नहीं। इंटरनेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में काउंटर फीटिंग आफ दी क्वाइन का बहुत बड़ा जिक्र है। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी कला भी है और ज्यों-ज्यों विज्ञान बढ़ता चला जाता है त्यों-त्यों यह देखा जाता है कि जिसको यंत्रीय ज्ञान बहुत अच्छा होता है, जो बहुत अच्छा मेकैनिक और इंजीनियरिंग का जानने वाला होता है वही शायद काउंटर फीटिंग आफ दी क्वाइन कर सकता है। साधारण आदमी इस काम को नहीं कर सकता। तो इतनी कला जानने की दृष्टि से उसका चरित्र तो बहुत ऊंचा एक प्रकार से हुआ और वह देश के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है यदि उसकी कला का ठीक उपयोग किया जाय। तो यह बड़ी कठिन समस्या है कि ऐसे आदमी को हम किस तरह से अपराधी समझ कर सोसायटी से कन्डेम करें। बहुत से देशों में ऐसी भी चीजें होती हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर हकते। एक जगह वैकुआनालैंड है। वहां यदि किसी को किसी लड़की से शादी करनी होती है तो उससे पहले मंगनी इत्यादि नहीं होती। जिस लड़की को वह पसन्द करता है उसके २ घूंसे ज़ोर से दांतों पर मारता है। यदि आगे के उसके दो दांत गिर पड़े तो शादी हो गई वरना अगर नहीं गिरे तो शादी नहीं हो सकती और यह भी हो सकता है कि वह जन्म भर बग़ैर शादी ही रहे। यह वहां अपराध नहीं माना जाता है कि इस तरह से घूंसा मारा जाय। यहां हम किसी को इस तरह नहीं मार सकते। अभी यहां गैम्बिलिंग का भी जिक्र हुआ था। उसके बारे में जो समीक्षा हुई है उसके लिये जो सबसे बड़ी कमेटी जिसके बारे में मैंने सुना है वह कैफेज़ूर कमेटी है। उसने बहुत यह सोचने और समझने के बाद कि बैटिंग और रेसिंग बड़ी ग़लत चीजें हैं यह निश्चय किया कि किसी भी ग़लत चीज को रोकने का प्रयत्न करना असंभव है। इसलिये उन्होंने इस गैंबलिंग के तरीके को लीगेलाइज करने की सिफारिश की। २ रु० १० फी व्यक्ति पीछे इंगलैण्ड में जुए पर कंट्रोल में खर्चा होता है। हमारे यहां २५० आदमियों के पीछे १ आदमी अपराधी है। ऐसे प्रदेश में जिसमें इतनी तादाद अपराधियों की हो, जिसमें अभ्यस्त अपराधियों का रिकार्ड न हो, कैसे कहा जा सकता है कि अभ्यस्त अपराधी कौन है। अभी जब कि हमारे पास खर्चे की कमी है तथा हमारे पास ऐसे साधन भी नहीं हैं कि जिनसे हम यह पता लगा सकें कि अभ्यस्त अपराधी कितने हैं, १० दिन का समय प्रवर समिति को रिपोर्ट के लिये रखा जाना बड़ी भारी भूल होगी।

जो इसमें अपराधों की तालिका दी हुई है, उसमें आत्म हत्या है, होमो साइड है, कल्पेबिल होमीसाइड है, और ऐसी ही चीजें जो दुबारा नहीं होतीं। लूट और आर्सन, इनके बारे में किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन जहां अपराधों की समीक्षा और निरीक्षण होता है वहां यह देखा जाता है कि बड़े अपराधों की पुनरावृत्ति प्रायः नहीं होती। जब हमने अपराधियों के व्यवहारों आदि के बारे में काफी जानकारी प्राप्त नहीं की है, जब कि हमने अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को नये अन्वेषणों के हिसाब से नहीं बनाया तब हमें इस नये नियम से क्या लाभ हो सकता है?

बहुत दिनों की बात है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि बहुत दिनों पहले मैंने पढ़ा था कि पोलैंड के डिक्टेटर पिलसुडस्की ने जेलों के बारे में लिखा। उन्होंने कहा था कि जेलखानों में काफी रहने के बाद आदमी की प्रवृत्ति अपराधी हो जाती है। उन्होंने कहा था कि सर्वेलेंस एक ऐसी चीज है जिससे

अपराधों में वृद्धि होने की संभावना रहती है। सन् १९२५ में इंगलैण्ड में जो पेनिटेंशियरी कांग्रेस हुई थी उसमें दो बातें बड़ी महत्व की कही गई थीं जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिये बड़े लाभ की हो सकती हैं। मिस्टर पेन ने कहा कि यदि हम जेलों को सुधारना चाहते हैं तो हमको जेलों के खर्चे में वृद्धि करनी होगी। लेकिन समाज के ऊपर उस खर्च का भार लादना ठीक नहीं है। इसके लिये जेलों का औद्योगीकरण करना चाहिये। उन्होंने कहा कि हम यू० एस० ए० की जेलों में जो इतना बड़ा भारी खर्चा कर सकते हैं उसका एक मात्र कारण यही है कि हमने वहां पर औद्योगीकरण किया है।

इसके बाद मिस्टर बालर ने दूसरी बात कही कि आज हमारी जेलों में अपराधी इसलिये बढ़ते हैं कि हम उन्हें जो छट देते हैं उसके लिये कोई यह नियम हम रखते हैं कि वह अच्छा काम करें तथा अपना चरित्र अच्छा रखें। इसका नतीजा यह होता है कि वह अच्छा काम भी नहीं कर पाता और न चरित्र ही बना पाता है। आज हमारे जेलों में सर्वत्र करीब-करीब यही नियम लागू हैं। दूसरी मिसाल मैं बिहार के बारे में दूंगा।

**अध्यक्ष**--यदि माननीय सदस्य अधिक विस्तार में न जायं तो अच्छा होगा।

**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**--बिहार की गवर्नमेंट ने अभ्यस्त अपराधियों के लिये एक स्पिनिंग मिल खोला है। अब या तो वे अभ्यस्त ठीक हो जायंगे या राज्य के लाभ के लिये काम करते रहेंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी जबलपुर में टेंट का कारखाना खोला है जिसमें अभ्यस्त अपराधी ही काम करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभ्यस्त अपराधियों की बस्ती के बसाने में हमारा कोई कल्याण नहीं है और उसमें काफी पैसे की भी आवश्यकता होगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री मेरे कथन पर विचार करेंगे।

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव के बाद दो भाषण हुये। एक तो श्री रामनारायण त्रिपाठी का जिन्होंने, मैं समझता हूं मूल सिद्धांतों को स्वीकार किया है। और क्योंकि वे प्रवर समिति के भी सदस्य हैं इसलिये अगर उन्हें कुछ एतराज भी होंगे तो प्रवर समिति में हमें उनसे पूरी-पूरी मदद मिलेगी। दूसरे श्री परिपूर्णानन्द जी ने जो कुछ कहा वे बहुत ही उपयोगी तथा उपादय बातें हैं, परन्तु मेरा ऐसा ख्याल है कि उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अप्रासंगिक और अव्यवहारिक हैं। और जिनका कोई खास उपयोग नहीं है। अपराध क्या है, अपराधी किसे कहते हैं यह बड़ा विवादात्मक प्रश्न है। अपराधी को कैसे डील करना चाहिये इस पर बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुये हैं। हमको भी यहां इन बातों को सोचना चाहिये। परन्तु इन सब बातों के होते हुये भी व्यवहारिक बातें कुछ करनी ही पड़ती हैं। मैं जानता हूं जिन बातों की तरफ उन्होंने संकेत किया कि जेल में ऐसे लोग जो एक मर्तबा ही आते हैं हैबिचुअल आफेंडर (अभ्यस्त अपराधी) करार दिये जाते हैं और ऐसी भी सूरतें हैं कि जो कई बार जेल आते हैं लेकिन कैजुअल अपराधी ही लिखे जाते हैं। तो इसके लिये प्रवर समिति के मेम्बर जैसा उचित समझेंगे करेंगे कि इसके लिये क्या किया जाय जिसमें इस तरह की गलती न होने पावे। और हैबिचुअल (अभ्यस्त) और कैजुअल (आकस्मिक) में कैसे फर्क दिया जाय, इसमें क्या घटाया जाय या क्या बढ़ाया जाय, इस पर भी प्रवर समिति विचार कर सकती है। इसी तरह से सेटलमेंट रखने के बारे में भी है कि सेटलमेंट रखा जाय या न रक्खा जाय। इस पर भी प्रवर समिति विचार करेगी और अगर समझेगी कि नहीं रखना चाहिये तो उसे निकाल देगी। इसी तरह से इनडिटरमिनेट सेंटेंस की बात भी है। ऐसे अपराधियों को किसके साथ रखना चाहिये किसके साथ नहीं, प्रवर समिति में यह चीज भी लायी जा सकती है। लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि आदर्श के चक्कर में पड़ कर व्यवहारिक चीजें न की जायं।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसके अलावा यह भी कहा गया कि १० दिन के अन्दर यह चीज नहीं हो सकतीं। ठीक है, यदि बहुत लम्बा चौड़ा शास्त्रार्थ हो तब तो काम खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन यदि व्यवहारिक दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करें तो दस दिन में समिति अपने काम को खत्म कर देगी। अगर किसी कारण वश १० दिन में काम खत्म न हो तो फिर मैं आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये हमको इतना समय और मिलना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से इस काम को करेंगे तो १० दिन में समिति की रिपोर्ट आपके सामने पेश करने में समर्थ होंगे। इसलिये मैं फिर उस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२, को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और वह समिति १० दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे। और उसके निम्नलिखित सदस्य होंगे--

१—श्री दीन दयालु शास्त्री
२—श्री राजदेव उपाध्याय
३—श्री महमूद अली खां
४—श्री खूब सिंह
५—श्री कमाल अहमद रिज़वी
६—श्री रमेश वर्मा
७—श्री गंगा सिंह
८—श्री सत्यानन्द
९—श्री रमा नाथ खेरा
१०—श्री गणेश प्रसाद पांडेय
११—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी
१२—श्री गंगा प्रसाद
१३—श्री शिव नारायण
१४—श्री रघुनाथ प्रसाद
१५—श्री हरदयाल सिंह पिपल
१६—श्री राम नारायण त्रिपाठी
१७—श्री गजेन्द्र सिंह
१८—श्री नारायण दत्त तिवारी
१९—राजा वीरेन्द्र शाह
२०—श्री सत्य सिंह राणा

इसके अलावा माननीय मंत्री जी भी इसमें होंगे। इस प्रकार २१ सदस्य हुये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---अब नियम के अनुसार चूंकि इसमें उपाध्यक्ष नहीं हैं इसलिये मुझे यह निर्णय करना है कि इसके कौन सभापति होंगे। तो माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी जो इस बिल के पुरःस्थापन कर्ता हैं, वे इसके सभापति होंगे।

# *उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५२

**न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)**—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस संशोधन विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है यह हाउस जानता है कि कोर्ट फीस का जो ऐक्ट है वह तो केन्द्रीय सरकार का है लेकिन मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतें उसमें वक्तन फवक्तन तरमीमें करती रही हैं और उसमें जो रकमें मुकर्रर हैं उसमें अदल बदल होते रहे हैं इसकी वजह से जो अब उसकी शक्ल हो गई उसमें बहुत सी बेतुकी रकमें शामिल हो गई है लिहाजा इस ऐक्ट के जरिये हमारा सिर्फ यह मकसद है कि जहां तक इन रकमों का ताल्लुक है वह बराबर कर दी जायं तो इससे यह पता चलेगा कि कहीं पर एक आने से या तीन आने से ज्यादा का इजाफा नहीं हुआ और हर रकम जो कोर्ट फीस में मुकर्रर है उसको पूरा करके ४ आना ज्यादा से ज्यादा ३ आना बढ़ा करके अगली रकम तक पूरा कर दिया गया है और इसी गरज से यह पेश किया गया है। मैं इस सिलसिले में यह भी बता दूं कि मुख्तलिफ रकमें जो इसमें लिखी हुई हैं मसलन् १५ आने या एक रुपया है, या १४ आने या और इस किस्म की जो रकमें हैं। इसमें जो आने के बीच के पैसे हैं। उनको जनता शायद ही कभी वापस लेती है और इस तरह की वही रकम वह दे देती है जिसकी आज तजवीज की जा रही है कि इसमें पूरी रकम होनी चाहिये। इससे न कम का स्टाम्प मिलता है और न किसी को मौका होता है जो हिसाब जोड़कर आने या दो आने या तीन आने वापस ले। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि यह सीधा ऐक्ट है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपर ऐतराज हो सके और मैं इस हाउस से इस्तुदुआ करूंगा कि इसको वह मंजूर करे ।

**श्री नारायण दत्त तिवारी** ( जिला नैनीताल )—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह देखने में बहुत ही सीधासादा ऐक्ट है और जैसा कि हमारे न्याय मंत्री जी ने फरमाया है कि इसमें महज कुछ दोषों को दूर करने के लिये संशोधन किया गया है और बहुत ही साधारण है लेकिन इस साधारण ऐक्ट में कुछ भेद भी छिपे हुये हैं और वह भेद यह है कि अगर इसको यह कहा जाय कि यह 'इनडाइरेक्ट टैक्सेशन' है और एक प्रकार से दोषों को घटाना बढ़ाना ही नहीं है या ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐक्ट में खामियां रह गयीं हैं कई शब्दों की गलतियां रह गई हैं या अलग अलग प्रांतों में अलग अलग गड़बड़ियां रहती हैं उसको दूर करना है । सवाल यह है कि जनता से और ज्यादा पैसा लेना है उसके लिये यह ऐक्ट लगाया गया है। अगर इसके उद्देश्य को पढ़ा जाय तो उसमें साफ है समय समय पर संशोधित तथा उत्तर प्रदेश में यथा प्रयुक्त कोर्टफीस ऐक्ट, १८७० के अधीन जो शुल्क देय होते हैं उनकी गणना रुपये की विषम भिन्नों तक करनी पड़ती है इससे जनता को बहुत असुविधा होती है तथा हिसाब करने और जोड़ने में कठिनाई होती है अतः ऐसे भिन्नों को रुपये के अगले चतुर्थांश तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है। जनता को बहुत असुविधा होती है उनको हिसाब करने और जोड़ने में कठिनाई होती है इसलिये जनता को यह तकलीफ होती है। एक पैसा या ३ पैसा जोड़ने में या ३ आने और ५ आने जोड़ने में तकलीफ होती है इसलिये ८ आने कर दिया जाय। लेकिन जनता को कोई तकलीफ घटाने या बढ़ाने में नहीं होती और लोगों के यहां मुनीम और लाला लोग तो अपनी दूकानों में दिन रात जोड़ते रहते हैं और बड़े बड़े व्याज और चक्रवृद्धि व्याज जोड़ते हैं उन्हें उसमें आनन्द आता है लेकिन इस असुविधा का जो हमारे न्याय मंत्री जी ने जिक्र किया है उसके लिये वह चाहते हैं कि कोर्ट फीस को बढ़ाया जाय यानी जो फ़ैकशन्स है वह बढ़ जायेंगे यानी ४ आने से कम है तो ४ आने हो जायेंगे और साढ़े चार आने हैं तो ८ आने हो जायेंगे और अगर साढ़े ८ आने हैं तो १२ आने हो जायेंगे और अगर साढ़े १२ आने हैं तो एक रुपया हो जायगा ।

तो इस तरह से बड़ी रकम चुपचाप हमारी सरकार की जेब में चली जायगी। लेकिन इससे देहात की जनता को क्या तकलीफ होगी, उनका कितना खर्चा बढ़ेगा शायद माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर न्याय नहीं किया । जनता के लिये अगर थोड़ा सा न्याय करते तो

---

*२१ अगस्त, १९५२ को कार्यवाही में छपा है।

[ श्री नारायण दत्त तिवारी ]

शायद फ्रैक्शन्स का हिसाब न लगाते। मैं यह समझ सकता था कि सवा दो आने से तीन आने कर दिया जाय। या मैं समझ सकता था सवा दो आने को दो आने कर दिया जाय। लेकिन सवा दो आने को एकदम चार आने पर लाना या सवा चार आने को आठ आने पर लाना ये फ्रैक्शन्स जनता की पाकेट से फ्रिक्शन पैदा करने के लिये आते हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ा एतराज इस उसूल के अनुसार है।

दूसरी जो विरोध की बात है वह यह है कि एक शेडेयूल इसके पीछे लगा दिया गया है 'एडिवेलरम ड्यूटी' का। शेडेयूल देखने में बड़ा लम्बा चौड़ा है। अगर माननीय सदस्य इसका विश्लेषण करने लगेंगे तो पांच रुपये से लेकर ११ लाख ४५ हजार रुपये तक 'एडिवलेरम ड्यूटीज ' का शेडेयूल लगा हुआ है। यह शेड्यूल इस होशियारी से बनाया गया है कि ऊपर से देखने में कुछ नहीं लगता। मालूम होता है कि बहुत सीधासादा मामला है। लेकिन इसमें भी दरें बढ़ा दी गयी हैं। जहां इसका सवाल आता है दावा दायर करने में कितनी फीस लगायी जाय वहां भी फीस बढ़ा दी गई है। १९४८ का जो पुराना ऐक्ट था उसमें पहला आइटम है कि जहां पर पांच रुपये का दावा है वहां आठ आने फीस पड़ेगी। इसमें भी यही है। शुरू में कोई बड़होत्री नहीं हुई है और आखिर में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी ११ लाख ४५ हजार के दावे पर १२ हजार ५ सौ की फीस रखी गयी है। शुरू और आखिर तो बिलकुल मिलता है। लेकिन जब आप बीच में देखेंगे तो यह पायेंगे कि जितनी भी फीस की दरें हैं वह सब बढ़ा दी गयी हैं और दरें कौन सी ज्यादा बढ़ी हैं, जो एक हजार और दस हजार रुपये के बीच में हैं, जिसके सबसे ज्यादा दावे होते हैं।

अगर तुलना की जाय तो अगर ४९० के ऊपर का दावा हो लेकिन ५ सौ से ज्यादा न हो तो पुराने ऐक्ट में ५० फीस है। अब की ५५ कर दी गयी है। इसी तरह अब किस तरह से बढ़ते हैं। जहां एक हजार रुपये के दावों पर १२८ रु० २ आने पहले फीस थी, वहां इस शेडेयल में १४२ रु० ८ आने कर दी गयी है। जहां पहले पांच हजार वाले दावों पर ५०३ रु० २ आने फीस थी, वहां पर ५२२ रू० ८ आने कर दी गयी है। इसके बाद दस हजार से घटना शुरु हो गया है। दस हजार की फीस पहले पुराने ऐक्ट में थी ८७७ रु० २ आने। अब नये शेडेयूल में पेश किया गया है ८९७ रु० ८ आने। यहां से घटना शुरू हो गया है। तो इससे जनता का सबसे ज्यादा नुक्सान है। १० हजार के बाद फिर घटाना शुरू कर दिया गया है। इसके बाद लाखों तक आंकड़े मिलेंगे। उन पर कम दर कर दिया गया है।

आखिर में जो सबसे बड़ा दावा होगा वह फिर पहले के बराबर हो गया १२,५०० हो गया। तो जो निम्न मध्यम वर्ग हैं उन्हीं को ये शिड्यूल हिट करता है, पूंजीपतियों के लिये नहीं बढ़ाया गया जो लाखों का दावा करेंगे। जो हजारों का और सैकड़ों का करेंगे उनका ४८ के शिड्यूल से बढ़ा दिया गया। इससे समझा जा सकता है कि यह कितना सीधा साधा और मासूम ऐक्ट है। लेकिन माननीय न्याय मन्त्री हमारे साथ न्याय करेंगे और यह स्वीकार करेंगे कि यह शेड्यूल इतना 'इन्नोसेंट' ऐक्ट नहीं जितना कि बताया गया है। कहा गया है कि "इस अवसर का उपयोग इस अधिनियम के अन्य छोटे मोटे दोषों को दूर करने के लिये भी किया जा रहा है।" दोष जरूर थे कि पुराने ऐक्ट में दरें कम थीं, फीस कम थी, फ्रैक्शंस थे इसलिये जनता से और ज्यादा रुपया लेने के लिये माननीय न्याय मंत्री जी ने इस विधेयक को पेश किया है। मैं इस बिल का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। चूंकि यह कोई संशोधक विधेयक नहीं है बल्कि जनता के ऊपर और वह भी निम्न मध्यम वर्ग की जनता के ऊपर, जो भूमिधर नये बनाये गये हैं उनके ऊपर और उनकी जेबों से ज्यादा रुपया निकालने के लिये इनडायरेक्ट (अप्रत्यक्ष) टैक्सेशन है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

**वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)**—जनाबवाला, एक बहुत ही बड़ी गलत-फहमी है इस वक्त, उसका दूर हो जाना बहुत जरूरी है । इसलिये मैंने जनाब की इजाजत चाही कि इस बिल के मुताल्लिक कुछ अर्ज करूं ।

कोर्ट फीस को जो बहुत अर्से से इस देश में जारी थी सन् ३८ में कांग्रेस गवर्नमेंट ने तरमीम किया। उसके बाद सन् ३९ में जब कांग्रेस हुकूमत चली गयी और उस वक्त कोई इस देश के नुमाइन्दों का लेजिस्लेचर या हुकूमत बाकी नहीं रही तो सन् ४३ में हैलेट रेजिम ने स्टैम्प और कोर्ट फीस के अंदर २५ फीसदी का इजाफा किया । उस वक्त से एक खास दिक्कत पैदा हुई और वह दिक्कत यह कि जो रकम पहले से कोर्ट फीस ऐक्ट में लिखी हुई थी शिड्यूल में उस वक्त कि इतनी मालियत के मुकदमें के ऊपर इतनी कोर्टफीस देनी होगी, उस रकम के टिकट मिलते थे। अब उसमें २५ फीसदी बढ़ा तो कोई रकम ऐसी बनी मसलन ५३ रु० ३ आने या साढ़े तीन आने, उसके बढ़ जाने की वजह से ऐसे फ्रैक्शन निकलने लगे आने और पाइयों में कि जिनके डिनामिनेशन (नाम) के टिकट ही नहीं बनते। मसलन ८ आने का टिकट था, उस पर फिर ९ आने का टिकट हो गया या साढ़े नौ आने का हो गया, तो उस डिनामिनेशन के टिकट नहीं मिलते । जितने आदमी थे वह यही करते रहे कि वह अगले डिनामिनेशन के टिकट लगाते रहे हैं । तो जितनी रकमें इस बिल में मानी गयी हैं जो इसमें तरमीम की गयी हैं उस तरमीम का नतीजा सिर्फ यह है कि यहां की जनता सन् ४३ से बराबर अदा कर रही है वही अदायगी होगी । उससे कोई ज्यादा रकम मांग नहीं रहे हैं और न कोई नया टैक्स लग रहा है, न बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा नये डिनामिनेशन के टिकट बनने और छपने में दिक्कतें और खर्चा इतना होगा कि उसका मुकाबिला करने के बजाय यह ज्यादा बेहतर और मुनासिब मालूम होगा कि जो प्रेजेंट स्टेट आफ अफेयर्स (वर्तमान कार्य स्थिति) है वही रहे और जो प्रेजेन्ट रेट्स (वर्तमान दरें) हैं उन्हीं को लीगलाइज (वैधीकरण) कर दिया जाय। लिहाजा यह बिल आज लाया गया। इस गरज से नहीं लाया गया कि जनता से ज्यादा रुपया हासिल किया जाय, क्योंकि वह ९ साल से बराबर देती आ रही है। तो कोई ज्यादा चीज नहीं मांगी जा रही है। तो मेरे दोस्त को वह मासूम बिल नजर नहीं आया, इन्नोसेंट नहीं मालूम हुआ और उसके पीछे किसी क़िस्म का फ्रेब या चालाकी उनको नजर आयी। मैं उनको बतलाता हूं कि वह फ्रेब व चालाकी जिस तरह से दुनिया में पहले मौजूद थी उसी तरह से आज भी मौजूद है । वह इस बिल के जरिये से नहीं आ रही है । वह दुनिया में पहले से आयी हुयी है और यहां तक कि दुनिया के जितने मामलात हैं उनके अन्दर वह हमेशा शामिले हाल रहती है । इसमें न कोई इजाफा है और न कोई नया टैक्स लेने की कोशिश है । इसमें सिर्फ यह कोशिश की गयी है कि उस डिनामिनेशन की पूर्ति हो जाय जिस डिनामिनेशन की पूर्ति की दिक्क़त न मिलने की वजह से होती है । जो तकलीफ उन्होंने कही वह तकलीफ असल में यह है और इसको रफा करने के लिये यह सोचा गया कि जो एक आदमी को शुबहा रहता है कि मालूम नहीं कि कोर्ट मानेगी या नहीं मानेगी, दूसरा फ़रीक ऐतराज कर देगा, नहीं कर देगा और नहीं मालूम क्या क्या नतीजे भुगतने पड़ें, उससे बेहतर यह है कि कानूनी शक्ल उसको दे दी जाय। इस तरह से हर एक के लिये रास्ता बिलकुल सीधा और साफ हो जाता है ।

मैंने तो मजबूरन इसलिये यह अल्फाज अर्ज करने की जुरअत की कि मेरे दोस्त ने कुछ ऐसे ढंग से तक़रीर करने की कोशिश की कि लोगों के दिलों में बदगुमानियां पैदा हो जायं और जो यहां सुनते हों वे यह समझें कि यह एक बड़ा अन्याय हो रहा है और जो न्याय करने वाला आदमी है वह जनता के साथ और यहां के लेजिस्लेचर के साथ अन्याय करने खड़ा हो गया है । यह बात नहीं है । बात यह है कि जो एग्ज़िस्टिंग स्टेट आफ़ अफेयर्स है उसी को कायम किया जा रहा है और कोई नई चीज नहीं की जा रही है ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कोर्ट फीस के संशोधन पर मैं समझता हूं कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मगर यह जरूर है कि कोर्ट फीस का बढ़ना किसी भी मुल्क में अच्छा नहीं समझा जाता । कहा यह जाता है "जस्टिस इज़ नेवर सोल्ड (न्याय कभी बेचा नहीं जाता)।" हमारे मुल्क में यह दुर्भाग्य है कि हम इसको पूरा नहीं कर पाये और जैसा वित्त मंत्री जी ने बताया कि आठ आने का एक अर्जी का टिकट होता था परन्तु वह बढ़ते बढ़ते १५ आने तक पहुंच गया। अब हम यह करने जा रहे हैं कि एक रुपया उसका कर दिया जाय । इसके जो उद्देश्य माननीय न्याय मंत्री जी ने दिये हैं वे बिलकुल ठीक ठीक हैं और उनसे मैं बिलकुल सहमत हूं । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो पढ़ कर सुनाया उसमें उन्होंने ऊपर का हिस्सा पढ़ कर सुना दिया परन्तु नीचे के हिस्से को या तो जानबूझ कर नहीं पढ़ा या उस पर उनकी नजर नहीं पड़ी। उसमें उन्होंने यह दिया है कि इस अवसर का उपयोग इस अधिनियम के अन्य छोटे मोटे दोषों को दूर करने के लिये भी किया जा रहा है । यह आपको पढ़ना चाहिये था । म यह भी बतला देना चाहता हूं कि यह बिलकुल ठीक है कि इसमें कुछ दोष हैं। यह १५ आने और एक रुपया १४ आने की जो कोर्ट फीस चलती थी उसके संबंध में भी मैं इस सदन को आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि उसमें ऐसे दोष हैं जो प्रैक्टिकली देखने में आते हैं।

माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कानून पास जरूर किया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है । उनको शायद मालूम नहीं है कि अमली तरीके से क्या होता है । देखने में अक्सर यह आता है कि लिटिगेंट (मुक़दमा लड़ने वाला) जिसको कि कोर्ट फीस लगानी पड़ती है, उसको जेब से १५ आने के बजाय जहां पहले भी एक रुपया जाता था वहां अब भी एक रुपया की जरूरत पड़ेगी। जल्दी की वजह से अक्सर यह होता है कि उससे यह कह दिया जाता है कि जाओ एक आने का काग़ज़ ले आओ और १५ आने का टिकट ले आओ या कभी कभी जो टिकट वेंडर होता है वह उसको दो वाटर मार्क काग़ज़ दे देता है और १५ आने का टिकट दे देता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह छोटे छोटे दोष हैं जिनका दूर होना बहुत जरूरी है । इस तरह इससे यह चीज़ भी हल होती है और कुछ हमारे रेवेन्यू में इज़ाफा हो जाता है ।

हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जरायम बढ़ने की वजह से ज्यादा अदालतें कायम करनी पड़ती हैं। अगर उसमें भी कुछ मदद मिल जाती है तो किसी पार्टी को अखरने वाली बात नहीं होनी चाहिये । इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और न्याय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया जो इस संशोधन को पेश किया । इससे कोर्ट फीस के संबंध के छोटे मोटे दोष पूरे हो जायंगे।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मुझे नारायण दत्त जी के साथ थोड़ी सी हमदर्दी है और थोड़ी सी शिकायत है । शिकायत तो यह है कि उन्होंने यह कोशिश की है कि इस बात को जाहिर करें कि मैं कोई धोखा दे रहा हूं और इस हाउस को.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैंने यह कभी नहीं कहा और फ्राड (जाल) भी नहीं कहा।

अध्यक्ष—वह अपना इंटरप्रेटेशन (निर्वचन) दे रहे हैं, आपका नहीं दे रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—या कम से कम कोई ग़लतफ़हमी फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। और जिस तरह से उन्होंने आपके सामने अपने प्वाइंट को पुट किया उससे यह मालूम होता था कि साहब, वह तो महज़ हम राउण्ड आफ़ कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा टैक्स पब्लिक के ऊपर लाद देना चाहते हैं और उसको हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी लिये इस तरह से और इन अल्फाज़ के साथ इस बिल को पेश किया है। मैं उनको यह बतला देना चाहता हूं कि जो बिल टैक्सेशन का होगा और जिसमें टैक्स बढ़ाया गया है उसमें साफ़-साफ़ कह दिया गया है कि हम इतनी रक़म टैक्स की बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिसमें टैक्स बढ़ाने की

नियत नहीं है बल्कि सिर्फ़ फ़ीगर्स को दुरुस्त कर देने की नियत है और वह भी पब्लिक की सहूलियत के लिये। उसको हमें इसी तरह से कहना था और यही हमारी ग़रज़ थी और यही इसमें है और न इससे कम है और न इससे ज्यादा है ।

बहस के दौरान में हमारे तिवारी जी ने यह भी कहा कि साहब सवा चार आने थे तो उसको चार आने क्यों नहीं कर दिये गये, आठ आने क्यों कर दिये गये। मैं उनको यह बतला देना चाहता हूं कि जो भी ख़राबियां इस ऐक्ट में हों लेकिन आधा आना और सवा आना, इस तरह से इसमें नहीं है। आना तक तो ठीक है, यानी जैसे १५ आने हैं, ४ आने है फिर उसके बाद ५ आने हैं, लेकिन साढ़े चार आने, साढ़े छः आने, ये इस ऐक्ट में बिलकुल नहीं हैं। तो इसलिये यह सवाल उठता ही नहीं है ।

अब उसके बाद बहुत बड़ी बात हमारे तिवारी जी ने यह पकड़ ली कि उन्होंने कहा साहब, देखिये इस शेड्यूल में रक़म तो बिलकुल गोल है, यानी एक राउंड फ़ीगर ५० की मौजूद थी उसको बढ़ा कर ५५ कर दिया गया। मगर मैं यह अर्ज करूंगा और इसी बुनियाद पर हमें उनके साथ हमदर्दी है कि गोकि उन्होंने क़ानून तो ज़रूर पास कर लिया है, लेकिन उनको क़ानून का तजुर्बा हासिल नहीं हुआ है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी––आप से कम ही है ।

श्री सैयद अली ज़हीर––वह तो ज़ाहिर है। (हंसी)

उसके सिलसिले में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि असल में जो कोर्ट फ़ीस मुक़र्रर की गयी है वह शेड्यूल १ में मुक़र्रर की गयी है और शेड्यूल १ में जो रक़में बढ़ाई गयी हैं उसी में हमने ये रक़में बढ़ा कर इनको सही फ़ीगर्स कर दिया है । अगर नारायण दत्त जी बाद के सेक्शन को गौर से देखेंगे तो उनको यह मालूम होगा कि शैड्यूल १ में जो तरमीम की गयी है उसकी रू से तो पहली दो रक़में आठ आठ आने की हैं लेकिन उसके बाद १५ आने की रक़म को १ रुपया कर दिया गया है और उसके बाद १ रुपया १ आने की रक़म को १ रुपया ४ आने कर दिया गया है और उसके बाद १ रुपया ९ आने को १ रुपया १२ आने कर दिया गया है । इस तरह होते होते ४७ तक तो उसमें रक़में दी हुई हैं लेकिन उसके बाद यह लिखा गया है कि

"Provided that the maximum fee leviable on plaint or a memorandum of appeal shall be Rs.12,500."

यह वह आख़िरी रक़म है कि जो उस शेड्यूल में यानी दूसरे शेड्यूल जिसका उन्होंने हवाला दिया है उसमें दर्ज है । तो असल में यह दूसरा शेड्यूल नहीं है, बल्कि यह तो एक टेबुल आफ़ रेट्स ऐण्ड वैलोरेम कोर्ट फीस की है जो दी गयी है और उसको रेडी रेकनर के तौर पर बनाया गया है उस टुबुल आफ़ रेट्स में जो कि यहां पर फ़िक्स किये गये है वह तो बढ़ा दिये गये हैं इस ऐड वैलोरेम कोर्ट फ़ीस के सिलसिले में यानी १५ आने के १ रुपया और १ रुपये १ आने के १ रुपये ४ आने और उसी के रेट्स जब हम वर्क आउट करते हैं तो वही फीगर्स आती है कि जिसके ऊपर यह एतराज करते हैं कि साहब, यह क्या आप राऊंड आफ़ नहीं कर रहे हैं । तो बात असल में यह है कि जो फीस बढ़ी है वह शिड्यूल वन में है । जो मुकर्ररा रक़म से ज्यादा बढ़ गयी है । इसको वर्क आउट कर दिया है । इसके रेट्स दिये हैं । ज़ाहिर है कि मैकजिमम फ़ीस वही है जैसा कि मैंने पढ़ कर सुनाया है; न उसके चेंज करने की ज़रूरत थी और न हमने उसको बढ़ाया ही है ।

"Provided that the maximum fee leviable shall not exceed Rs.12,500."

दिया हुआ है । लेकिन बीच में जब कैलकूलेट किया जायगा और जिस तरह से रक़म बदलेगी तो हमने उसे बदल कर ऐक्ट को उसी शक्ल में आपके सामने रख दिया है । इसलिये मैं

[श्री सैयद अली जहीर]

अर्ज़ करूंगा कि जो कुछ आप की ग़लत फ़हमी है कि हम धोखा देना चाहते हैं या ऐसे टैक्सेज लाना चाहते हैं जिनको हम कहना नहीं चाहते हैं यह महज़ आप की ग़लत फहमी है और बदज़नी है। यह वाक़या नहीं है।

अगर हमें टैक्स बढ़ाना है तो हमने वहां पर कहा भी है। मस्लन स्टाम्प ऐक्ट आयगा तो आप देखेंगे कि जहां हमें टैक्स बढ़ाने की जरुरत पड़ी है हमने कहा है। मगर हम मुल्क की तरक्की के लिये टैक्स बढ़ाना जरूरी समझते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां हमने टैक्स बढ़ाया नहीं है बल्कि राउंड आफ़ किया है और इसी शक्ल में यह बिल आप के सामने लाये हैं। यह भी आप साहबान से छिपाने की जरूरत नहीं है कि इसके बढ़ाने से जरूर थोड़ी बहुत आमदनी गवर्नमेंट को बढ़ जायगी। इसके माने यह नहीं हैं कि इससे कोई असर पब्लिक के ऊपर पड़ जायगा बल्कि पब्लिक को आसानी और सहूलियत इसको कैलकूलेट करने में होगी। इसीलिये यह बिल लाया गया है। मेरे खयाल में माननीय तिवारी जी की अब गलतफ़हमी दूर हो गयी होगी।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फ़ीस (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खण्ड १-७

## उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक १९५२

१८७० का ऐक्ट ७

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, को उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में उक्त ऐक्ट में और संशोधन करने का

विधेयक

१८७० का ऐक्ट ७

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है:

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारंभ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करें।

१८७० के ऐक्ट ७ की धारा ४ में संशोधन।

२--उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, (जिसे यहां आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण (explanation) जोड़ दिया जायगा :--

"*Explanation*—Where the amount of fee prescribed in the Schedules contains any fraction of a rupee below four annas, or above four annas but below eight annas, or above eight annas but below twelve annas, or above twelve annas but below one rupee, the proper fee shall be an amount rounded off to the next higher quarter of a rupee as hereinafter appearing in the said Schedules."

३—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में:— १८७० के ऐक्ट ७ की धारा ६ में संशोधन।

(क) दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द "than" और शब्द "that" के बीच में शब्द "one and one-fourth of" रख दिये जायंगे।

(ख) दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जायगा—

"*Explanation.*—Where the amount of fee prescribed in the Schedules contains any fraction of a rupee below four annas, or above four annas but below eight annas, or above eight annas but below twelve annas, or above twelve annas but below one rupee, the proper fee shall be an amount rounded off to the next higher quarter of a rupee as hereinafter appearing in the said Schedules."

४—मूल अधिनियम की धारा ७ (४—बी) के दूसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्य में संख्या "200" के स्थान पर संख्या "250" रख दी जायगी। १८७० के ऐक्ट ७ की धारा ७ में संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १८ में शब्द "fifteen annas" के स्थान में शब्द "one rupee" रख दिया जायगा। १८७० के ऐक्ट ७ की धारा १८ में संशोधन।

६—मूल अधिनियम की अनसूची १ (Schedule I) में— १८७० के ऐक्ट ७ की अनुसूची १ में संशोधन।

(क) शीर्षक "Ad valorem fees" के नीचे शब्द "See Explanations to sections 4 and 6 (1)" रख दिये जायंगे।

(ख) तृतीय स्तम्भ में—

(१) अनुच्छेद (article) १ में शब्द "fifteen annas", "one anna", "nine annas", "six annas", "two annas", और "forty-six rupees fourteen annas", के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee", four annas", "twelve annas", eight annas", "four annas", और "forty-seven rupees". रख दिये जायंगे।

(२) अनुच्छेद ६ और ७ में शब्द "fifteen annas" और "one rupee fourteen annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee" और "two rupees" रख दिये जायंगे।

(३) अनुच्छेद ८ और ८—ए में शब्द "fifteen annas" के स्थान पर शब्द "one rupee" रख दिये जायंगे।

(४) अनुच्छेद ९ में शब्द "ten" के स्थान पर शब्द "twelve" रख दिया जायगा।

(५) अनुच्छेद ११ में शब्द "three and one-eight" और "eight and one-eighth" के स्थान पर

क्रमशः शब्द " three and one-fourth " "eight and one-fourth" रख दिये जायंगे ।

(६) अनुच्छेद १२ में शब्द "three and one-eighth" " four and eleven-sixteenth ", " five and five-eighth", "nine and three-eighth", " eight and one-eighth ", " ten and five-sixteenth ", " thirteen and one-eighth", के स्थान पर क्रमशः शब्द " three and one-fourth ", " four and three- fourth ", " five and three-fourth " " nine and one-half ", " eight and one-fourth ", " ten and one-half ", और " thirteen and one-fourth " रख दिये जायंगे ।

(७) अनुच्छेद १२–ए में शब्द "three and one-eighth" के स्थान पर शब्द "three and one fourth" रख दिये जायंगे ।

(ग) वादों के निवेशन ( Institution of suits ) पर आदेय मूल्यानुसार शुल्क ( ad valorem fees ) की दरों की सारणी (Table) के स्थान पर, इस अधिनियम की अनुसूची में दी गयी सारणी रख दी जायगी ।

१८७० के ऐक्ट ७ की अनुसूची २ का संशोधन।

७––मूल अधिनियम की अनुसूची २ (Schedule II) के तीसरे स्तम्भ में :

(१) अनुच्छेद १ में शब्द "three annas" "fifteen annas" और " one rupee, fourteen annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "four annas" "one rupee" और "two rupees" रख दिये जायंगे ।

(२) अनुच्छेद १–ए में शब्द " seven" और अक्षर "d" के स्थान पर क्रमशः शब्द "eight" और अक्षर "e" रख दिये जायंगे ।

(३) अनुच्छेद २ और ४ में शब्द "ten" के स्थान पर शब्द "twelve" रख दिया जायगा ।

(४) अनुच्छेद ५,६ और ७ में शब्द "fifteen annas" के स्थान पर शब्द "one rupee" रख दिया जायगा ।

(५) अनुच्छेद १० में शब्द " fifteen annas" और " rupee fourteen annas" के स्थान पर शब्द " one rupee "और" two rupees" क्रमशः रख दिये जायंगे ।

(६) अनुच्छेद ११ में शब्द "fifteen annas" के स्थान पर शब्द " one rupee" रख दिये जायंगे ।

(७) अनुच्छेद १४ में शब्द "six" के स्थान पर शब्द "eight" रख दिया जायगा ।

अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १ से लेकर ७, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

# अनुसूची
# SCHEDULE

[*See section* 6 (*c*)]

Table of rates of *ad valorem* fees leviable on the institution of suits

| Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee | Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. | Rs. | Rs. a. | Rs. | Rs. | Rs. a. |
| .. | 5 | 0 8 | 180 | 190 | 19 0 |
| 5 | 10 | 1 0 | 190 | 200 | 20 0 |
| 10 | 15 | 1 8 | 200 | 210 | 21 0 |
| 15 | 20 | 2 0 | 210 | 220 | 22 0 |
| 20 | 25 | 2 8 | 220 | 230 | 23 0 |
| 25 | 30 | 3 0 | 230 | 240 | 24 0 |
| 30 | 35 | 3 8 | | | |
| 35 | 40 | 4 0 | 240 | 250 | 25 0 |
| 40 | 45 | 4 8 | 250 | 260 | 26 0 |
| 45 | 50 | 5 0 | 260 | 270 | 27 0 |
| 50 | 55 | 5 8 | 270 | 280 | 28 0 |
| 55 | 60 | 6 0 | 280 | 290 | 29 0 |
| 60 | 65 | 6 8 | 290 | 300 | 30 0 |
| 65 | 70 | 7 0 | 300 | 310 | 31 4 |
| 70 | 75 | 7 8 | 310 | 320 | 32 8 |
| 75 | 80 | 8 0 | 320 | 330 | 33 12 |
| 80 | 85 | 8 8 | 330 | 340 | 35 0 |
| 85 | 90 | 9 0 | 340 | 350 | 36 4 |
| 90 | 95 | 9 8 | 350 | 360 | 37 8 |
| 95 | 100 | 10 0 | 360 | 370 | 38 12 |
| 100 | 110 | 11 0 | 370 | 380 | 40 0 |
| 110 | 120 | 12 0 | 380 | 390 | 41 4 |
| 120 | 130 | 13 0 | 390 | 400 | 42 8 |
| 130 | 140 | 14 0 | 400 | 410 | 43 12 |
| 140 | 150 | 15 0 | 410 | 420 | 45 0 |
| 150 | 160 | 16 0 | 420 | 430 | 46 4 |
| 160 | 170 | 17 0 | 430 | 440 | 47 8 |
| 170 | 180 | 18 0 | 440 | 450 | 48 12 |

| Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee | Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. | Rs. | Rs. a. | Rs. | Rs. | Rs. a. |
| 450 | 460 | 50 0 | 760 | 770 | 102 4 |
| 460 | 470 | 51 4 | 770 | 780 | 104 0 |
| 470 | 480 | 52 8 | 780 | 790 | 105 12 |
| 480 | 490 | 53 12 | 790 | 800 | 107 8 |
| 490 | 500 | 55 0 | 800 | 810 | 109 4 |
| 500 | 510 | 56 12 | 810 | 820 | 111 0 |
| 510 | 520 | 58 8 | 820 | 830 | 112 12 |
| 520 | 530 | 60 4 | 830 | 840 | 114 8 |
| 530 | 540 | 62 0 | 840 | 850 | 116 4 |
| 540 | 550 | 63 12 | 850 | 860 | 118 0 |
| 550 | 560 | 65 8 | 860 | 870 | 119 12 |
| 560 | 570 | 67 4 | 870 | 880 | 121 8 |
| 570 | 580 | 69 0 | 880 | 890 | 123 4 |
| 580 | 590 | 70 12 | 890 | 900 | 125 0 |
| 590 | 600 | 72 8 | 900 | 910 | 126 12 |
| 600 | 610 | 74 4 | 910 | 920 | 128 8 |
| 610 | 620 | 76 0 | 920 | 930 | 130 4 |
| 620 | 630 | 77 12 | 930 | 940 | 132 0 |
| 630 | 640 | 79 8 | 940 | 950 | 133 12 |
| 640 | 650 | 81 4 | 950 | 960 | 135 8 |
| 650 | 660 | 83 0 | 960 | 970 | 137 4 |
| 660 | 670 | 84 12 | 970 | 980 | 139 0 |
| 670 | 680 | 86 8 | 980 | 990 | 140 12 |
| 680 | 690 | 88 4 | 990 | 1,000 | 142 8 |
| 690 | 700 | 90 0 | 1,000 | 1,100 | 152 0 |
| 700 | 710 | 91 12 | 1,100 | 1,200 | 161 8 |
| 710 | 720 | 93 8 | 1,200 | 1,300 | 171 0 |
| 720 | 730 | 95 4 | 1,300 | 1,400 | 180 8 |
| 730 | 740 | 97 0 | 1,400 | 1,500 | 190 0 |
| 740 | 750 | 98 12 | 1,500 | 1,600 | 199 8 |
| 750 | 760 | 100 8 | 1,600 | 1,700 | 209 0 |

| Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee | Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. | Rs. | Rs. a. | Rs. | Rs. | Rs. a. |
| 1,700 | 1,800 | 218 8 | 4,800 | 4,900 | 513 0 |
| 1,800 | 1,900 | 228 0 | 4,900 | 5,000 | 522 8 |
| 1,900 | 2,000 | 238 8 | 5,000 | 5,250 | 541 4 |
| 2,000 | 2,100 | 247 0 | 5,250 | 5,500 | 560 0 |
| 2,100 | 2,200 | 256 8 | 5,500 | 5,750 | 578 12 |
| 2,200 | 2,300 | 266 0 | 5,750 | 6,000 | 597 8 |
| 2,300 | 2,400 | 275 8 | 6,000 | 6,250 | 616 4 |
| 2,400 | 2,500 | 285 0 | 6,250 | 6,500 | 635 0 |
| 2,500 | 2,600 | 294 8 | 6,500 | 6,750 | 653 12 |
| 2,600 | 2,700 | 304 0 | 6,750 | 7,000 | 672 8 |
| 2,700 | 2,800 | 313 8 | 7,000 | 7,250 | 691 4 |
| 2,800 | 2,900 | 323 0 | 7,250 | 7,500 | 710 0 |
| 2,900 | 3,000 | 332 8 | 7,500 | 7,750 | 728 12 |
| 3,000 | 3,100 | 342 0 | 7,750 | 8,000 | 747 8 |
| 3,100 | 3,200 | 352 8 | 8,000 | 8,250 | 766 4 |
| 3,200 | 3,300 | 361 0 | 8,250 | 8,500 | 785 0 |
| 3,300 | 3,400 | 370 8 | 8,500 | 8,750 | 803 12 |
| 3,400 | 3,500 | 380 0 | 8,750 | 9,000 | 822 8 |
| 3,500 | 3,600 | 389 8 | 9,000 | 9,250 | 841 4 |
| 3,600 | 3,700 | 399 0 | 9,250 | 9,500 | 860 0 |
| 3,700 | 3,800 | 408 8 | 9,500 | 9,750 | 878 12 |
| 3,800 | 3,900 | 418 0 | 9,750 | 10,000 | 897 8 |
| 3,900 | 4,000 | 427 8 | 10,000 | 10,500 | 925 12 |
| 4,000 | 4,100 | 437 0 | 10,500 | 11,000 | 954 0 |
| 4,100 | 4,200 | 446 8 | 11,000 | 11,500 | 982 4 |
| 4,200 | 4,300 | 456 0 | 11,500 | 12,000 | 1,010 8 |
| 4,300 | 4,400 | 465 8 | 12,000 | 12,500 | 1,038 12 |
| 4,400 | 4,500 | 475 0 | 12,500 | 13,000 | 1,067 0 |
| 4,500 | 4,600 | 484 8 | 13,000 | 13,500 | 1,095 4 |
| 4,600 | 4,700 | 494 0 | 13,500 | 14,000 | 1,123 8 |
| 4,700 | 4,800 | 503 8 | 14,000 | 14,500 | 1,151 12 |

| Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee | Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. | Rs. | Rs. a. | Rs. | Rs. | Rs. a. |
| 14,500 | 15,000 | 1,180 0 | 50,000 | 55,000 | 2,212 8 |
| 15,000 | 15,500 | 1,208 4 | 55,000 | 60,000 | 2,259 8 |
| 15,500 | 16,000 | 1,236 8 | 60,000 | 65,000 | 2,353 8 |
| 16,000 | 16,500 | 1,264 12 | 65,000 | 70,000 | 2,400 8 |
| 16,500 | 17,000 | 1,293 0 | 70,000 | 75,000 | 2,447 8 |
| 17,000 | 17,500 | 1,321 4 | 75,000 | 80,000 | 2,494 8 |
| 17,500 | 18,000 | 1,349 8 | 80,000 | 85,000 | 2,541 8 |
| 18,000 | 18,500 | 1,377 12 | 85,000 | 90,000 | 2,588 8 |
| 18,500 | 19,000 | 1,406 0 | 90,000 | 95,000 | 2,635 8 |
| 19,000 | 19,500 | 1,434 4 | 95,000 | 1,00,000 | 2,682 8 |
| 19,500 | 20,000 | 1,462 8 | 1,00,000 | 1,05,000 | 2,729 8 |
| 20,000 | 21,000 | 1,500 0 | 1,05,000 | 1,10,000 | 2,776 8 |
| 21,000 | 22,000 | 1,537 8 | 1,10,000 | 1,15,000 | 2,823 8 |
| 22,000 | 23,000 | 1,575 0 | 1,15,000 | 1,20,000 | 2,870 8 |
| 23,000 | 24,000 | 1,612 8 | 1,20,000 | 1,25,000 | 2,917 8 |
| 24,000 | 25,000 | 1,650 0 | 1,25,000 | 1,30,000 | 2,964 8 |
| 25,000 | 26,000 | 1,687 8 | 1,30,000 | 1,35,000 | 3,011 8 |
| 26,000 | 27,000 | 1,725 0 | 1,35,000 | 1,40,000 | 3,058 8 |
| 27,000 | 28,000 | 1,762 8 | 1,40,000 | 1,45,000 | 3,105 8 |
| 28,000 | 29,000 | 1,800 0 | 1,45,000 | 1,50,000 | 3,152 8 |
| 29,000 | 30,000 | 1,837 8 | 1,50,000 | 1,55,000 | 3,199 8 |
| 30,000 | 32,000 | 1,875 0 | 1,55,000 | 1,60,000 | 3,246 8 |
| 32,000 | 34,000 | 1,912 8 | 1,60,000 | 1,65,000 | 3,293 8 |
| 34,000 | 36,000 | 1,950 0 | 1,65,000 | 1,70,000 | 3,340 8 |
| 36,000 | 38,000 | 1,987 8 | 1,70,000 | 1,75,000 | 3,387 8 |
| 38,000 | 40,000 | 2,025 0 | 1,75,000 | 1,80,000 | 3,434 8 |
| 40,000 | 42,000 | 2,062 8 | 1,80,000 | 1,85,000 | 3,481 8 |
| 42,000 | 44,000 | 2,100 0 | 1,85,000 | 1,90,000 | 3,528 8 |
| 44,000 | 46,000 | 2,137 8 | 1,90,000 | 1,95,000 | 3,575 8 |
| 46,000 | 48,000 | 2,175 0 | 1,95,000 | 2,00,000 | 3,622 8 |
| 48,000 | 50,000 | 2,212 8 | | | |

| Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee | Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. | Rs. | Rs. a. | Rs. | Rs. | Rs. a. |
| 2,00,000 | 2,05,000 | 3,669 8 | 3,55,000 | 3,60,000 | 5,126 8 |
| 2,05,000 | 2,10,000 | 3,716 8 | 3,60,000 | 3,65,000 | 5,173 8 |
| 2,10,000 | 2,15,000 | 3,763 8 | 3,65,000 | 3,70,000 | 5,220 8 |
| 2,15,000 | 2,20,000 | 3,810 8 | 3,70,000 | 3,75,000 | 5,267 8 |
| 2,20,000 | 2,25,000 | 3,857 8 | 3,75,000 | 3,80,000 | 5,314 8 |
| 2,25,000 | 2,30,000 | 3,904 8 | 3,80,000 | 3,85,000 | 5,361 8 |
| 2,30,000 | 2,35,000 | 3,951 8 | 3,85,000 | 3,90,000 | 5,408 8 |
| 2,35,000 | 2,40,000 | 3,998 8 | 3,90,000 | 3,95,000 | 5,455 8 |
| 2,40,000 | 2,45,000 | 4,045 8 | 3,95,000 | 4,00,000 | 5,502 8 |
| 2,45,000 | 2,50,000 | 4,092 8 | 4,00,000 | 4,05,000 | 5,549 8 |
| 2,50,000 | 2,55,000 | 4,139 8 | 4,05,000 | 4,10,000 | 5,596 8 |
| 2,55,000 | 2,60,000 | 4,186 8 | 4,10,000 | 4,15,000 | 5,643 8 |
| 2,60,000 | 2,65,000 | 4,233 8 | 4,15,000 | 4,20,000 | 5,690 8 |
| 2,65,000 | 2,70,000 | 4,280 8 | 4,20,000 | 4,25,000 | 5,737 8 |
| 2,70,000 | 2,75,000 | 4,327 8 | 4,25,000 | 4,30,000 | 5,784 8 |
| 2,75,000 | 2,80,000 | 4,374 8 | 4,30,000 | 4,35,000 | 5,831 8 |
| 2,80,000 | 2,85,000 | 4,421 8 | 4,35,000 | 4,40,000 | 5,878 8 |
| 2,85,000 | 2,90,000 | 4,468 8 | 4,40,000 | 4,45,000 | 5,935 8 |
| 2,90,000 | 2,95,000 | 4,515 8 | 4,45,000 | 4,50,000 | 5,972 8 |
| 2,95,000 | 3,00,000 | 4,562 8 | 4,50,000 | 4,55,000 | 6,019 8 |
| 3,00,000 | 3,05,000 | 4,609 8 | 4,55,000 | 4,60,000 | 6,066 8 |
| 3,05,000 | 3,10,000 | 4,656 8 | 4,60,000 | 4,65,000 | 6,113 8 |
| 3,10,000 | 3,15,000 | 4,703 8 | 4,65,000 | 4,70,000 | 6,160 8 |
| 3,15,000 | 3,20,000 | 4,750 8 | 4,70,000 | 4,75,000 | 6,207 8 |
| 3,20,000 | 3,25,000 | 4,797 8 | 4,75,000 | 4,80,000 | 6,254 8 |
| 3,25,000 | 3,30,000 | 4,844 8 | 4,80,000 | 4,85,000 | 6,301 8 |
| 3,30,000 | 3,35,000 | 4,891 8 | 4,85,000 | 4,90,000 | 6,348 8 |
| 3,35,000 | 3,40,000 | 4,938 8 | 4,90,000 | 4,95,000 | 6,395 8 |
| 3,40,000 | 3,45,000 | 4,985 8 | 4,95,000 | 5,00,000 | 6,442 8 |
| 3,45,000 | 3,50,000 | 5,032 8 | 5,00,000 | 5,05,000 | 6,489 8 |
| 3,50,000 | 3,55,000 | 5,079 8 | 5,05,000 | 5,10,000 | 6,536 8 |

| Where the amount or value of the sudject matter exceebs | But does not exceed | Proper fee | Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. | Rs. | Rs. a. | Rs. | Rs. | Rs. a. |
| 5,10,000 | 5,15,000 | 6,583 8 | 6,65,000 | 6,70,000 | 8,040 8 |
| 5,15,000 | 5,20,000 | 6,630 8 | 6,70,000 | 6,75,000 | 8,087 8 |
| 5,20,000 | 5,25,000 | 6,677 8 | 6,75,000 | 6,80,000 | 8,134 8 |
| 5,25,000 | 5,30,000 | 6,724 8 | 6,80,000 | 6,85,000 | 8,181 8 |
| 5,30,000 | 5,35,000 | 6,771 8 | 6,85,000 | 6,90,000 | 8,228 8 |
| 5,35,000 | 5,40,000 | 6,818 8 | 6,90,000 | 6,95,000 | 8,275 8 |
| 5,40,000 | 5,45,000 | 6,865 8 | 6,95,000 | 7,00,000 | 8,322 8 |
| 5,45,000 | 5,50,000 | 6,912 8 | 7,00,000 | 7,05,000 | 8,369 8 |
| 5,50,000 | 5,55,000 | 6,959 8 | 7,05,000 | 7,10,000 | 8,416 8 |
| 5,55,000 | 5,60,000 | 7,006 8 | 7,10,000 | 7,15,000 | 8,463 8 |
| 5,60,000 | 5,65,000 | 7,053 8 | 7,15,000 | 7,20,000 | 8,510 8 |
| 5,65,000 | 5,70,000 | 7,100 8 | 7,20,000 | 7,25,000 | 8,557 8 |
| 5,70,000 | 5,75,000 | 7,147 8 | 7,25,000 | 7,30,000 | 8,604 8 |
| 5,75,000 | 5,80,000 | 7,194 8 | 7,30,000 | 7,35,000 | 8,651 8 |
| 5,80,000 | 5,85,000 | 7,241 8 | 7,35,000 | 7,40,000 | 8,698 8 |
| 5,85,000 | 5,90,000 | 7,288 8 | 7,40,000 | 7,45,000 | 8,745 8 |
| 5,90,000 | 5,95,000 | 7,335 8 | 7,45,000 | 7,50,000 | 8,792 8 |
| 5,95,000 | 6,00,000 | 7,382 8 | 7,50,000 | 7,55,000 | 8,839 8 |
| 6,00,000 | 6,05,000 | 7,429 8 | 7,55,000 | 7,60,000 | 8,886 8 |
| 6,05,000 | 6,10,000 | 7,476 8 | 7,60,000 | 7,65,000 | 8,933 8 |
| 6,10,000 | 6,15,000 | 7,523 8 | 7,65,000 | 7,70,000 | 8,980 8 |
| 6,15,000 | 6,20,000 | 7,570 8 | 7,70,000 | 7,75,000 | 9,027 8 |
| 6,20,000 | 6,25,000 | 7,617 8 | 7,75,000 | 7,80,000 | 9,074 8 |
| 6,25,000 | 6,30,000 | 7,664 8 | 7,80,000 | 7,85,000 | 9,121 8 |
| 6,30,000 | 6,35,000 | 7,711 8 | 7,85,000 | 7,90,000 | 9,168 8 |
| 6,35,000 | 6,40,000 | 7,758 8 | 7,90,000 | 7,95,000 | 9,215 8 |
| 6,40,000 | 6,45,000 | 7,805 8 | 7,95,000 | 8,00,000 | 9,262 8 |
| 6,45,000 | 6,50,000 | 7,852 8 | 8,00,000 | 8,05,000 | 9,309 8 |
| 6,50,000 | 6,55,000 | 7,899 8 | 8,05,000 | 8,10,000 | 9,356 8 |
| 6,55,000 | 6,60,000 | 7,946 8 | 8,10,000 | 8,15,000 | 9,403 8 |
| 6,60,000 | 6,65,000 | 7,993 8 | 8,15,000 | 8,20,000 | 9,450 8 |

| Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee | Where the amount or value of the subject matter exceeds | But does not exceed | Proper fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs. | Rs. | Rs. a. | Rs. | Rs. | Rs. a. |
| 8,20,000 | 8,25,000 | 9,497 8 | 9,85,000 | 9,90,000 | 11,048 8 |
| 8,25,000 | 8,30,000 | 9,544 8 | 9,90,000 | 9,95,000 | 11,095 8 |
| 8,30,000 | 8,35,000 | 9,591 8 | 9,95,000 | 10,00,000 | 11,142 8 |
| 8,35,000 | 8,40,000 | 9,638 8 | 10,00,000 | 10,05,000 | 11,189 8 |
| 8,40,000 | 8,45,000 | 9,685 8 | 10,05,000 | 10,10,000 | 11,236 8 |
| 8,45,000 | 8,50,000 | 9,732 8 | 10,10,000 | 10,15,000 | 11,283 8 |
| 8,50,000 | 8,55,000 | 9,779 8 | 10,15,000 | 10,20,000 | 11,330 8 |
| 8,55,000 | 8,60,000 | 9,826 8 | 10,20,000 | 10,25,000 | 11,377 8 |
| 8,60,000 | 8,65,000 | 9,873 8 | 10,25,000 | 10,30,000 | 11,424 8 |
| 8,65,000 | 8,70,000 | 9,920 8 | 10,30,000 | 10,35,000 | 11,471 8 |
| 8,70,000 | 8,75,000 | 9,967 8 | 10,35,000 | 10,40,000 | 11,518 8 |
| 8,75,000 | 8,80,000 | 10,014 8 | 10,40,000 | 10,45,000 | 11,565 8 |
| 8,80,000 | 8,85,000 | 10,061 8 | 10,45,000 | 10,50,000 | 11,612 8 |
| 8,85,000 | 8,90,000 | 10,108 8 | 10,50,000 | 10,55,000 | 11,659 8 |
| 8,90,000 | 8,95,000 | 10,155 8 | 10,55,000 | 10,60,000 | 11,706 8 |
| 8,95,000 | 9,00,000 | 10,202 8 | 10,60,000 | 10,65,000 | 11,753 8 |
| 9,00,000 | 9,05,000 | 10,249 8 | 10,65,000 | 10,70,000 | 11,800 8 |
| 9,05,000 | 9,10,000 | 10,296 8 | 10,70,000 | 10,75,000 | 11,847 8 |
| 9,10,000 | 9,15,000 | 10,343 8 | 10,75,000 | 10,80,000 | 11,894 8 |
| 9,15,000 | 9,20,000 | 10,390 8 | 10,80,000 | 10,85,000 | 11,941 8 |
| 9,20,000 | 9,25,000 | 10,437 8 | 10,85,000 | 10,90,000 | 11,988 8 |
| 9,25,000 | 9,30,000 | 10,484 8 | 10,90,000 | 10,95,000 | 12,035 8 |
| 9,30,000 | 9,35,000 | 10,531 8 | 10,95,000 | 11,00,000 | 12,082 8 |
| 9,35,000 | 9,40,000 | 10,578 8 | 11,00,000 | 11,05,000 | 12,129 8 |
| 9,40,000 | 9,45,000 | 10,625 8 | 11,05,000 | 11,10,000 | 12,176 8 |
| 9,45,000 | 9,50,000 | 10,672 8 | 11,10,000 | 11,15,000 | 12,223 8 |
| 9,50,000 | 9,55,000 | 10,719 8 | 11,15,000 | 11,20,000 | 12,270 8 |
| 9,55,000 | 9,60,000 | 10,766 8 | 11,20,000 | 11,25,000 | 12,317 8 |
| 9,60,000 | 9,65,000 | 10,813 8 | 11,25,000 | 11,30,000 | 12,364 8 |
| 9,65,000 | 9,70,000 | 10,860 8 | 11,30,000 | 11,35,000 | 12,411 8 |
| 9,70,000 | 9,75,000 | 10,907 8 | 11,35,000 | 11,40,000 | 12,458 8 |
| 9,75,000 | 9,80,000 | 10,954 8 | 11,40,000 | 11,45,000 | 12,500 0 |
| 9,80,000 | 9,85,000 | 11,001 8 | | | |

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बन जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन ) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५२, को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज कंटीनुएंस आफ पावर्स (संशोधन) विधेयक, १९५२

अध्यक्ष---अब एक विधेयक कंट्रोल आफ सप्लाई वाला वितरित हुआ है । माननीय वित्त मंत्री उसको पेश करना चाहते हैं ।

वित मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्रहीम---मैं जनाब के जरिये सदन से कंट्रोल आफ सप्लाईज कंटीनुएंस आफ पावर्स विधेयक पुर:स्थापित करने की इजाजत मांगता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (ज़िला फैजाबाद)---मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि हमें कापी तो मिली ही नहीं ।

अध्यक्ष---अभी बांटी गई है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (ज़िला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस विधेयक को मेज पर रख रहे हैं या पुर:स्थापित कर रहे हैं?

अध्यक्ष---अनुमति मांगी है पुर:स्थापित करने की ।

क्या माननीय सदन की अनुमति है कि यह विधेयक पुर:स्थापित हो?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब मैं कन्ट्रोल आफ सप्लाईज कंटीनएंस आफ पावर्स (संशोधन) विधेयक, १९५२, पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ....४३८....पर)

## किंग एंडवर्ड सप्तम सैनीटोरियम, भवाली, की परामर्शदात्री समिति के लिये विधान सभा के निर्वाचित

अध्यक्ष---मैं दो-एक सूचनायें देना चाहता हूं। किंग एडवर्ड सप्तम सेनीटोरियम परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन होना था और उसके लिये चार सदस्यों के नामांकन हुये थे, दो सदस्यों ने नाम वापस ले लिये । इसलिये श्री कालीचरण टंडन और श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट इस समिति के लिये सदस्य चुने गये।

## प्राक्कलन समिति के निर्वाचन-कार्यक्रम में परिवर्तन

अध्यक्ष---प्राक्कलन समिति के लिये अपने नाम वापस लेने की तिथि आज २९ तारीख को ३ बजे तक के लिये थी और चुनाव की तारीख दो सितम्बर रक्खी गई थी। चूंकि चुनाव अभी हो सका नहीं हो सकेगा, मुझसे प्राथना भी की गई है कि नाम वापस लेने की तिथि बढ़ा दी जाय और मैं उचित भी यही समझता हूं ताकि चुनाव की दिक्कत से यह सदन बच जाय। इसलिये तीन सितम्बर को तीन बजे तक नाम वापस लेने की मियाद बढ़ा दी जाती है और चुनाव ५ सितम्बर को होगा।

## सभा के अगले कार्य-क्रम की सूचना

**वित्तमंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--अब यह सदन दूसरे सितम्बर को बैठेगा। उस वक्त इसके सामने जो काम आने वाला है उसकी कुछ इत्तिला मैं आज दिये देता हूं। अगर्चे उन बिलों की कोई कापियां अभी मेम्बरों को मिली नहीं हैं, लेकिन अब मिल जायंगी और इस इत्तिला के देने में इसकी जरूरत नहीं है कि बिलों के नाम बतलाये जायं, केवल खबर देना चाहता हूं कि फलां फलां काम आने वाला है।

बजट स्पीच में जो टैक्सेशन की तजवीज थी, उसके सिलसिले में एक तो वह बिल आने वाला है जिसके जरिये से बिजली पर इजाफा किया जायगा। दूसरा वह बिल आने वाला है जिससे स्टैम्प, कोर्ट फीस नहीं, बल्कि दस्तावेजों पर जो लगाये जाते हैं उसकी दर में इजाफा होने के लिये। इसके अलवा मोटर ह्विकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट पहले से जारी है, उसमें यह मुकर्रर है कि कार पर इतना, लारी पर इतना और ट्रक्स पर इतना टैक्स लगता है। उस दर में गवर्नमेंट जो इजाफा करना चाहती है उनके मुताल्लिक एक बिल आने वाला है।

एक बिल अरबन एरियाज की जमींदारी के अबालिशन का था वह आनेवाला है। जो जमींदारी मन्सूख हुई वह उस रकबे की हुई थी जो म्युनिसिपल एरिया के अन्दर नहीं है। जो एरिया म्युनिसिपल एरिया के अन्दर है उसकी जमींदारी अभी तक मन्सूख नहीं है। उसका बिल इससे पहले लेजिस्लेचर में पेश हुआ था और उसके ऊपर सेलेक्ट कमेटी बैठ चुकी थी। अब फिर से वह बनेगी। वह बिल भी आनेवाला है और जो कानूनी कार्यवाही होगी वह की जायगी।

एक कानून जो पहले पास हुआ था यानी जो लोग गवर्नमेंट की इमारतों में रहते हैं, उन इमारतों के किराये की वसूलयाबी के लिये एक कानून बना था। उसके तजुर्बे में जो दिक्कत पेश हुई उन दिक्कतों को दूर करने के लिये और कुछ जरूरी बातों को पूरा करने के लिये एक कानून बनाया गया है, वह फिर से दोबारा इस हाउस के सामने इसके बाद में लाया जायगा।

**श्री राम नारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)--क्या यह दारुलशफा के लिये भी लागू होगा?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--वह तो सब सरकारी इमारतों पर लागू होगा। अगर मने ऐसा कहा होता कि दारुलशफा को छोड़कर तब तो यह बात हो सकती थी लेकिन जब म यह कहता हूं कि यह सरकारी इमारतों पर लागू होगा तो मतलब बिलकुल साफ है।

इसके बाद जमींदारी के मंसूख होने के बाद यह जरूरी समझा गया कि जमींदारों के ऊपर जो कर्जे थे उन कर्जों में कमी की जाय तो वह बिल पेश हो चुका था और सिलेक्ट कमेटी में चला गया था वह बिल लाया जायगा और उसके लिये कार्यवाही की जायगी।

इस वक्त इतने कामों की घोषणा मुझे देनी थी। बाकी उस वक्त दी जायगी जबकि यह काम होते रहेंगे।

**श्री सुरेश प्रकाश सिंह** (जिला सीतापुर)--मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो बिल आपने पढ़े हैं तो क्या वह इसी आर्डर में आयेंगे या कुछ अदल बदल करके आयेंगे?

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**--जो मैंने अभी बिल की तादाद हाउस के सामने पढ़कर सुनाई है। वह काम आयेगा और उस काम के लिये यह लाजिमी नहीं है कि वह इसी तरह से आर्डर में आये जिस तरह से मैंने उसको यहां पर अपनी लिस्ट से पढ़कर बयान किया है।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---क्या माननीय वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई बिल पहाड़ी इलाकों में जमींदारी खतम करने की बाबत कोई बिल आने वाला है ?

**श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम**---इसका अन्दाजा तो इसी से होता है कि अगर गवर्नमेंट का इरादा किसी और बिल को लाने का होता तो मैंने उसको बढ़कर अपनी लिस्ट से बयान किया होता ।

**श्री रामजी सहाय** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह सत्र कब तक चलेगा और कब तक इसका स्थगन सम्भव होगा ।

**श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**---जनाबवाला, किसी सेशन के चलने का जहां तक मामला है उसका जवाब तो यह सदन ही दे सकता है, लेकिन जितना काम है उसके लिहाज से मैं यह समझता हूं कि यह सेशन अक्तूबर की १०, १५ तारीख तक चलेगा। बीच में ब्रेक आयेंगे, लेकिन अक्तूबर की १०,१५ तारीख तक चलेगा ।

**श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह बिल भी आने वाला है जिसके बारे में यह कहा गया कि सिलेक्ट कमेटी उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर दे दे और सदन उस पर विचार करेगा क्या वह बिल भी इसी सेशन में आयेगा ?

**अध्यक्ष**---वह तो आना ही है, उसके बतलाने की जरूरत नहीं थी, जो नया काम आयेगा वह उन्होंने बता दिया ।

**श्री मदन मोहन उपाध्याय**---राजस्व मंत्री का जो बिल था, जो बेदखल किये जा रहे हैं उनके संबंध में ?

**श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम**---मैं अर्ज करूंगा कि मेरे लिये मुनासिब नहीं होगा कि जो बिल इस हाउस से सेलेक्ट कमेटी में जा चुका है मैं अभी से उसके लिये वक्त मुकर्रर कर दूं। यों तो उसकी वापसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। अगर इत्तफाक हुआ कि सिलेक्ट कमेटी ने वक्त मांगा तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं अभी से बतला सकूं कि वह वक्त से आ सकेगा या नहीं। यह तो सेलेक्ट कमेटी के हाथ में है, अगर वह वक्त से खत्म हो जायगा तो वह वक्त से आयेगा, वर्ना कुछ देर से आयेगा ।

**अध्यक्ष**---अब आज के लिये कोई कार्य नहीं है। अब हम उठते हैं और मंगलवार २ सितम्बर को फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३४ मिनट पर मंगलवार, २ सितम्बर, १९५२, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२९ अगस्त, १९५२ ।

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

# नत्थी 'क'

(देखिये २२-८-५२ के स्थगित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

लिस्ट क

बन्दूक लाइसेन्सियों के नाम

सितम्बर, १९५१

| नाम | किस्म बन्दूक | नाम | किस्म बन्दूक |
|---|---|---|---|
| १. श्री संकटा प्रसाद, बी०ए०एल०एल०बी०, वकील | बी०एल०गन | ११. श्री सम्पत सिंह | बी०एल०गन |
| २. श्री अब्दुल रशीद अन्सारी, वकील | ,, ,, | १२. श्री मो० यासिन | ,, ,, |
| ३. श्री अपरबल सिंह, वकील | एम०एल०गन | १३. श्री नरोत्तम मिश्रा | ,, ,, |
| ४. श्री ताहिर अली वकील | बी०एल०गन | १४. श्री भगवान दास 'साव' | ,, ,, |
| ५. श्री भोगी लाल | ,, ,, | १५. श्री हरीराम हेड कान्सटेबिल | ,, ,, |
| ६. श्री अर्जुन सिंह जौहर | ,, ,, | १६. श्री राम अधार सिंह हेड कान्सटेबिल | ,, ,, |
| ७. श्री वारिथम सिंह | ,, ,, | १७. श्री आनन्दीनाथ तिवारी, पुलिस | ,, ,, |
| ८. श्री केदार नाथ सिंह | बी०एल०तथा एम०एल०गन | १८. श्री राजेश्वरी प्रसाद, हेड क्लर्क | ,, ,, |
| ९. श्री मृतुंजय मिश्रा | एम०एल०गन | १९. श्री अमीन अजहर हुसेन | |
| १०. श्री सुरेश प्रसाद उपाध्याय | बी०एल०गन | २०. श्री महेन्द्र पाल सिंह, ओवरसियर पी० डा० डी० | |

अक्तूबर, १९५१

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. स्वामी हरिहरानन्द जी | बी०एल०गन | ८. श्री राज नाथ सिंह | बी०एल०गन |
| २. श्री राधेश्याम गुप्ता | ,, ,, | ९. श्री वंस राज | ,, ,, |
| ३. डाक्टर प्रभूनाथ एम बी० बी० एस० | ,, ,, | १०. श्री वसावन सिंह | ,, ,, |
| ४. श्री बलिराम सिंह | ,, ,, | ११. श्री वासदेव सिंह | ,, ,, |
| ५. श्री वासुदेव अवस्थी | ,, ,, | १२, श्री गिरधर सरन सिंह | ,, ,, |
| ६. एजेंट यूनाइटेड-क मर्शियल बंक | ,, ,, | १३. ले०बाबा०गुरुवचन सिंह | ,, ,, |
| ७. श्री उदय प्रताप सिंह | ,, ,, | १४. श्री विशेश्वर दुबे, सब-पोस्टमास्टर, | ,, ,, |

| नाम | किस्म बन्दूक | नाम | किस्म बन्दक |
|---|---|---|---|

नवम्बर, १९५१

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. श्री हर प्रसाद मिश्रा | बी०एल०गन | ८. श्री लोकनाथ सिंह | बी०एल०गन |
| २. श्री हरिफल सिंह | ,, ,, | ९. श्री राम गोविंदराय | ,, ,, |
| ३. श्री शिवदत्त सिंह | ,, ,, | १०. श्री सत्यनारायण सिंह, टेलीफोन आपरेटर | ,, ,, |
| ४. डा० एम०एल०मिश्रा | ,, ,, | ११. जमादार राने राम | ,, ,, |
| ५. श्री एम०ए०कासिम | ,, ,, | १२. श्री हीरा लाल, हेड-कांस्टेबिल | ,, ,, |
| ६. श्री शीतलाकांत वकील | ,, ,, | १३. श्री महादेव प्रसाद, आफिस आफ एस०-डी०ओ०फोन | ,, ,, |
| ७. श्री हरिहरनाथ पांडे | एम०एल०गन | १४. श्री निरंजनीप्रसाद स्टोर कीपर, सी०एस० आफिस | ,, ,, |

दिसम्बर, १९५१

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. श्री एस० बी० बी० नाथ | बी०एल०गन | ८. परमानन्द पांडेय | बी०एल०गन |
| २. श्री कृष्ण चन्द्र | ,, ,, | ९. श्री भैरो नाथ सिंह | ,, ,, |
| ३. पंचायती अखाड़ा भदैनी | ,, ,, | १०. श्री शिव बहल सिंह | ,, ,, |
| ४. श्री शिवनाथा प्रधान | ,, ,, | ११. श्री हरियर चरन सिंह | ,, ,, |
| ५. श्री मानिक चन्द्र | ,, ,, | १२. श्री कुतुब मोहिउद्दीन, क्लर्क,, कमिश्नरी | ,, ,, |
| ६. श्री भगवान दास | ,, ,, | १३. श्री राम आसरे लाल हेड क्लर्क डी० एन० ई०, ओ० टी० आर० | ,, ,, |
| ७. श्री सूरज नरायन सिंह | | | |

जनवरी, १९५२

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. एजेंट यू० पी० प्रांविंशियल बैंक | बी० एल०गन | ११. श्री गिरधारी चौधरी, हल्का सरदार पी०आर० | एम०एल०गन |
| २. डा० ए० के० घोश | ,, ,, | १२. श्री बंश नरायन राय | बी० एल०गन० |
| ३. श्री राम आशीश प्रसाद सिंह | ,, ,, | १३. श्री हर चरन तिवारी | ,, ,, ,, |
| ४. श्री चेखरी तिवारी | ,, ,, | १४. श्री पदमनाथ श्रीवास्तवा | ,, ,, |

| नाम | किस्म बन्दूक़ | नाम | क़िस्म बन्दूक़ |
|---|---|---|---|
| ५. श्री बलभद्दर सिंह, ओवरसियर | बी०एल०गन | १५. श्री मोगीराम, हेड कांस्टेबिल | बी०एल०गन |
| ६. श्री मंजूर हसन | ,, ,, | १६. श्री इन्द्रासन सिंह | ,, ,, |
| ७. श्री शीतला प्रसाद सिंह | ,, ,, | १७. केप्टन टी० सी० धरमनी | ,, ,, |
| ८. श्री रामशंकर सिंह | ,, ,, | १८. श्री बैजनाथ सिंह | एम०एल०गन |
| ९. श्री शीतला प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल | एम०एल० गन | १९. श्री एस हमीन अहमद | ,, ,, |
| १०. श्री राम प्रसाद साव | बी० एल० गन | २०. श्री शिव शंकर शुक्ला | बी०एल०गन |

फरवरी, १९५२

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. डा०वाई० भरद्वाज | बी०एल०गन | ५. कैं०अजमेर सिंह मिल | बी०एल०गन |
| २. श्री अब्दुल मन्नान | ,, ,, | ६. श्री सूबेदार दुबे | ,, ,, |
| ३ श्री गनेश सिंह | ,, ,, | ७. श्री परम हंस सिंह | एन० एल० गन |
| ४. डा० विश्वनाथ सिंह, मैडिकल अफसर, चन्दौली | ,, ,, | ८. श्री शमशुद्दीन खां | बी० एल० गन |

[ लिस्ट (ख) ]

पिस्तौल लाइसेंसियों के नाम

सितम्बर, १९५१

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. महाराज कुमार विजया-नगरम् | | ५. जमा० दरयेव सिंह ऐर्थ केवेलरी | |
| २. कैप्टन बी० डी० शर्मा | | ६. दफा० चरन सिंह | ,, ,, |
| ३. हवल० गुरुदास सिंह, ऐर्थ कवलरी | | ७. एल०डी०जागे राम | ,, ,, |
| ४. दफा० मेजर शेर सिंह, केवेलरी ऐर्थ | | ८. मेजर एस०एल०दर एन०सी०सी०बी०एच०यू। | |

अक्तूबर, १९५१

| | |
|---|---|
| १. श्री उमाशंकर राज वैद्य | २. दफा० हरदीप सिंह ऐर्थ केवेलरी |
| ३. हवल० जोगेन्द्र सिंह | |

नवम्बर, १९५१

| | |
|---|---|
| १. श्री राजनारायन सिंह | ३. श्री डी०एस०वर्मा, ए०आर०ओ०मेलूपुर |
| २. श्री महिपाल सिंह, ऐर्थ कवलरी | |

दिसम्बर, १६५१

१. श्री चन्द्रभाल जी,
प्रेसीडेंट, लेजिस्लेटिव
कौउन्सिल, लखनऊ ।

२. दफा० मस्तनसिंह
एर्थ केवेलरी

जनवरी, १६५२

१. एम० क्यू० एम० डी०
दारा सिंह,
एर्थ केवेलरी ।

फरवरी, १६५२

१. श्री सरस्वती प्रसाद,
ए० आर० ओ०, टाउन हाल ।

२. एल० डी० यादवराम,
एर्थ केवेलरी ।

विधान सभा

## नत्थी 'ख'

(देखिये २२-८-५२ के स्थगित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

## नत्थी (क)

कारख़ानों के नाम जिनमें अभी तक फैक्टरीज़ वेलफेयर अफ़सरों के नियम १९४९ ई० के अन्तर्गत वेलफेयर अफ़सर नहीं नियुक्त हुये है।

### (१) प्रायवेट कारखानों के नाम

१-एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।
२-स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।
३-जे० के० काटन मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड, कानपुर।
४-कानपुर टेक्सटाइल्स, कानपुर।
५-जे० के० आइरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।
६-सरया शुगर फैक्टरी, सरदारनगर, गोरखपुर।
७-महावीर जूट मिल्स, सहजनवा, गोरखपुर।
८-पंजाब शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, घुघली, गोरखपुर।
९-महावीर शुगर मिल्स लिमिटेड, सिसवा बाजार, गोरखपुर।
१०-डाइमंड शुगर मिल्स लिमिटेड, पिपराइच, गोरखपुर।
११-रामचन्द्र स्पिनिंग ऐण्ड वीविगं मिल्स, हाथरस, अलीगढ़।
१२-अपर गैंजेज़ शुगर मिल्स, सिहोरा, बिजनौर।
१३-देवरिया शुगर मिल्स, लिमिटेड, देवरिया।
१४-महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, रामकोला, देवरिया।
१५-राम लक्ष्मन शुगर मिल्स लिमिटेड, मोहीउद्दीनपुर, मेरठ।
१६-मोदी स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, मोदीनगर, मेरठ।
१७-मोदी बनस्पति मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बेगमाबाद, मेरठ।
१८-धीवान शुगर मिल्स लिमिटेड, सखोतीटांडा, मेरठ ।
१९-कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा, मुरादाबाद।
२०-अपर द्वाब शुगर मिल्स लिमिटेड, शामली, मुज़फ्फरनगर।
२१-रज़ा शुगर कम्पनी (गोवन ब्रदर्स), रामपुर।
२२-टुबैको मैनुफैक्चरर्स (इंडिया) लिमिटेड, सहारनपुर।
२३-लार्ड कृष्णाशुगर मिल्स, सहारनपुर।
२४-इलाहाबाद ग्लास वर्क्स, नैनी, इलाहाबाद।
२५-बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, वाल्टरगंज, बस्ती।
२६-कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, मसोधा, फैज़ाबाद।
२७-बलरामपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, बलरामपुर, गोंडा।
२८-अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स, लखनऊ।

### (२) सरकारी कारखानों के नाम

२९-गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद।
३०-यू० पी० रोडवेज़ सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर।

## नत्थी 'ग'

(देखिये २२-८-५२ के स्थगित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर ।)

| वर्ष | डकैती | रौबरी | कत्ल | अपहरण | बल्वे | नक़बज़नी | मवेशी की चोरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १६४७ | ३२ | ६ | १३ | ५ | २१ | १२८ | ५६ |
| १६४८ | १६ | ८ | १४ | १४ | २८ | १३३ | ३८ |
| १६४६ | ११ | ६ | १० | १० | ३१ | १३२ | ४१ |
| १६५० | ३ | .. | ६ | ४ | २१ | १०६ | ३६ |
| १६५१ | ३ | .. | १४ | ३ | १५ | ५८ | २८ |
| १६५२ जून ३० तक | .. | २ | ८ | १ | ४ | १६ | ६ |

## नत्थी 'घ'

(देखिये २२-८-५२ के स्थगित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४६ पर)

[विवरण-पत्र]

### चौकीदारों के कर्तव्य

१—पुलिस विभाग के प्रति चौकीदारों के कर्तव्य :

(क) बुरे आचरण के व्यक्तियों की निगरानी करना।

(ख) अपराध एवं अन्य घटनाओं की सूचना थाने में देना।

(ग) अपराधों की छानबीन करने में, अभियुक्तों की खोज करने में तथा अभियुक्तों के पकड़ने में सहायता देना।

(घ) मेलों और त्योहारों के अवसरों पर देख-भाल करना।

(ङ) आने वाले अफ़सरों से संबंधित सूचना एवं समाचार ले जाना।

(च) गांव के लोगों और पुलिस के मध्य संबंध स्थापित करना।

(छ) आवश्यकता पड़ने पर थानों के कर्मचारियों के सदृश कार्य करना।

२—ग्राम पंचायतों के प्रति चौकीदारों के कर्तव्य :

(क) जन्म एवं मृत्यु संबंधी सूचना देना।

(ख) अपने गांव के क्षेत्र में होने वाले मेलों, धार्मिक एवं राजनैतिक सभाओं, हाटों तथा बाजारों की सुचारु व्यवस्था करने में सहायता देना।

(ग) गांव-सभा की बैठक की सूचना डुग्गी पीट कर घोषित करना तथा ग्राम-पंचायत की बैठक की सूचना पंचायत के प्रत्येक सदस्य के पास पहुंचाना।

(घ) अपने गांव के क्षेत्र में आग लगने पर उसको बुझाने तथा सम्पत्ति की रक्षा करने में सहायता देना।

(ङ) गांव में संक्रामक रोगों को फैलने पर गांव की सफाई की देख-रेख करने में हाथ बटाना, मृतकों को हटाने का प्रबंध करना, तथा सफाई के संबंध में जारी की गयी पंचायती नोटिसों को तामील करना।

(च) पंचायती अदालतों द्वारा जारी किये हुये पुलिस से असम्बन्धित सम्मनों को तामील करना।

## नत्थी 'ङ'

(देखिये २९-८-५२ के तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर। )

| वर्ष | डकैती | रौबरी | कत्ल | अप-हरण | बल्वे | नक़बज़नी | मवेशी की चोरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १९४७ | ३२ | ९ | १३ | ५ | २१ | १२८ | ५६ |
| १९४८ | १६ | ८ | १४ | १४ | २८ | १३३ | ३८ |
| १९४९ | ११ | ६ | १० | १० | ३१ | १३२ | ४१ |
| १९५० | ३ | .... | ६ | ४ | २१ | १०९ | ३९ |
| १९५१ | ३ | .... | १४ | ३ | १५ | ५८ | २८ |
| १९५२ ३० जून तक | .... | २ | ८ | १ | ४ | १६ | ६ |

## नत्थी 'च'

(देखिये २९-८-५२ के तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६५ पर।)

| सन् | थाना | डाके की संख्या |
|---|---|---|
| १९५१ | शाहगंज | १ |
| १९५१ | सुजानगंज | १ |
| १९५१ | बख्शा | १ |
| १९५१ | कोतवाली | १ |
| १९५१ | मडियाहूं | ३ |
| १९५१ | बादशाहपुर | १ |
| १९५२ | सराय ख्वाजा | १ |
| १९५२ | बदलापुर | १ |
| | | १० |

## नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

## यू० पी० कंट्रोल आफ़ सप्लाईज (कन्टीनुएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० ऐक्ट ३०, १९५० ।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ़ सप्लाईज (कन्टीनुएंस आफ़ पावर्स) अधिनियम को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९४७ ।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाईज (कन्टीनुएंस आफ़ पावर्स) अधिनियम द्वारा यू० पी० कन्ट्रोल आफ़ सप्लाईज (टैम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ जारी रक्खा गया था और वह ३० सितम्बर, १९५२, ई० को समाप्त होने वाला है ;

यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५४ ई०, तक जारी रक्खा जाय ;

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ़ सप्लाईज (कन्टीनुएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२, होगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

यू० पी० ऐक्ट ३०, १९५०

२—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ़ पावर्स ) अधिनियम , की धारा २ में संख्या '१९५२' के स्थान पर संख्या "१९५४" रख दी जाय ।

## उद्देश्य और कारण

यू० पी० कन्ट्रोल आफ़ सप्लाईज (टैम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७, को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ़ सप्लाईज (कान्टीनुएंस आफ़ पावर्स) अधिनियम द्वारा जारी रक्खा गया था और वह ३० सितम्बर, १९५२ ई०, को समाप्त होने वाला है । संग्रह (सप्लाई) की स्थिति तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची के अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण बनाये रखने की आवश्यकता के कारण यह उचित प्रतीत होता है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध अगले दो वर्ष तक और जारी रक्खे जायं ।

तदनुसार उक्त अधिनियम की अवधि को बढ़ाने के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ।

चन्द्रभानु गुप्त,
अन्न मन्त्री,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७९ एल० ए०—१९५२—८५०